रजिस्ट्री सं० डी-221 REGISTERED No. D-221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 4, 1972 (कार्तिक 13, 1894)
No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 4, 1972 (KARTIKA 13, 1894)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
PART III—SECTION 4

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं
Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies

स्टेट बैंक आफ इंडिया

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई, दिनांक 4 अक्तूबर 1972

एस०बी०एस० नं० 10/1972—इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया (सहायक बैंक्स) ऐक्ट, 1959 (1959 का 38वां) की धारा 25, उप-धारा (1), खण्ड (ग) के अनुसार स्टेट बैंक आफ इंडिया ने रिजर्व बैंक आफ इंडिया के साथ विचार-विमर्श करने के बाद श्री ओ० पुल्ला रेड्डी, एम०ए०, आई०सी०एस० (सेवा निवृत्त), जिनके निदेशकता की अवधि आज से समाप्त होनी है, उनके स्थान पर श्री जगन्नाथ राव चांद्रिकी, गुलबर्गा, मैसूर राज्य, को स्टेट बैंक आफ हैदराबाद के निदेशक पद पर तीन वर्ष की अवधि के लिए—दिनांक 4 अक्तूबर, 1972 से 3 अक्तूबर, 1975 (दोनों दिन सम्मिलित) तक नामित किया है।

आर० के० तलवार, चेयरमैन

स्टेट बैंक आफ पटियाला

नोटिस

पटियाला, दिनांक 1 सितम्बर 1972

एस०बी०ओ०पी०/89—इस नोटिस द्वारा बैंक के निम्नलिखित अधिकारियों के स्थानान्तरण एवं परिवर्तन की सूचना दी जाती है :—

1. श्री सोमनाथ अरोड़ा, आफिसर ग्रेड II, तिथि 16-8-72 बैंक का कार्य आरम्भ होने के समय से दरया गंज, देहली शाखा में सहायक लेखाकार के रूप में कार्य करेंगे।

2. श्री पी० के० मेनी, आफिसर ग्रेड I, तिथि 13-7-72 बैंक का कार्य समाप्त होने के समय से तिथि 17-7-72 को बैंक का कार्य समाप्त होने तक श्री एस० के० सहगल के स्थान पर मैनेजर होंगे।

3. श्री ए० एस० डांग, आफिसर ग्रेड II ने तिथि 22-6-72 बैंक का कार्य समाप्त होने के समय से तिथि 3-8-72 बैंक का कार्य आरम्भ होने के समय तक श्री चमन लाल के स्थान पर बाली नगर, देहली शाखा में स्थानापन्न मैनेजर के रूप में कार्य किया।

4. श्री डी० एस० मोदी, आफिसर ग्रेड I ने तिथि 5-7-72 बैंक का कार्य समाप्त होने के समय से तिथि 24-7-72 बैंक का कार्य आरम्भ होने के समय तक श्रद्धानन्द मार्ग, देहली शाखा में स्थानापन्न मैनेजर के रूप में कार्य किया।

एस० डी० गंडा, जनरल मैनेजर

दि इंस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया

नई दिल्ली-1, दिनांक 9 अक्तूबर 1972

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

सं० 1-सी०ए० (56)/72—चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रैगुलेशन्स 1964 में निश्चित संशोधनों का निम्नलिखित ममविदा जो कि

चार्टर्ड एकाउन्टेंन्ट्स ऐक्ट, 1949 (1949 का 38वां ऐक्ट) की धारा 30 की उपधारा (1) और (3) द्वारा अधिकारों के प्रयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया है, उन सभी व्यक्तियों की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है जो इससे प्रभावित हो सकते हैं और एतद्-द्वारा सूचना दी जाती है कि मसविदे को 21 नवम्बर, 1972 अथवा उसके बाद विचार करने के लिये लिया जायेगा।

उपर्युक्त मसविदे के सम्बन्ध में निर्धारित तिथि से पूर्व किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किसी भी आपत्ति अथवा सुझाव पर कौंसिल आफ दि इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंन्ट्स आफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा विचार किया जायेगा।

उपर्युक्त रैगुलेशनों में :—

1. रैगुलेशन 44 में निम्न जोड़ लें :

"(8) इस रगुलेशन के उद्देश्य हेतु इन रैगुलेशन्स के अन्तर्गत किसी भी परीक्षा के लिये कोई आर्टिकलड क्लर्क 1 अप्रैल, 1972 के उपरान्त जिन दिनों (बीच के अवकाश के दिनों सहित) उपस्थित होता है, छुट्टी पर नहीं समझा जायेगा।"

2. रैगुलेशन 55 में निम्न जोड़ लें :

"(6) इस रैगुलेशन के उद्देश्य हेतु इन रेगुलेशन्स के अन्तर्गत किसी भी परीक्षा के लिये कोई आर्टिकलड क्लर्क 1 अप्रैल, 1972 के उपरान्त जिन दिनों (बीच के अवकाश के दिनों सहित) उपस्थित होता है, छुट्टी पर नहीं समझा जायेगा।"

सी० बालकृष्णन्, सचिव

संचार विभाग

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली-1, दिनांक 18 अक्तूबर 1972

क्रम सं० 25/98/72-एल०आई०—श्री ए०बी० सुब्रामैनियम की क्रमांक 53024–पी० दिनांक 14–10–52 की 3000/– रुपये की डाक जीवन बीमा पालिसी विभाग के संरक्षण से गुम हो गई है। यह सूचित किया जाता है कि उक्त पालिसी का भुगतान रोक दिया गया है। उपनिदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता की बीमेदार के नाम पालिसी की दूसरी प्रति जारी करने के अधिकार दे दिए गए हैं। जनता को चेतावनी दी जाती है कि मूल पालिसी के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करें।

क्रम सं० 25/116/72–एल० आई०—श्री प्रीतम सिंह की क्रमांक 96747–पी० दिनांक 14–6–63 की 5000/– रुपये की डाक जीवन बीमा पालिसी विभाग के संरक्षण मे गुम हो गई है। यह सूचित किया जाता है कि उक्त पालिसी का भुगतान रोक दिया गया है। उपनिदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमेदार के नाम पालिसी की दूसरी प्रति जारी करने के अधिकार दे दिए गए हैं। जनता को चेतावनी दी जाती है कि मूल पालिसी के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करें।

राजेन्द्र किशोर, निदेशक
(डाक जीवन बीमा)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 18 अक्तूबर 1972

सं० इन्स० 1.22(1)–2/72(20)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 5 के उपविनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक ने यह निश्चय किया है कि निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्रों में वर्ग 'ए', 'बी', तथा 'सी' के लिये प्रथम अंशदान एवं प्रथम लाभ अवधियां नियत दिवस 30 सितम्बर, 1972 की मध्यरात्रि को बीमा योग्य रोजगार में लगे व्यक्तियों के लिये प्रारम्भ व समाप्त होंगी जैसा कि निम्न सूची में दिया गया है :—

वर्ग	प्रथम अंशदान अवधि		प्रथम अवधि लाभ	
	जिस मध्य रात्रि को प्रारम्भ होती है	जिस मध्य रात्रि को समाप्त होती है	जिस मध्य रात्रि को प्रारम्भ होती है	जिस मध्य रात्रि को समाप्त होती है
ए	30–9–72	27–1–73	30–6–73	27–10–73
बी	30–9–72	31–3–73	30–6–73	29–12–73
सी	30–9–72	25–11–72	30–6–73	25–8–73

अनुसूची

"आंध्र प्रदेश राज्य के अनन्तपुर जिले में हिन्दुपुर की नगर-पालिका सीमाओं के भीतर के क्षेत्र तथा राजस्व ग्राम (क) किरिकेरा (ख) बेविनाहाल्ली (ग) मोडा (घ) कोडीगेनाहाल्ली (ङ) कोटनूर (च) श्रीकान्तपुरम (छ) घोलासमुद्रम (ज) पुलामति की सीमाओं के भीतर के क्षेत्र।"

सं० इन्स० 1.22(1)-2/72(21)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 5 के उपविनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक ने यह निश्चय किया है कि निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्रों में वर्ग 'ए', 'बी' तथा 'सी' के लिये प्रथम अंशदान एवं प्रथम लाभ अवधियां नियत दिवस 7 अक्तूबर, 1972 की मध्य रात्रि को बीमा योग्य

रोजगार में लगे व्यक्तियों के लिये प्रारम्भ व समाप्त होंगे जैसा कि निम्न सूची मे दिया गया है :—

वर्ग	प्रथम अंशदान अवधि		प्रथम लाभ अवधि	
	जिस मध्य रात्रि को प्रारम्भ होती है	जिस मध्य रात्रि को समाप्त होती है	जिस मध्य रात्रि को प्रारम्भ होती है	जिस मध्य रात्रि को समाप्त होती है
ए	7-10-72	27-1-73	7-7-73	27-10-73
बी	7-10-72	31-3-73	7-7-73	29-12-73
सी	7-10-72	25-11-72	7-7-73	25-8-73

अनुसूची

"आंध्र प्रदेश राज्य के कोवूर तालुक तथा नेल्लोरे जिले में ग्राम पादुगुपादु के भीतर के क्षेत्र ।"

सं० इन्स० 1.22(1)-2/72(22)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 5 के उपविनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक ने यह निश्चय किया है कि निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्रों में वर्ग 'ए', 'बी' तथा 'सी' के लिये प्रथम अंशदान एवं प्रथम लाभ अवधियां नियत दिवस 7 अक्तूबर, 1972 की मध्य रात्रि को बीमा योग्य रोजगार में लगे व्यक्तियों के लिये प्रारम्भ व समाप्त होंगी जैसा कि निम्न अनुसूची में दिया गया है :—

वर्ग	प्रथम अंशदान अवधि		प्रथम लाभ अवधि	
	जिस मध्य रात्रि को प्रारम्भ होती है	जिस मध्य रात्रि को समाप्त होती है	जिस मध्य रात्रि को प्रारम्भ होती है	जिस मध्य रात्रि को समाप्त होती है
ए	30-9-72	27-1-73	30-6-73	27-10-73
बी	30-9-72	31-3-73	30-6-73	29-12-73
सी	30-9-72	25-11-72	30-6-73	25-8-73

अनुसूची

बिहार राज्य के सिंहभूमि जिले में निम्नलिखित क्षेत्र :—

क्र० सं०	राजस्व ग्राम का नाम	राजस्व ग्राम की संख्या	राजस्व थाने का नाम
1.	असंगी	126	सेरेकेला
2.	दिदली	128	सेरेकेला
3.	कृष्णापुर	132	सेरेकेला

सं० इन्स० 1.22(1)-2/72(23)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 5 के उपविनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक ने यह निश्चय किया है कि निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्रों में वर्ग 'ए', 'बी' तथा 'सी' के लिये प्रथम अंशदान एवं प्रथम लाभ अवधियां नियत दिवस 30 सितम्बर, 1972 की मध्य रात्रि को बीमा योग्य रोजगार में लगे व्यक्तियों के लिये प्रारम्भ व समाप्त होंगे जैसा कि निम्न सूची में दिया गया है :—

वर्ग	प्रथम अंशदान अवधि		प्रथम लाभ अवधि	
	जिस मध्य रात्रि को प्रारम्भ होती है	जिस मध्य रात्रि को समाप्त होती है	जिस मध्य रात्रि को प्रारम्भ होती है	जिस मध्य रात्रि को समाप्त होती है
ए	30-9-72	27-1-73	30-6-73	27-10-73
बी	30-9-72	31-3-73	30-6-73	29-12-73
सी	30-9-72	25-11-72	30-6-73	25-8-73

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तालुक	होबली	ग्राम
1.	बंगलोर	कनकपुरा	कनकपुरा	कनकपुरा की नागरीय सीमायें ।
2.	बंगलोर	कनकपुरा	कनकपुरा	तमाम बेकुप्पे ग्राम पंचायत क्षेत्र सहित बेकुप्पे ग्राम पंचायत में स्थित कुरुबेट ग्राम ।

आई० डी० बजाज,
उप बीमा आयुक्त

भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 1971

सं० 1-6-71-ई०पो०—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का अधिनियम संख्या 37) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सशक्त बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, भारतीय खाद्य निगम एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

अनुभाग 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना :

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

(3) ये विनियम,—

(क) पूर्णत: अंशकालिक आधार पर नियोजित व्यक्तियों; और

(ख) विशेष संविदा के अधीन नियोजित व्यक्तियों, वहां तक जहां तक कि ऐसे संविदाओं के अनुबंध और शर्तें इन विनियमों के उपबंध से असंगत हों :

से भिन्न निगम के सभी कर्मचारियों को, जिनके अन्तर्गत अन्तरित कर्मचारी भी हैं, लागू होंगे :

परन्तु इन विनियमों की कोई बात निगम के निदेशक अथवा सचिव पर लागू नही होगी।

2. परिभाषाएं :

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) "अधिनियम" से खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का अधिनियम संख्या 37) अभिप्रेत है;

(ख) "बोर्ड" से निगम का निदेशक बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से निगम का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "निगम" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय खाद्य निगम अभिप्रेत है;

(ङ) "कार्यपालिका समिति" से निगम की कार्यपालिका समिति अभिप्रेत है;

(च) "वित्तीय सलाहकार" से निगम द्वारा वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त व्यक्ति अथवा वित्तीय सलाहकार के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है;

(छ) "खाद्य विभाग" से केन्द्रीय सरकार का खाद्य के संबंध में संव्यवहार करने वाला तथा इन शर्तों के संपादन में संलग्न विभाग अथवा उसका कोई अधीनस्थ या संलग्न कार्यालय अभिप्रेत है;

(ज) "प्रभागाध्यक्ष" से, निगम के मुख्यालय में प्रबंधक की अथवा उससे ऊपर की श्रेणी में नियुक्त सभी अधिकारी, अथवा कोई अन्य अधिकारी जिसे निगम ने प्रभागाध्यक्ष के रूप में अभिहित किया हो, अभिप्रेत है;

(झ) "प्रबंध निदेशक" से निगम का प्रबंध निदेशक अभिप्रेत है;

(ञ) "वेतन" में भत्ते सम्मिलित नहीं हैं;

(ट) "सचिव" से निगम का सचिव अभिप्रेत है;

(ठ) "अन्तरित कर्मचारी" से अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेश द्वारा निगम को अंतरित अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी अभिप्रेत है।

अनुभाग 2

सेवा की साधारण शर्तें

3. वर्गीकरण :

(1) निगम के पदों का प्रवर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा :

वे सभी पद जिनका अधिकतम नियत वेतन अथवा वेतनमान	वर्गीकरण
950 रुपए से कम नहीं है	प्रवर्ग 1
950 रुपए से कम किन्तु 700 रु० से कम नहीं है	प्रवर्ग 2
700 रु० से कम किन्तु 150 रु० से कम नहीं है	प्रवर्ग 3
150 रु० से कम है	प्रवर्ग 4

(2) निगम में, परिशिष्ट 1 में दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट विवरण के पद होंगे।

(4) नियुक्तियां :

(1) विनियम 17 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति, वरीयता, प्रोन्नति, पदावनति तथा छंटनी

के प्रयोजन के लिए एकक निम्नलिखित प्रकार से होंगे, अर्थात् :

प्रवर्ग	भर्ती एकक	प्रोन्नति/पदावनति/छंटनी एकक
4	जिला (क्षेत्रीय तथा आंचलिक कार्यालय और मुख्यालय पृथक एकक होंगे)	क्षेत्रीय
3	क्षेत्रीय (आंचलिक कार्यालय, मुख्यालय पृथक एकक होंगे)	अंचल
2	1 अंचल (मुख्यालय एक एकक होगा)	अंचल
1	समस्त-भारत	समस्त भारत

प्रोन्नति, पदावनति, छंटनी के प्रयोजन के लिए मुख्यालय को एक प्रथक् एकक माना जाएगा परन्तु प्रबंध निदेशक, जब कभी वह ऐसा आवश्यक समझे, स्वविवेकानुसार किसी भी कर्मचारी का अन्तरण मुख्यालय से किसी आंचलिक कार्यालय में अथवा आंचलिक कार्यालय से मुख्यालय में कर सकेगा। ऐसा करते समय प्रबंध निदेशक विभिन्न अंचलों के सम्यक् प्रतिनिधित्व की आवश्यकता को ध्यान में रखेगा।

5. नियुक्तियों के सम्बन्ध में साधारण शर्तें :

निगम की सेवागत सभी नियुक्तियों पर निम्नलिखित साधारण शर्तें लागू होंगी;

(क) कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु का न हो प्रारंभिक नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(ख) निगम की सेवा में नियुक्ति के लिए आवश्यक है कि उम्मीदवार :

(i) भारत का नागरिक हो, अथवा

(ii) सिक्किम की प्रजा हो, अथवा

(iii) नेपाल की प्रजा हो, अथवा

(iv) भूटान की प्रजा हो, अथवा

(v) तिब्बती शरणार्थी हो जो 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से भारत आया हो, अथवा

(vi) भारतीय मूल का व्यक्ति हो जिसने पाकिस्तान, ब्रह्मा, श्री लंका तथा पूर्वी अफ्रीका के कीनिया युगान्डा तथा तनजानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टागेनायका तथा जंजीबार) देशों से भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से प्रवास किया हो :

परन्तु प्रवर्ग (iii), (iv), (v), और (vi) के उम्मीदवार को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र दिया गया हो।

(ग) वह उम्मीदवार जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक है किसी परीक्षा अथवा साक्षात्कार में, सरकार द्वारा उसे आवश्यक प्रमाणपत्र दिए जाने के अधीन रहते हुए, सम्मिलित किया जा सकेगा और अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकेगा।

(घ) कोई व्यक्ति तब तक आरम्भत: नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी अर्हिता/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा यह प्रमाणित न कर दिया जाए कि वह शारीरिक रूप से स्वस्थ है तथा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए चिकित्सीय दृष्टि से ठीक है।

स्पष्टीकरण : जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे इस उपबंध का लागू किया जाना सीधी भर्ती द्वारा नियमित नियुक्तियों तक ही सीमित होगा।

(ङ) वह व्यक्ति जो पहले ही निगम की अथवा राज्य या केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग की अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के किन्ही उपक्रमों की सेवा से पदच्युत अथवा अनिवार्य रूप से निवृत्त किया जा चुका हो नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(च) कोई भी व्यक्ति जो किसी न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, सिद्धदोष ठहराया गया हो, नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(छ) कोई भी व्यक्ति जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है अथवा जो पति या पत्नी के रहते हुए किसी से विवाह करता है निगम की सेवा में नियुक्ति का पात्र नही होगा।

परन्तु प्रबंध निदेशक यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसे व्यक्ति अथवा विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञात है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(ज) खण्ड (ग), (ङ), (च), और (छ) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई भी व्यक्ति तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान नही हो जाता कि वह व्यक्ति सभी प्रकार से नियुक्ति के योग्य है।

6. **नियुक्ति प्राधिकारी** :

परिशिष्ट 2 में दी गई सारणी के स्तंभ 2 में उपदर्शित प्रकार के पदों पर नियुक्तियां करने के लिए सक्षम प्राधिकारी वे होंगे जो उस सारणी के स्तंभ 3 में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है :

परन्तु अन्तर्रित कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किए गए समझे जाएंगे।

7. **नियुक्ति की रीति** :

(1) निगम की सेवा में नियमित नियुक्तियां केवल उपबंध 1 में दी गई सारणी के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट ऐसे पदों पर की जा सकेगी जो कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए मंजूर किए गए हों और ऐसी नियुक्तियां—

(क) उस सारणी के स्तंभ 4 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट किसी भी रीति के अनुसार : अथवा

(ख) उक्त सारणी के स्तंभ 9 में यथा विनिर्दिष्ट तत्संबंधी प्रवर्गों में से, खाद्य महानिदेशालय/वेतन तथा लेखा कार्यालयों में के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के अन्तरण द्वारा : अथवा

(ग) निगम की सेवा में प्रतिनियुक्त कर्मचारियो के स्थाई रूप से आमेलन द्वारा,

की जाएगी।

(2) जहां किसी पद के संबंध में, उस पद पर नियुक्ति की रीति के संदर्भ में, कोई अर्हता, अथवा आयु सीमाएं परिशिष्ट 1 में दी गई सारणी के क्रमश: स्तंभ 7 और 8 में विनिर्दिष्ट की गई हों तो उस प्रवर्ग में उस रीति से केवल ऐसे ही व्यक्ति नियुक्त किए जाएंगे जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अर्हताएं धारण करते हों तथा आयु सीमाओं के अंतर्गत हों :

परन्तु परिशिष्ट 2 में दी गई सारणी के स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी उस सारणी के स्तंभ 2 में तत्संबंधी प्रविष्टियों में उपदर्शित पदों के संबंध में, :

(क) विशिष्ट अर्हताओं अथवा अनुभव वाले व्यक्तियों की दशा में, विनिर्दिष्ट आयु सीमाओं को शिथिल कर सकेगा; और

(ख) उत्कृष्ट सेवा-अभिलेख वाले व्यक्तियों की दशा में अर्हताएं शिथिल कर सकेगा :

(ग) परन्तु यह और कि बोर्ड, आदेश द्वारा परिशिष्ट 1 में सम्मिलित भर्ती नियमो के किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकेगा यदि उसकी राय म ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन हो।

(3) इस विनियम में किसी बात के होते हुए भी निगम में किसी भी पद पर नियुक्तियां निम्नलिखित रूप में, तदर्थ आधार पर, की जा सकेंगी—

(क) केन्द्रीय अथवा किसी राज्य सरकार अथवा किसी पब्लिक सेक्टर के उपक्रम अथवा, प्रबंध निदेशक के पुर्वानुमोदन से, किसी प्राईवेट सेक्टर के उपक्रम के उपयुक्त अधिकारियों की, अधिक से अधिक 3 वर्ष की अवधि के लिए, प्रतिनियुक्ति द्वारा :

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी से ठीक उच्चतर कोई प्राधिकारी प्रवर्ग 1, 2 अथवा 3 के किसी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि को 3 वर्ष से परे किन्तु अधिक से अधिक 5 वर्ष तक बढ़ा सकेगा :

परन्तु यह और कि, यथास्थिति, बोर्ड/कार्यपालिका समिति, यदि निगम के हित में यह आवश्यक समझा जाए तो, किसी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि को, असाधारण योग्यता वाले कर्मचारियों की दशा में, 5 वर्ष के परे बढ़ा सकेगा ;

(ख) केन्द्रीय अथवा किसी राज्य सरकार अथवा निगम की सेवा से अधिवर्षता पर निवृत्त कर्मचारियों का अधिक से अधिक 2 वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियोजन द्वारा, किन्तु ऐसा पुनर्नियोजन प्रबंध निदेशक की श्रेणी से निम्नतर प्राधिकारी द्वारा मंजूर नहीं किया जाएगा।

परन्तु कार्यपालिका समिति (अथवा जहां निदेश बोर्ड नियुक्ति प्राधिकारी हो वहां वह बोर्ड) प्रवर्ग 1, 2 अथवा 3 के अधिकारियों की पुनर्नियोजन की अवधि को 2 वर्ष की अवधि से परे, किन्तु 60 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तक ही बढ़ा सकेगी।

(ग) अधिक से अधिक 1 वर्ष की अवधि के लिए, विशुद्धत: अस्थाई आधार पर;

(घ) ऐसे निबंधों और शर्तों पर जैसे कि बोर्ड द्वारा अवधारित किए जाएं, विशेष संविदा पर।

8. **पदों का सृजन** :

(1) निगम समय-समय पर अपने सेवागत प्रत्येक विवरण के पदों की संख्या का अवधारण करेगा।

(2) निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, उसके स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट विवरण के नए अथवा अतिरिक्त पदों का सृजन करने के लिए सशक्त होंगे।

सारणी

प्राधिकारी	पद का प्रवर्ग
(1)	(2)
बोर्ड अध्यक्ष	बोर्ड स्तर के नीचे का कोई पद।
	प्रवर्ग 1 का कोई पद जिसके वेतनमान का अधिकतम 1600 रुपए से अधिक न हो।
प्रबंध निदेशक	प्रवर्ग 2 और प्रवर्ग 1 के पद जिनके वेतनमान का अधिकतम 1250 रुपए से अधिक न हो।
कार्मिक प्रबंधक	प्रवर्ग 3 तथा 4 के पद
आंचलिक प्रबंधक	1. छह मास तक के लिए प्रवर्ग 2 के पद,
	2. 1 वर्ष तक के लिए प्रवर्ग 3 और 4 के पद।

(3) किसी नए पद का सृजन करते समय उस पद का सृजन करने वाला प्राधिकारी उस पद का वेतनमान (जो निगम द्वारा अपनाए गए मानक वेतनमानों से भिन्न न हो), उस पद पर नियुक्ति की रीति और अर्हताएं तथा उस पद के लिए लागू आयु सीमाएं, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट करेगा। तत्पश्चात्, ऐसा पद परिशिष्ट 1 में दी गई सारणी के उपयुक्त प्रवर्ग में सम्मिलित किया समझा जाएगा।

9. **सीधे भर्ती के लिए प्रक्रिया :**

3 मास से अधिक के लिए मंजूर किए गए पदों अथवा आरम्भतः 3 मास से कम के लिए मंजूर किए गए किन्तु 3 मास से परे तक बढ़ाये गए पदों पर सीधे भर्ती की दशा में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।

(क) **प्रवर्ग 3 तथा प्रवर्ग 4 के पद :**

रिक्तियां उस रोजगार कार्यालय या उन रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित की जाएंगी जिसको या जिनको अधिकारिता में वह नियुक्ति एकक है। यदि रोजगार कार्यालय अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे तो नियुक्ति प्राधिकारी उस क्षेत्र में, जो नियुक्ति एकक के अंतर्गत है, सर्वाधिक प्रचलित समाचार-पत्र अथवा समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी करने की व्यवस्था करेगा।

प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा और योग्य अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चयन, पद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, साक्षात्कार के आधार पर अथवा जहां परीक्षा लेना आवश्यक अथवा उपयुक्त समझा जाए वहां परीक्षा का आयोजन करके, किया जाएगा।

(ख) **प्रवर्ग 1 और 2 के पद :**

(i) नियुक्ति प्राधिकारी रिक्तियों को संबंधित प्रादेशिक रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित करेगा। साथ ही साथ वह समस्त भारत में प्रचलित कुछ प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करने की व्यवस्था करेगा अथवा कराएगा।

ऐसे विज्ञापन में यह उल्लेख किया जाएगा कि अन्य सभी बातें समान रहने की दशा में रोजगार कार्यालयों में रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दी जाएगी।

(ii) सभी प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन की जाएगी और प्रथमदृष्ट्या उपयुक्त समझे गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार विभिन्न प्रवर्गों के पदों के लिए समय-समय पर सम्यक रूप से गठित चयन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। चयन बोर्ड में 3 से कम सदस्य नहीं होंगे। चयन बोर्ड चयन योग्य अभ्यर्थियों की एक नामिका तैयार करेगा और उसे योग्यता के क्रमानुसार, अपनी सिफारिशों सहित, नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगा। साधारणतः नामिका में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या रिक्तियों की संख्या से डेढ़ गुणी होगी और नामिका, तैयार किए जाने की तारीख से 1 वर्ष तक विधिमान्य रहेगी। नियुक्ति प्राधिकारी सामान्यतः चयनबोर्ड द्वारा तैयार की गई सूची के अनुसार नियुक्तियां करेगा किन्तु यदि वह चयन बोर्ड की सिफारिशों से सहमत न हो तो सिफारिशों से असहमत होने के कारणों को लेखबद्ध करेगा तथा ऐसे आदेश देगा जैसे कि वह ठीक समझे।

(ग) **साधारण :**

(i) अभ्यर्थियों से, साक्षात्कार के लिए, अपने व्यय पर उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी :

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी प्रवर्ग 2 और प्रवर्ग 1 के पदों के लिए संयोजित साक्षात्करों की दशा में तथा विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऐसी दरों पर जैसी कि वह विनिर्दिष्ट करे, यात्रा भत्ता मंजूर कर सकेगा।

(ii) चयन किए गए उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे नियुक्ति से पूर्व, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त अनुमोदित अर्हितब चिकित्सा व्यवसाई के समक्ष, चिकित्सीय जांच के लिए उपस्थित हों। चिकित्सीय जांच के लिए संदेय फीस निगम देगा।

10. **प्रोन्नति के लिए प्रक्रियाएं :**

(i) कर्मचारिवृन्द विनियमों के परिशिष्ट 1 में उल्लिखित अचयन पदों के संबंध में प्रोन्नति वरिष्ठता के आधार पर, इस बात के अधीन रहते हुए कि कर्मचारी योग्य है, की जाएगी। अचयन पदों पर किसी कर्मचारी की योग्यता का निर्णय करने में नियुक्ति प्राधिकारी

ऐसे कर्मचारी की बाबत गोपनीय चरित्र पुस्तिका पर तथा निगम द्वारा विहित परीक्षा, यदि कोई हो, के परिणाम पर विचार करेगा।

(ii) कर्मचारि-वृन्द विनियमों के परिशिष्ट 1 में उपदर्शित चयन पद के संबंध में प्रोन्नति योग्यता के आधार पर की जाएगी, वरिष्ठता पर विचार केवल तभी किया जाएगा तब प्रतियोगी अभ्यर्थियों की योग्यता लगभग समान हो।

(iii) सभी प्रोन्नतियों पर इस प्रयोजन के लिए सम्यक् रूप से गठित प्रोन्नति बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा और वे निगम द्वारा, अभ्यर्थियों के चयन के क्षेत्र, नामिका के आकार तथा नामिका की अधिमान्यता की बाबत, समय-समय पर जारी किए गए साधारण निदेशों द्वारा विनियमित होंगी।

टिप्पणी : खाद्य महानिदेशालय में भारतीय खाद्य निगम के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करने के लिए पदस्थापित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को, जब तक निगम की सेवा में उन्हें स्थाई तौर पर आमेलित नहीं कर लिया जाता, निगम तथा केन्द्रीय सरकार के बीच आपसी तौर पर करार पाए गए सिद्धांतों के अनुसार विशुद्धतः अन्तरिम उपाय के रूप में, पदार्थ आधार पर, प्रोन्नत किया जा सकेगा।

11. निगम के अधीन सेवा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य प्रवर्गों के लिए आरक्षण :

निगम की सेवा में नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन-जातियां तथा अन्य व्यक्तियों के प्रवर्गों के लिए, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों के अनुसार, आरक्षण तथा रियायतें दी जाएंगी। प्रबंध निदेशक तदनुसार विस्तृत प्रशासनिक आदेश जारी कर सकेगा।

12. इन विनियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में व्यवस्था :

इन विनियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व की गई नियुक्तियों के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था की जाएगी, अर्थात्

(क) जहां नियुक्ति, जारी किए गए किसी विज्ञापन अथवा रोजगार कार्यालय को भेजी गई अध्यपेक्षा के आधार पर आवेदन करने वालों में से प्रतियोगतात्मक चयन के आधार पर की जाती है वहां वह नियुक्ति परिशिष्ट 1 में दी गई सारणी में तत्संबंधी पद में, निगम की सेवा में सीधे भर्ती द्वारा नियमित रूप से की गई नियुक्ति समझी जाएगी।

(ख) अन्य प्रत्येक मामले में नियुक्ति, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में जैसा उपयुक्त हो, विनियम 7 के खण्ड 3 के उप खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अनुसार 'तदर्थ आधार' पर की गई समझी जाएगी।

13. सेवा का आरम्भ :

यदि कर्मचारी पद पर कर्तव्य के लिए पूर्वाह्न में उपस्थित होता है तो सेवा का आरंभ उसी कार्यकारी दिन से समझा जाएगा और यदि वह कर्तव्य के लिए अपराह्न में उपस्थित होता है तो सेवा का आरम्भ पश्चात्वर्ती दिन से समझा जाएगा।

14. विश्वस्तता तथा गोपनीयता की घोषणा :

निगम को सेवा में प्रथम नियुक्ति के समय प्रत्येक व्यक्ति को पद ग्रहण करने के पूर्व अधिनियम की धारा 38 के अधीन यथापेक्षित विश्वस्तता और गोपनीयता की घोषणा करनी होगी।

15. परिवीक्षा :

(1) विनियम 7 के खण्ड (1) के उप-खण्ड (क) के अधीन निगम की सेवा में नियमित रूप से नियुक्त किए गए प्रत्येक व्यक्ति से, नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक, परिवीक्षा पर रहने की अपेक्षा की जाएगी।

(2) नियुक्त प्राधिकारी स्वविवेकानुसार परिवीक्षा की अवधि को अधिक से अधिक एक वर्ष तक और बढ़ा सकेगा।

(3) परिवीक्षा की अवधि के दौरान सीधे भर्ती किए गए कर्मचारी को,—

(क) यदि वह प्रवर्ग 1 अथवा प्रवर्ग 2 का कर्मचारी है तो उसे 30 दिन की सूचना देकर अथवा उसके बदले में वेतन देकर;

(ख) यदि वह प्रवर्ग 3 और 4 का कर्मचारी है तो उसे 7 दिन की सूचना देकर अथवा उसके बदले में वेतन देकर, कोई कारण समनुदिष्ट किए बिना, सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।

निम्नतर पद से उच्चतर पद पर प्रोन्नत किए गए कर्मचारी को बिना सूचना के तथा कोई कारण समनुदिष्ट किए बिना निम्नतर पद पर अवनत किया जा सकेगा।

(4) वह कर्मचारी जिसने किसी पद पर अपनी परिवीक्षा सन्तोषप्रद रूप से पूरी कर ली हो तदुपरान्त यथासंभव शीघ्र पुष्ट कर दिया जाएगा।

(5) जहां किसी कर्मचारी ने किसी पद पर नियमित नियुक्ति होने के ठीक पूर्व किसी पद पर अविच्छिन्न अस्थाई सेवा की हो अथवा प्रतिनियुक्ति पर अविच्छिन्न सेवा की हो तो इस प्रकार अस्थाई रूप से अथवा प्रतिनियुक्ति पर की गई सेवा की अवधि की गणना, यदि नियुक्ति प्राधिकारी ऐसा निदेश दे तो, परिवीक्षा की अवधि में की जाएगी।

16. वरिष्ठता :

नियुक्त किए गए कर्मचारियों की वरिष्ठता निम्नलिखित प्रकार से अवधारित होगी :

(4) सीधे भर्ती कर्मचारी :

सीधे भर्ती कर्मचारियों की सापेक्ष वरिष्ठता उस योग्यता क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी जिस क्रम में चयन प्राधिकारी

ने ऐसी नियुक्ति के लिए उनका चयन किया हो; पूर्वतर चयन के परिणाम के अनुसार नियुक्त व्यक्ति तदुपरान्त चयन के परिणाम-स्वरूप नियुक्त व्यक्तियों से वरिष्ठ होंगे।

(2) **प्रोन्नति कर्मचारी :**

विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नत व्यक्तियों की सापेक्ष वरिष्ठता विनियम 10 के अनुसार तैयार की गई नामिका में उनके नामों के क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी :

परन्तु उस कर्मचारी की वरिष्ठता, जो प्रोन्नति पाना अस्वीकार कर देता है, निगम द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रशासनिक निदेशों के अनुसार परिवर्तित की जा सकेगी।

(ख) जहां किसी ग्रेडों में प्रोन्नतियां एक से अधिक ग्रेडों में से की जानी हों वहां पात्र व्यक्तियों को एक पृथक् सूची में उनके अपने-अपने ग्रेडों में सापेक्ष वरिष्ठता के क्रम के अनुसार रखा जाएगा। तब चयन समिति प्रोन्नति के लिए प्रत्येक सूची में से, विहित संख्या तक व्यक्तियों का चयन करेगी और विभिन्न सूचियों में से चयन किए गए सभी अभ्यर्थियों को एक समकित योग्यता-क्रम में व्यवस्थित करेगी। यही क्रम उच्चतर ग्रेडों में प्रोन्नति के लिए उन व्यक्तियों को वरिष्ठता अवधारित करेगा।

(3) **सीधे भर्ती और प्रोन्नत कर्मचारियों की सापेक्ष वरिष्ठता :**

सीधे भर्ती और प्रोन्नत कर्मचारियों की सापेक्ष वरिष्ठता, सीधे भर्ती और प्रोन्नत कर्मचारियों के बीच रिक्तियों के चक्रानुक्रम के अनुसार, जिसका आधार, यथास्थिति, सीधे भर्ती तथा प्रोन्नत कर्मचारियों के लिए आरक्षित संख्या के अनुसार होगी, अवधारित की जाएगी।

(4) **अन्तरित कर्मचारी :**

(क) निगम में अंतरित, खाद्य विभाग के कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता खाद्य विभाग में उनकी सापेक्ष वरिष्ठता क्रम के अनुसार होगी, चाहे निगम में उनकी वास्तविक नियोजन की तारीख कोई भी क्यों न हो। क्षेत्रीय निदेशालय के उस कर्मचारी की वरिष्ठता जो, निगम द्वारा उसके नियोजन की तारीख को, अस्थाई अन्तरण के आधार पर अधिप्राप्ति संगठन में कार्य कर रहा हो, क्षेत्रीय निदेशालय में उसकी वरिष्ठता के आधार पर अवधारित की जाएगी।

(ख) यदि खाद्य विभाग के एक अथवा अधिक ग्रेडों के कर्मचारियों को निगम में एक सामान्य ग्रेड में समामेलित कर दिया जाए तो उनकी पारस्परिक वरिष्ठता तत्सम ग्रेडों में अविच्छिन्न सेवा की अवधि के आधार पर अवधारित की जाएगी।

(5) **खाद्य विभाग से अन्तरित कर्मचारियों और निगम के सीधे भर्ती कर्मचारियों की सापेक्ष वरिष्ठता :**

खाद्य विभाग से निगम को अंतरित कर्मचारियों और निगम द्वारा नियोजित सीधे भर्ती कर्मचारियों के बीच वरिष्ठता निगम में, संबंधित ग्रेड में, अविच्छिन्न सेवा की अवधि के संदर्भमें, जिसमें विभाग में उपयुक्त तत्सम ग्रेड या ग्रेडों में सेवा भी है, अवधारित की जाएगी। तथापि वरिष्ठता का ऐसा अवधारण खाद्य विभाग से निगम को अन्तरित कर्मचारियों की, ऊपर मद (4) के अनुसार, पारस्परिक वरिष्ठता पर, तथा निगम द्वारा नियोजित अन्य व्यक्तियों को, ऊपर मद (1) से लेकर (3) तक के अनुसार, पारस्परिक वरिष्ठता पर, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

(6) **निगम की सेवा में आमेलित प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों की वरिष्ठता :**

निगम की सेवा में आमेलित प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को वरिष्ठता आमेलन की शर्तों के संदर्भ में अवधारित की जाएगी।

(7) **एक एकक से दूसरे एकक में अन्तरित कर्मचारियों की सापेक्ष वरिष्ठता :**

वरिष्ठता के एक एकक से दूसरी एकक में अंतरित कर्मचारी अन्य एकक में पद ग्रहण करने की तारीख को उस विशिष्ट प्रवर्ग में रैंक में सबसे कनिष्ठ होगा। तथापि, यदि सक्षम प्राधिकारी की राय में ऐसा अन्तरण निगम के हित में है तो अन्तरिति की वरिष्ठता का नए एकक में निर्धारण, पुराने एकक में उस विशिष्ट प्रवर्ग में वरिष्ठता के लिए गणना में ली गई सेवा को पूर्णरूपेण गणना में लेकर किया जाएगा।

17. **स्थानान्तरण तथा दौरे :**

कर्मचारी को निगम की सेवा में भारत में कहीं भी सेवा करनी होगी तथा अपने पद के कर्तव्य' के क्रम में भारत के भीतर अथवा बाहर किसी भी स्थान को दौरे पर जाना होगा।

18. **निगम के अधिकारियों को अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्ति :**

निगम के कर्मचारियों को अन्य संगठनों में (जिसमें केन्द्रीय/राज्य सरकार भी हैं), प्रबंध निदेशक के पूर्वानुमोदन से, प्रतिनियुक्ति किया जा सकेगा। ऐसे कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति निगम तथा प्रतिनियुक्ति पर लेने वाले प्राधिकारी के बीच करार पाई गई शर्तों के अनुसार शासित होंगी।

19. **सेवा की समाप्ति और सेवोन्मुक्ति :**

(1) उस कर्मचारी की सेवा जो निगम में किसी पद पर नियमित आधार पर नियुक्त किया गया हो और जिसने अपनी परिवीक्षा की अवधि संतोषप्रद रूप से पूरी कर ली हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा, ऐसे कर्मचारी को नब्बे दिनों की सूचना देकर अथवा उसके बदले में वेतन देकर, समाप्त की जा सकेगी :

परन्तु अन्तरित कर्मचारी की सेवाएं पदों के उत्पादन अथवा उनकी संख्या घटाए जाने से परिणामस्वरूप के सिवाय समाप्त नहीं की जाएंगी। सेवा की, ऐसे उत्पादन अथवा संख्या के घटाए जाने से परिणामित समाप्ति निगम में संबद्ध ग्रेड में कनिष्ठता के क्रम से होगी और ऐसी दशाओं में सूचना की अवधि और उसके बदले में वेतन उस अवधि से अथवा उसके बदले में उस वेतन से कम नहीं होगी अथवा होगा जिसका हकदार ऐसा अंतरित कर्मचारी सरकारी सेवा में बने रहे आने की दशा में होता :

परन्तु यह और कि वह अंतरित कर्मचारी जिसे निगम में किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया गया हो, उस उच्चतर पद का उत्पादन अथवा पदों की संख्या घटाए जाने की दशा में, उस ग्रेड में पदावनत कर दिया जाएगा जिससे उसकी प्रोन्नति हुई हो।

(2) विनियम 7 के खण्ड (3) के उप-खण्ड (ख) अथवा उपखण्ड (ग) के अधीन नियुक्त किए गए किसी कर्मचारी की सेवाएं सक्षम प्राधिकारी द्वारा :

(क) यदि वह प्रवर्ग 1 अथवा 2 का कर्मचारी है तो उसे तीस दिन की सूचना देकर अथवा उसके बदले मे वेतन देकर;

(ख) यदि वह प्रवर्ग 3 अथवा 4 का कर्मचारी है तो उसे सात दिन की सूचना अथवा उसके बदले में वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।

(3) इस विनियम के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी से निम्नतर श्रेणी का प्राधिकारी नहीं होगा।

(4) इस विनियम की कोई बात समुचित प्राधिकारी द्वारा किसी कर्मचारी को अनुशासनिक कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप, अथवा विनियम (22) के अधीन सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित उपबन्धों के अनुसरण में, पदच्युत करने, सेवा मे न हटाने अथवा अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त करने के अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

20. अन्तरित कर्मचारियों की सुरक्षा के उपाय :

निगम के समापन अथवा पदों के उत्पादन अथवा घटाए जाने के परिणामस्वरूप फालतू हो जाने वाले अन्तरित कर्मचारियों का केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिनियोजन परिशिष्ट 3 में दिए गए अनुदेशों द्वारा विनियमित होगा।

21. पदत्याग :

(1) कोई भी कर्मचारी निगम की सेवा से बिना ऐसी सूचना दिए पद त्याग नहीं कर सकेगा जैसी कि समतुल्य रैंक के किसी कर्मचारी को, यथास्थिति विनियम 19 के अधीन अथवा विनियम 15(3) के अधीन, उस दशा में प्राप्त करता जब उसकी सेवा समाप्त की जाती अथवा जब उसे ऐसी सूचना के बदले में प्रतिकर दिया जाता :

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी को ऐसी सूचना का अधित्यजन करने की स्वतन्त्रता होगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पद त्याग को तुरन्त प्रभावी रूप से स्वीकार कर सकेगा अथवा सूचना की अवधि के अवसान के पूर्व किसी भी समय स्वीकार कर सकेगा किन्तु ऐसी दशा में कर्मचारी को उसके द्वारा दी गई सूचना की अनअवसित अवधि के सम्बन्ध में वेतन दिया जाएगा। किसी कर्मचारी के अनुरोध पर और भी कम अवधि की सूचना स्वीकार करने की दशा में वह कर्मचारी केवल उस अवधि की बाबत वेतन और भत्ते पाने का हकदार होगा जो उसने निगम में वस्तुतः कर्त्तव्यारूढ़ रह कर व्यतीत की हो।

(3) बिना उचित सूचना दिए निगम की सेवा छोड़ने वाला कर्मचारी इन विनियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई का भागी होगा।

22. अधिवर्षिता पर निवृत्ति अथवा सेवा निवृत्ति :

(1) निगम की सेवा में नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी 58 वर्ष का होने पर सेवा निवृत्त हो जायेगा।

(2) खण्ड 1 में किसी बात के होते हुए भी :

(क) समुचित प्राधिकारी को यदि उसकी राय हो कि ऐसा करना निगम के हित में है तो इस बात का पूर्ण अधिकार होगा कि वह—

(i) प्रवर्ग 1 अथवा प्रवर्ग 2 के अधिकारी को, उसे कम से कम 3 मास की लिखित सूचना देकर अथवा उस सूचना के बदले में तीन मास का वेतन और भत्ते देकर

(क) यदि वह निगम की सेवा में 35 वर्ष की आयु होने से पूर्व प्रविष्ट हुआ हो तो उसकी आयु 50 वर्ष हो जाने के पश्चात्,

(ख) किसी अन्य दशा में उसकी आयु 55 वर्ष हो जाने के पश्चात् सेवा निवृत्त कर दें।

(ii) निगम के प्रवर्ग 1 अथवा प्रवर्ग 2 का कोई अधिकारी यदि वह निगम की सेवा में 35 वर्ष की आयु का हो जाने के पूर्व प्रविष्ट हुआ हो तो 50 वर्ष की आयु का हो जाने के पश्चात् और अन्य सभी दशाओं में 55 वर्ष की आयु का हो जाने के पश्चात् समुचित प्राधिकारी को कम से कम तीन मास की लिखित सूचना देकर निगम की सेवा से निवृत्त हो सकेगा।

(ख) (i) समुचित प्राधिकारी को यदि उसकी यह राय हो कि ऐसा करना निगम के हित में है तो इस बात का पूर्ण अधिकार होगा कि वह निगम के प्रवर्ग 3 के किसी कर्मचारी को उस कर्मचारी की आयु 30 वर्ष की हो जाने के पश्चात् उसे कम से कम तीन मास की लिखित सूचना देकर अथवा ऐसी सूचना के बदले में तीन मास का वेतन और भत्ते देकर सेवा निवृत्त कर दे।

(ii) निगम का प्रवर्ग 3 का कोई कर्मचारी यदि वह 30 वर्ष सेवा कर चुका हो तो समुचित प्राधिकारी को कम से कम तीन मास की लिखित सूचना देकर निगम की सेवा से निवृत्त हो सकेगा।

(3) खण्ड 1 और खण्ड 2 में की कोई बात सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी कर्मचारी को सम्यक् सूचना देकर अथवा उसके बदले में वेतन देकर उस दशा में निवृत्त कर देने के अधिकार पर प्रभाव डालने वाली नहीं होगी जब किसी ऐसे स्वास्थ्य परीक्षक द्वारा जिसे प्राधिकारी इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट कर ऐसा प्रमाणित किया जाए कि वह कर्मचारी लगातार बीमारी अथवा दुर्घटना के कारण और आगे निरन्तर सेवा करने योग्य नहीं रह गया।

(4) सक्षम प्राधिकारी अपना यह समाधान हो जाने पर कि कोई कर्मचारी लगातार बीमारी अथवा दुर्घटना के कारण और आगे निरन्तर सेवा करने योग्य नहीं रह गया है, उस कर्मचारी को उसके अपने अनुरोध पर सेवा निवृत्त होने की आज्ञा दे सकेगा :

परन्तु इस खण्ड के अधीन कार्रवाई करने से पूर्व ऐसे प्राधिकारी को उस कर्मचारी से यह अपेक्षा करने की स्वतन्त्रता होगी कि वह कर्मचारी किसी ऐसे स्वास्थ्य परीक्षक से, जो इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाए, स्वास्थ्य परीक्षा कराए ।

(5) इस विनियम के प्रयोजन के लिए, किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी वह प्राधिकारी होगा जो समतुल्य रैंक के किसी कर्मचारी की सेवा विनियम 19 के खण्ड 1 के अधीन समाप्त करने के लिए सक्षम हो ।

अनुभाग 3

छुट्टी और कार्य आरम्भ काल

23. **छुट्टी की किस्में :**

(1) कर्मचारी निम्नलिखित प्रकार की छुट्टियां ले सकेंगे अर्थात् :—

(क) अर्जित छुट्टी

(ख) बीमारी की छुट्टी

(ग) प्रसूति छुट्टी

(घ) असाधारण छुट्टी

टिप्पण : इसके अतिरिक्त निगम के कर्मचारियों को, निगम द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार आकस्मिक छुट्टी, विशेष आकस्मिक छुट्टी, सगरोध छुट्टी, अध्ययनार्थ छुट्टी, विशेष निर्योग्यता छुट्टी और सेवा समाप्ति छुट्टी मजूर की जा सकेंगी ।

(2) अन्तरित कर्मचारी अधिनियम की धारा 12क के अनुसार लिखित रूप में इस आशय के विकल्प का प्रयोग कर सकेंगे कि वे निगम के छुट्टी नियमों से शासित होना चाहते हैं अथवा केन्द्रीय सरकार, के समय समय पर संशोधित छुट्टी नियमों से, तथा ऐसा विकल्प अन्तिम होगा । नियत तारीख तक विकल्प का प्रयोग न करने वालों के सम्बन्ध में यह समझा जाएगा कि उन्होंने निगम के छुट्टी नियमों के पक्ष में विकल्प का प्रयोग किया है ।

स्पष्टीकरण : अन्तरित कर्मचारियों के लेखाओं में [जितनी भी अर्जित छुट्टी/अर्द्धवेतन छुट्टी निगम में सम्मेलित किए जाने की तारीख को होगी वह अग्रनीत की जाएगी । उन अन्तरित कर्मचारियों को जो निगम के छुट्टी नियमों के पक्ष में विकल्प करते हैं, अन्तरण की तारीख को उनके लेखाओं में जितनी अर्द्धवेतन छुट्टी होगी उसका उपयोग केन्द्रीय सरकार के छुट्टी नियमों के अनुसार करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

24. **छुट्टी की मंजूरी की बाबत साधारण शर्तें :**

कर्मचारियों को छुट्टी की मंजूरी निम्नलिखित साधारण सिद्धांतों से शासित होगी :

(i) छुट्टी का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकेगा । जब निगम सेवाओं की अभ्यावश्यकता से ऐसा अपेक्षित हो तब किसी भी प्रकार की छुट्टी देने से इनकार, उसे स्थगित करने, कम करने अथवा प्रतिसंहृत करने का अथवा छुट्टी पर गए हुए किसी कर्मचारी को वापिस बुलाने का विवेकाधिकार उस प्राधिकारी के हाथ में होगा जो छुट्टी मंजूर करेगा ।

(ii) विनियम 23 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी कर्मचारी की सेवा की निगम से समाप्ति पर, चाहे वह सेवोन्मुक्ति के परिणामस्वरूप हुई हो अथवा पदच्युति, निवृत्ति, मृत्यु अथवा किसी अन्य कारण से, सभी छुट्टियां समाप्त हो जायेंगी ।

(iii) कोई भी कर्मचारी छुट्टी के दौरान कोई अन्य सेवा नहीं कर सकेगा अथवा कोई रोजगार स्वीकार नहीं करेगा ।

(iv) छुट्टी का उपभोग सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी अभिप्राप्त किए बिना नहीं किया जाएगा; ऐसी मंजूरी के लिए आवेदन सक्षम प्राधिकारी को यथेष्ट समय पूर्व ही करना होगा । यदि कोई कर्मचारी अनवेक्षित परिस्थितियों के कारण कर्त्तव्य से अनुपस्थित होने के लिए बाध्य हो जाए तो उस दशा में उसे अवसर मिलते ही यथाशीघ्र छुट्टी की मंजूरी के लिए आवेदन करना होगा ।

(v) कर्मचारी से अपेक्षा की जाती है कि वह मंजूर की गई पूरी छुट्टी का उपभोग करने के पश्चात् ही कार्य पर वापिस आयगा वह सक्षम प्राधिकारी, की अनुज्ञा के सिवाए ऐसी छुट्टी के अवसान से पूर्व कर्त्तव्य पर वापिस नहीं आ सकेगा :

परन्तु वह कमचारी जिसे आकस्मिक छुट्टी मंजूर की गई हो ऐसी छुट्टी के अवसान के पूर्व किसी भी समय मंजूर की गई छुट्टी की पूरी अवधि का उपभोग किए बिना ही कर्तव्य पर वापिस आ सकेगा ।

(vi) जो कर्मचारी अपनी छुट्टी की समाप्ति के पश्चात् अनुपस्थित रहेगा । वह ऐसी अनुपस्थिति की अवधि के लिए छुट्टी वेतन का हकदार नहीं होगा और, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे, छुट्टी के पश्चात् अनधिकृत अनुपस्थिति असाधारण छुट्टी मानी जाएगी । जो कर्मचारी छुट्टी के अवसान के पश्चात् कर्त्तव्य से जानबूझ कर अनुपस्थित रहेगा अनुशासनिक कार्रवाई का भागी होगा ।

(vii) छुट्टी अवकाश के पूर्व और/अथवा पश्चात् जोड़ी जा सकेगी किन्तु, आकस्मिक अथवा विशेष आकस्मिक छुट्टी के सिवाए, छुट्टी की अवधि के दौरान आने वाले अवकाश की गणना छुट्टी के भाग के रूप में की जाएगी ।

(viii) छुट्टी का आरम्भ उस दिन से होगा जिस दिन प्रभार सौंपा जाए पर यह तब जब कि प्रभार पूर्वाह्न में सौंपा जाए; यदि प्रभार अपराह्न में सौंपा जाए तो छुट्टी का आरम्भ प्रभार सौंपने के दिन के अगले दिन से होगा : छुट्टी उस दिन से पूर्वतर

दिन समाप्त होगी जिस दिन प्रभार पुनः ग्रहण किया जाएगा यदि प्रभार पूर्वाह्न में ग्रहण किया जाए और यदि प्रभार की पुनः ग्रहण अपराह्न में हो तो छुट्टी उस दिन समाप्त होगी जिस दिन प्रभार पुनः ग्रहण किया जाता है ।

(ix) किसी भी प्रकार की छुट्टी अन्य किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ मिलाकर अथवा उसी तारतम्य से मंजूर की जा सकेगी :

परन्तु आकस्मिक छुट्टी, किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के, सिवाए विशेष आकस्मिक छुट्टी के, तारतम्य में अथवा उसके साथ मिलाकर नहीं ली जा सकेगी ।

(x) सिवाए वहां के जहां अन्यथा उपबन्धित है, प्रतिनियुक्ति कर्मचारी, आकस्मिक छुट्टी/विशेष आकस्मिक छुट्टी के सम्बन्ध में के सिवाए, अपने मूल विभाग में लागू छुट्टी नियमों से शासित होगा ।

(xi) छुट्टी पर जाने से पूर्व कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी को अपना वह पता जो छुट्टी के दौरान होगा संसूचित करेगा और समय समय पर पते में परिवर्तन की जानकारी उक्त प्राधिकारी को देता रहेगा ।

(xii) किसी भी कर्मचारी को निरन्तर पांच वर्ष की अवधि से अधिक के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी जो कर्मचारी उस अवधि के पश्चात् अनुपस्थित रहेगा वह निगम का कर्मचारी नहीं रहेगा ।

(xiii) किसी कर्मचारी द्वारा आवेदित प्रकार की छुट्टी में, यदि वह उसके लेखे में हो तो, छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा ।

25. **अर्जित छुट्टी :**

(1) प्रत्येक कर्मचारी को कर्तव्य पर व्यतीत की गई अवधि पर 1/11 की दर से अर्जित छुट्टी प्रोद्भूत होगी । इस प्रयोजन के लिए, "कर्तव्य" से निगम की सेवा में व्यतीत अवधि अभिप्रेत है किन्तु उसमें से आकस्मिक छुट्टी, विशेष आकस्मिक छुट्टी और मंगरोध छुट्टी के सिवाए अन्य हर प्रकार की छुट्टी की अवधि अपवर्जित कर दी जाएगी । अर्जित छुट्टी की वह अधिकतम अवधि जो किसी कर्मचारी द्वारा संचित की जा सकेगी 180 दिन होगी । एक समय में अधिक से अधिक 120 दिन की छुट्टी मंजूर की जा सकेगी ।

(2) सक्षम प्राधिकारी किसी भी कर्मचारी को जिसने निरन्तर 36 मास की अवधि में कोई अर्जित छुट्टी नहीं ली हो, ऐसी अवधि के लिए जैसी कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए और जो अधिक से अधिक 30 दिन की हो, अर्जित छुट्टी पर जाने के लिए बाध्य कर सकेगा ।

(3) अर्जित छुट्टी लेने वाला कर्मचारी अर्जित छुट्टी की अवधि के दौरान उतना छुट्टी वेतन लेगा जितना कि वह छुट्टी पर जाने वाले दिन से पूर्वतर दिन ले रहा था तथा, उसके अनुरूप भत्ते, सवारी भत्ते से भिन्न, लेगा ।

26. **बीमारी की छुट्टी :**

(1) प्रत्येक कर्मचारी चिकित्सीय प्रमाणपत्र के आधार पर, सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष पर 30 दिन की दर से, बीमारी छुट्टी लेने का हकदार होगा । ऐसी छुट्टी निगम में उसकी समस्त सेवा अवधि के दौरान अधिक से अधिक 24 मास तक होगी । इस प्रयोजन के लिए "चिकित्सीय प्रमाणपत्र" से किसी प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा, कर्मचारी की चिकित्सीय परिचर्या के लिए प्रतिपूर्ति को विनियमित करने वाले उपबंधों के अधीन दिया गया प्रमाणपत्र अभिप्रेत है :

परन्तु सक्षम प्राधिकारी ऐसी छुट्टी मंजूर करने से पूर्व कर्मचारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह किसी ऐसे अन्य चिकित्सक से जो केन्द्रीय या राज्य सरकार या निगम की सेवा में हो, जिसे सक्षम अधिकारी विहित करे, चिकित्सीय प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करे ।

(2) किसी कर्मचारी को, जिसे बीमारी की छुट्टी मंजूर की गई हो, तब तक कर्तव्य पर वापिस आने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वह प्राधिकृत चिकित्सक से, अथवा जहां सक्षम प्राधिकारी ऐसी वांछा करे वहां पूर्ववर्ती विनियम के परन्तुक में विनिर्दिष्ट प्रकार के चिकित्सक से, स्वस्थता प्रमाणपत्र अभिप्राप्त नहीं कर लेता ।

(3) (क) बीमारी की छुट्टी की अवधि के दौरान कर्मचारी, छुट्टी पर जाने के पूर्ववर्ती दिन लिए गए वेतन के आधे के समतुल्य छुट्टी वेतन तथा, ऐसे आधे वेतन पर जितना उपयुक्त हो उतना, महंगाई भत्ता लेने का हकदार होगा । बीमारी की छुट्टी के दौरान कर्मचारी अधिक से अधिक 120 दिन की अवधि तक मकान किराया भत्ता और प्रतिकरात्मक भत्ता उसी दर से पाने का हकदार होगा जिस दर पर वह यह भत्ते बीमारी की छुट्टी पर जाने से पूर्व ले रहा था ।

परन्तु प्रबन्ध निदेशक किसी ऐसे कर्मचारी की दशा में जो दीर्घ चिकित्सीय उपचार करा रहा हो, 120 दिन की सीमा को शिथिल कर सकेगा ।

(ख) 120 दिन से अधिक अवधि की बीमारी की छुट्टी के दौरान यह भत्ते केवल तभी लिए जा सकेंगे जब ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाए जैसा कि प्रबन्ध निदेशक समय-समय पर विहित करे ।

(ग) बीमारी की छुट्टी की अवधि के दौरान कर्मचारी सवारी भत्ता लेने का हकदार नहीं होगा ।

(घ) 'आधे वेतन पर बीमारी की छुट्टी' की कोई भी अवधि, कर्मचारी के विकल्प पर, आधी अवधि तक के लिए, 'पूरे वेतन पर बीमारी की छुट्टी,' में संपरिवर्तित की जा सकेगी तथा इस प्रकार संपरिवर्तित छुट्टी का दुगुना बीमारी छुट्टी लेखा के नाम खाते डाला जाएगा ।

27. **प्रसूति छुट्टी :**

(1) विनियम 7 के खण्ड 1 के अधीन निगम की सेवा में नियुक्त महिला कर्मचारी को प्रसूति छुट्टी मंजूर की जा सकेगी जो आरम्भ होने की तारीख से तीन मास तक अथवा प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह की समाप्ति तक, दोनों में से जो भी अवधि कम हो, मंजूर की जा सकेगी, परन्तु कर्मचारी को सेवा की सम्पूर्ण अवधि के दौरान ऐसी छुट्टी 12 मास से अधिक की नहीं होगी ।

टिप्पणी : "गर्भपात, जिसके अन्तर्गत गर्भश्राव भी है, की दशा में भी महिला कर्मचारी को, चिकित्सीय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर, छह सप्ताह तक की प्रसूति छुट्टी मंजूर की जा सकेगी ।

(2) प्रसूति छुट्टियों के दौरान महिला कर्मचारी उतने वेतन के समतुल्य छुट्टी वेतन तथा उस वेतन के अनुरूप भत्ते भी, सिवाए सवारी भत्ते के, लेगी जो वह ऐसी छुट्टी पर जाने के दिन से पूर्ववर्ती दिन ले रही थी ।

28. **असाधारण छुट्टी :**

(1) विशेष परिस्थितियों में, जब कर्मचारी को कोई अन्य छुट्टी अनुज्ञात न हो, अथवा जहां अन्य छुट्टी अनुज्ञात होने पर भी कोई कर्मचारी असाधारण छुट्टी की मंजूरी के लिए आवेदन करे, असाधारण छुट्टी मंजूर की जा सकेगी ।

(2) (क) असाधारण छुट्टी के दौरान कर्मचारी छुट्टी वेतन, महंगाई भत्ता अथवा सवारी भत्ता लेने का हकदार नही होगा । तथापि, वह अधिक से अधिक 120 दिन की अवधि तक, मकान किराया भत्ता तथा प्रतिकरात्मक भत्ता, उसी दर पर प्राप्त करने का हकदार होगा जिस दर पर यह भत्ते छुट्टी पर जाने से पूर्व ले रहा था :

परन्तु प्रबन्ध निदेशक किसी ऐसे कर्मचारी की दशा में जो दीर्घ चिकित्सीय उपचार करा रहा हो, 120 दिन की सीमा को शिथिल कर सकेगा ।

(ख) 120 दिन से अधिक अवधि की असाधारण छुट्टी के दौरान यह भत्ते केवल तभी लिए जा सकेंगे जब ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया जाए जैसा कि प्रबन्ध निदेशक समय-समय पर विहित करे ।

29. **सक्षम प्राधिकारी :**

निगम समय-समय पर विभिन्न प्रकार की छुट्टियां मंजूर करने के लिए तथा विभिन्न प्रवर्गों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में इस अध्याय में वर्णित अन्य शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम प्राधिकारी विहित कर सकेगा ।

30. **कार्य आरम्भ काल :**

(1) कर्मचारी को कार्य आरम्भ के लिए समय दिया जा सकेगा ताकि वह—

(क) उस नये पद पर कार्य आरम्भ कर सके जिसमें उसकी नियुक्ति पुराने पद पर कर्त्तव्यारूढ़ रहने के दौरान की गई हो; अथवा

(ख) छुट्टी से वापिस आने पर नये पद पर कार्य आरम्भ कर सके ।

(2) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए कार्य आरम्भ काल को कर्त्तव्य के रूप मे माना जाएगा ।

(3) जहां नये पद पर नियुक्ति के कारण एक आस्थान से दूसरे आस्थान को आवास का परिवर्तन न करना पड़े वहां कार्य आरम्भ काल एक दिन से अधिक नही होना चाहिए । इस खण्ड के प्रयोजन के लिए अवकाश का दिन एक दिन के रूप में गिना जाएगा ।

(4) ऐसे स्थानान्तरण के लिए जिसमें आस्थान का परिवर्तन करना पड़े, तैयारी के लिए छह दिन और उसके अतिरिक्त वास्तविक यात्रा के लिए निम्नलिखित प्रकार से संगणित अवधि अनुज्ञात की जाएगी ।

(क) कर्मचारी को :

(i) यात्रा के उस भाग के लिए जो वायुयान द्वारा की जाए · · · · · यात्रा पर लगा वास्तविक समय ।

(ii) यात्रा के उस भाग के लिए जो निम्नलिखित प्रकार से की जाए अथवा की जा सकती हो :

रेल द्वारा · · · · · ·

प्रत्येक 500 किलोमीटर के लिए · · · · · एक दिन

समुद्री जहाज द्वारा · · · · · · · · · · ·

प्रत्येक 550 किलोमीटर के लिए · · · · एक दिन

नदी स्टीमर द्वारा · · · · ·

प्रत्येक 150 किलोमीटर के लिए · · · · · एक दिन

अथवा अधिक समय जो यात्रा में वास्तव में लगे ।

मोटर वाहन अथवा घोड़ा गाड़ी द्वारा · · · · · ·

प्रत्येक 150 किलोमीटर के लिए · · · · · एक दिन

किसी अन्य साधन से · · · · ·

प्रत्येक 25 किलोमीटर के लिए · · · · · · एक दिन

(ख) (i) खण्ड (क) (i) के अधीन विमान द्वारा यात्रा के प्रयोजन के लिए दिन का कोई भाग एक दिन के रूप में माना जाएगा ।

(ii) खण्ड (क) (ii) में विहित किसी दूरी के अंश के लिए भी एक दिन अनुज्ञात होगा ।

(ग) यात्रा के आरम्भ में अथवा अन्त में रेल स्टेशन या स्टीमर घाट से अथवा को की गई आठ किलोमीटर से अनधिक की सड़क यात्रा की गणना कार्य आरम्भ काल में नहीं की जाएगी ।

(घ) इस खण्ड में संगणना के प्रयोजन के लिए रविवार की गणना दिन के रूप में नही की जाएगी ।

(ङ) यदि कार्य आरम्भ काल की समाप्ति के ठीक अगले दिन अवकाश अथवा निरन्तर अवकाश हो तो कर्मचारी ऐसे अवकाश या निरन्तर अवकाश के पश्चात् के ठीक अगले दिन कार्य ग्रहण के लिए उपस्थित हो सकेगा ।

(5) किसी कर्मचारी का स्थानान्तरण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कार्य आरम्भ काल को उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जायेंगे, कम किया जा सकेगा अथवा बढ़ाया जा सकेगा ।

(6) जो कर्मचारी कार्य आरम्भ काल के भीतर अपने नए पद का कार्य ग्रहण नहीं करता कार्य आरम्भ काल की समाप्ति के पश्चात् कोई वेतन अथवा छुट्टी वेतन पाने का हकदार नही होगा । जो कर्मचारी कार्य आरम्भ काल के अवसान के पश्चात् कर्तव्य से जानबूझ कर अनुपस्थित रहेगा उसके विरुद्ध इन विनियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी ।

अनुभाग 4

आचरण सम्बन्धी विनियम

31. साधारण :

प्रत्येक कर्मचारी सदैव :

(क) पूर्णरूपेण सत्यनिष्ठ रहेगा;

(ख) कर्तव्य परायण रहेगा;

(ग) अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और और विनियमों के उपबन्धों के अनुरूप कार्य करेगा तथा उनका पालन करेगा;

(घ) निगम की सेवा में जिस किसी व्यक्ति या जिन किन्हीं व्यक्तियों का वह अधीनस्थ हो, उनके द्वारा उसके पदीय कर्तव्यों के दौरान उसे समय-समय पर दिए गए सभी विधि पूर्ण आदेशों और निदेशों का अनुपालन तथा आज्ञानुवर्तन करेगा ।

32. प्रत्येक कर्मचारी निगम की सेवा ईमानदारी तथा निष्ठा के साथ करेगा और निगम के हित के उन्नयन के लिए भरसक प्रयत्न करेगा । वह सभी कार्यों में सौहार्द तथा सतर्कता बरतेगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो निगम के कर्मचारी के लिए अनुचित होगा ।

(33) निगम का प्रश्रय प्राप्त प्राईवेट फर्मों में कर्मचारियों के निकट सम्बन्धियों का नियोजन :

(1) कोई भी कर्मचारी अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए किसी ऐसे प्राइवेट व्यापारिक संस्थान/फर्म (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'फर्म' कहा गया है) में, जिसके साथ उसका पदीय सम्बन्ध हो, अपने कुटुम्ब के किसी भी सदस्य को रोजगार दिलाने के लिए प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः अपनी हैसियत या प्रभाव का प्रयोग नहीं करेगा ।

(2) (i) प्रवर्ग 1 का कोई अधिकारी, निगम के पूर्वानुमोदन के सिवाए, अपने पुत्र, पुत्री अथवा अन्य आश्रित को किसी ऐसी प्राइवेट फर्म में, जिसके साथ उसका पदीय सम्बन्ध हो, अथवा किसी ऐसी अन्य फर्म में जिसके साथ निगम का कारोबारी सम्बन्ध हो, रोजगार स्वीकार करने की अनुज्ञा नहीं देगा :

परन्तु यह कि जहां रोजगार की स्वीकृति के लिए निगम की पूर्वानुज्ञा की प्रतीक्षा न की जा सके अथवा जहां अन्यथा आवश्यक समझा जाए वहां, उसकी सूचना निगम को दी जाएगी; तथा एक वह रोजगार निगम की अनुज्ञा के अधीन रहते हुए अनन्तिम रूप से स्वीकार किया जा सकेगा ।

(ii) कर्मचारी को जैसे ही अपने परिवार के किसी सदस्य द्वारा किसी प्राइवेट फर्म में रोजगार स्वीकार करने की जानकारी प्राप्त हो वैसे ही वह निगम को ऐसी स्वीकृति की संसूचना देगा और यह भी संसूचित करेगा कि उसका उस फर्म के साथ कोई पदीय सम्बन्ध है या था अथवा नहीं ।

परन्तु प्रवर्ग 1 के अधिकारी की दशा में ऐसी संसूचना देना आवश्यक नहीं होगा यदि उसने, खण्ड 1 के अधीन, निगम की मंजूरी अभिप्राप्त कर ली हो अथवा निगम को सूचना भेज दी हो ।

(3) कोई कर्मचारी अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किसी ऐसे विषय में कार्रवाई नहीं करेगा अथवा किसी ऐसे फर्म अथवा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को कोई ठेका नहीं देगा अथवा ठेके की मंजूरी नहीं देगा जिस फर्म में अथवा जिस व्यक्ति के अधीन उस कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य नियोजित है, अथवा वह स्वयं या उसके परिवार का कोई सदस्य उस विषय में अथवा ठेका में किसी भी अन्य प्रकार से हितबद्ध है तथा कर्मचारी ऐसे प्रत्येक विषय अथवा ठेका को अपने वरिष्ठ अधिकारी को निर्दिष्ट करेगा तथा तत्पश्चात् उस विषय तथा ठेका का निपटारा उस प्राधिकारी के निदेशों के अनुसार किया जाएगा जिसे वह निर्दिष्ट किया गया हो ।

34. राजनीति में भाग लेना :

(i) कोई भी सदस्य किसी राजनीतिक दल अथवा किसी ऐसे संगठन का जो राजनीति में भाग लेता हो, सदस्य नहीं होगा, अथवा उसके साथ अन्यथा किसी प्रकार का संबंध नहीं रहेगा और किसी राजनीतिक आन्दोलन अथवा कार्य में न तो भाग लेगा, न उसकी सहायतार्थ चन्दा देगा अथवा किसी अन्य प्रकार की सहायता देगा ।

(ii) प्रत्यक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसे किसी आन्दोलन अथवा फर्म में भाग लेने से, उसकी सहायतार्थ चन्दा देने से अथवा किसी अन्य रीति से सहायता देने से निवारित करे जो विधिवत स्थापित सरकार के लिए अथवा निगम के लिए प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः ध्वंसकारी हो अथवा ध्वंस का प्रोत्साहन हो । जहां कोई कर्मचारी अपने परिवार के किसी सदस्य को किसी ऐसी आन्दोलन अथवा कार्य में भाग लेने से अथवा उसके सहायतार्थ चन्दा देने से अथवा किसी अन्य प्रकार सहायता देने से निवारित करने में असमर्थ हो तो वह इस आशय की सूचना निगम को देगा ।

स्पष्टीकरण:—यदि ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि कोई दल राजनीतिक दल है अथवा नहीं अथवा कोई संगठन राजनीति में भाग लेता है अथवा नहीं या कोई आन्दोलन या कार्य-उप-पैरा (i) तथा (ii) के अन्तर्गत आता है अथवा नहीं तो उस प्रश्न पर प्रबन्ध निदेशक का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

35. निर्वाचनों में भाग लेना :

कोई भी कर्मचारी किसी विधान मंडल अथवा स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचन के सम्बन्ध में मत याचना, अथवा अन्यथा हस्तक्षेप अथवा अपने प्रभाव का प्रयोग नही करेगा और न निर्वचन में भाग ही लेगा, परन्तु :

(i) ऐसे निर्वाचन में मतदान के लिए अर्हित कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगा किन्तु जहां वह ऐसा करे वहां इस बात का कोई संकेत नहीं देगा कि वह अपना मतदान किसके पक्ष में करना चाहता है अथवा किया है;

(ii) उस कर्मचारी के बारे में जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा अथवा अधीन अधिरोपित कर्तव्य के सम्यक् पालन में किसी संचालन में सहायता करता है केवल इसी आधार पर यह नहीं समझा जाएगा कि उसने इस पैरा के उपबन्धों का उल्लंघन किया है ।

स्पष्टीकरण :—किसी कर्मचारी द्वारा किसी चुनाव चिन्ह का अपने शरीर पर, वाहन पर अथवा आवास पर प्रदर्शन इस विनियम के अर्थ में निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रभाग का प्रयोग माना जाएगा ।

36. निगम के कर्मचारियों द्वारा संगमों में सम्मिलित होना :

कोई भी कर्मचारी ऐसे किसी संगम में सम्मिलित नहीं होगा अथवा उसका सदस्य नहीं रहेगा जिसके उद्देश्य अथवा कार्यवाहियां भारत की प्रभुसत्ता तथा अखंडता के हित के अथवा निगम के हित के अथवा लोक व्यवस्था अथवा नैतिकता के प्रतिकूल हो :

परन्तु प्रबन्धक वर्ग द्वारा विधितः अथवा वस्तुतः मान्य संगम संघ के सम्बन्ध में उपर्युक्त उपबन्ध लागू नहीं होगा ।

37. प्रदर्शन और हड़ताल :

कोई भी कर्मचारी :

(i) किसी ऐसे प्रदर्शन में सम्मिलित नहीं होगा अथवा भाग नहीं लेगा जो भारत की प्रभुसत्ता तथा अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, निगम के हित, विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध, लोक व्यवस्था, शिष्टता अथवा नैतिकता के हित के प्रतिकूल हो अथवा जिसके कारण न्यायालयों का अवमान, मानहानि अथवा किसी अपराध का उद्दीपन होता हो, अथवा

(ii) अपनी सेवा के बारे में अथवा निगम के किसी अन्य कर्मचारी अथवा कर्मचारियों की सेवा के बारे में किसी विषय के सम्बन्ध में किसी प्रकार की हड़ताल अथवा हड़ताल का दुष्प्रेरण नहीं करेगा अथवा प्रपीड़न या बल प्रयोग नहीं करेगा ।

38. प्रेस अथवा आकाशवाणी से सम्बन्ध :

(i) कोई कर्मचारी, प्रबन्ध निदेशक की पूर्व मंजूरी के सिवाए, किसी समाचार अथवा अन्य नियत कालिक प्रकाशन का पूर्णतः अथवा अंशतः न तो स्वामी होगा और न उसका सम्पादन अथवा प्रबन्ध संचालन ही करेगा अथवा उसमें भाग लेगा ।

(ii) कोई कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के सिवाए, अथवा अपने कर्तव्यों के सद्भावपूर्वक निर्वहन में के सिवाए;

(क) न तो स्वयं ही अथवा किसी प्रकाशक के माध्यम से कोई पुस्तक प्रकाशित करेगा, और न किसी पुस्तक या लेख संग्रह में कोई लेख ही देगा, अथवा

(ख) न तो किसी आकाशवाणी प्रसारण में भाग लेगा और न किसी समाचार पत्र अथवा पत्र पत्रिका में स्वयं अपने नाम से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से कोई लेख देगा या पत्र लिखेगा :

परन्तु यह कि ऐसी कोई मंजूरी आवश्यक नहीं होगी यदि, (i) ऐसा प्रकाशन किसी सम्पादक के माध्यम से किया जाता है तथा वस्तुतः साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक प्रकृति का है, अथवा

(ii) ऐसा लेख, प्रसारण अथवा रचना वस्तुतः साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक प्रकृति का अथवा की है ।

39. सरकार अथवा निगम की आलोचना :

कोई कर्मचारी आकाशवाणी के किसी प्रसारण में अथवा अपने नाम से या गुमनाम या बनावटी नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रकाशित किसी दस्तावेज में अथवा प्रेस को दी गई किसी सूचना में अथवा किसी सार्वजनिक भाषण में तथ्यसम्बन्धी कोई ऐसा वक्तव्य नहीं देगा अथवा विचार प्रकट नहीं करेगा जिससे :

(i) केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार की अथवा निगम की किसी विद्यमान अथवा हाल ही की नीति या कार्रवाई की प्रतिकूल आलोचना होती हो;

(ii) केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार तथा निगम के बीच सम्बन्धों में उलझन पैदा हो;

(iii) केन्द्रीय सरकार तथा किसी विदेशी राज्य की सरकार के बीच सम्बन्धों में उलझन पैदा हो;

परन्तु यह कि इस विनियम की कोई बात किसी कर्मचारी द्वारा अपनी पदीय हैसियत से अथवा उसे समनुदिष्ट कर्तव्यों के सम्यक् पालन में दिए गए वक्तव्य या अभिव्यक्त किए गए किन्हीं विचारों को लागू नहीं होगा ।

40. किसी समिति अथवा अन्य प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य :

(i) उप पैरा (iii) में यथा उपबन्धित के सिवाए, कोई कर्मचारी प्रबन्ध निदेशक के पूर्व अनुमोदन के सिवाए किसी व्यक्ति, समिति अथवा प्राधिकारी द्वारा की जा रही है किसी जांच के सम्बन्ध में साक्ष्य नहीं देगा;

(ii) जहां उपपैरा (i) के अधीन ऐसी मंजूरी दे दी जाए वहां कर्मचारी ऐसा साक्ष्य देते समय केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या निगम की नीति अथवा किसी कार्रवाई की आलोचना नहीं करेगा;

(iii) इस विनियम की कोई बात—

(क) केन्द्रीय सरकार, संसद् अथवा किसी राज्य विधान मंडल अथवा निगम द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष जांच में दिए गए किसी साक्ष्य;

(ख) किसी न्यायिक जांच में दिए गए साक्ष्य; अथवा

(ग) सरकार या निगम के अधीनस्थ प्राधिकारी के आदेश के अन्तर्गत किसी विभागीय जांच में दिए गए साक्ष्य, को लागू नहीं होगी ।

41. जानकारी का अप्राधिकृत रूप से प्रकटीकरण :

कोई कर्मचारी, निगम के किसी साधारण अथवा विशेष आदेश के अनुसार के सिवाए अथवा उसे समनुदिष्ट कर्तव्यों के सद्भावपूर्वक अणुपालन के सिवाय, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः, किसी शासकीय दस्तावेज को या उसके किसी भाग को अथवा जानकारी को निगम के किसी अन्य कर्मचारी को या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसे ऐसा दस्तावेज या जानकारी प्रकट करने के लिए वह प्राधिकृत नहीं है, प्रकट नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण :—किसी कर्मचारी द्वारा (प्रवर्ग प्राधिकारी को सम्बोधित अपने प्रत्यावेदन में) किसी पत्र,

परिपत्र, ज्ञापन अथवा किसी फाइल में से किन्हीं टिप्पणियों का कोई उद्धरण, जिन्हें देखने के लिए वह प्राधिकृत नहीं है, अथवा जिन्हें अपनी व्यक्तिगत निगरानी में या व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए रखने के लिए वह प्राधिकृत नहीं है, इस विनियम के अर्थ में अप्राधिकृत प्रकटीकरण माना जाएगा।

42. चन्दे :

कोई कर्मचारी किसी भी उद्देश्य के अनुसरण में किसी निधि के लिए अथवा नकद या वस्तु रूप में अन्य संग्रहणों के लिए, प्रबन्ध निदेशक की पूर्व मंजूरी के सिवाए, न तो चन्दा मांगेगा और न स्वीकार करेगा, अथवा उनकी उगाही के कार्य में स्वयं अन्यथा सहयोग करेगा।

43. उपहार :

(i) इन विनियमों में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाए कोई कर्मचारी न तो स्वयं ही उपहार ग्रहण करेगा और न अपने परिवार के किसी सदस्य को अथवा अपनी ओर से कार्य कर रहे किसी व्यक्ति को कोई उपहार ग्रहण करने की अनुज्ञा देगा।

स्पष्टीकरण : 'उपहार' पद के अन्तर्गत निःशुल्क परिवहन, भोजन, निवास अथवा अन्य सेवा या कोई अन्य धन संबंधी लाभ सम्मिलित है जो किसी निकटतम सम्बन्धी अथवा वैयक्तिकगत मित्र जिसका कर्मचारी के साथ कोई पदीय व्यवहार न हो, से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जाए।

टिप्पणी : (1) यदाकदा भोजन, सवारी अथवा अन्य सामाजिक आतिथ्य उपहार नहीं माना जाएगा।

(2) कर्मचारी अपने साथ पदीय व्यवहार रखने वाले किसी व्यक्ति अथवा औद्योगिक या वाणिज्यिक फर्म, संगठन, आदि की ओर से अत्यधिक अथवा बार-बार आतिथ्य, ग्रहण करने से बचेगा।

(ii) विवाह, बरसी, अन्त्येष्टि अथवा धार्मिक समारोहों जैसे अवसरों पर, जब कि उपहार देना प्रचलित धार्मिक तथा सामाजिक प्रथा के अनुसार हो, कर्मचारी अपने निकट सम्बन्धियों से उपहार ग्रहण कर सकेगा, किन्तु यदि उपहार का मूल्य निम्नलिखित से अधिक हो तो उसकी सूचना निगम को देगा :—

(क) प्रवर्ग 1 अथवा प्रवर्ग 2 का कोई पद धारण करने वाले कर्मचारी की दशा में 500 रु०;

(ख) प्रवर्ग 3 का पद धारण करने वाले कर्मचारी की दशा में 250 रु०;

(ग) प्रवर्ग 4 का कोई पद धारण करने वाले कर्मचारी की दशा में 100 रु०।

(iii) उप पैरा (ii) में विनिर्दिष्ट किसी अवसर पर कर्मचारी अपने उन निजी मित्रों से उपहार ग्रहण कर सकेगा जिनके साथ उसका कोई पदीय सम्बन्ध न हो किन्तु वह उसकी सूचना निगम को देगा यदि उपहार का मूल्य निम्नलिखित से अधिक हो :

(क) प्रवर्ग 1 अथवा प्रवर्ग 2 का कोई पद धारण करने वाले कर्मचारी की दशा में 200 रु०;

(ख) प्रवर्ग 3 का कोई पद धारण करने वाले कर्मचारी की दशा में 100 रु०;

(ग) प्रवर्ग 4 का कोई पद धारण करने वाले कर्मचारी की दशा में 50 रु०;

(iv) किसी अन्य दशा में कर्मचारी प्रबन्ध निदेशक की मंजूरी के बिना कोई उपहार ग्रहण नहीं कर सकेगा यदि उपहार का मूल्य निम्नलिखित से अधिक हो :

(क) प्रवर्ग 1 अथवा प्रवर्ग 2 का कोई पद धारण करने वाले कर्मचारी की दशा में 75 रु०;

(ख) प्रवर्ग 3 अथवा प्रवर्ग 4 का कोई पद धारण करने वाले कर्मचारी की दशा में 25 रु०;

44. निगम के कर्मचारियों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन :

कोई भी कर्मचारी, निगम के पूर्वानुमोदन के सिवाए, न तो कोई मानपत्र अथवा विदायी पत्र लेगा और न कोई प्रशंसा-पत्र लेगा अथवा अपने सम्मान में अथवा किसी अन्य कर्मचारी के सम्मान में संयोजित किसी सभा या समारोह में सम्मिलित होगा :

परन्तु इस विनियम की कोई बात—

(i) कर्मचारी की अपनी अथवा किसी अन्य कर्मचारी की सेवा निवृत्त अथवा स्थानान्तरण के अवसर पर उनके सम्मान में अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के सम्मान में जिसने हाल ही में निगम की सेवा छोड़ी हो, सारतः प्राईवेट अथवा अनौपचारिक विदायी समारोह को; अथवा

(ii) सार्वजनिक निकायों अथवा संस्थाओं द्वारा आयोजित साधारण और अल्पव्ययी आतिथ्य स्वीकार करने के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

टिप्पणी : किसी विदायी समारोह के लिए, भले ही वह सारतः प्राईवेट अथवा अनौपचारिक ढंग का हो, चन्दा देने के लिए उत्प्रेरित करने के लिए किसी कर्मचारी पर किसी भी प्रकार का दबाव अथवा प्रभाव का प्रयोग, तथा प्रवर्ग 3 अथवा प्रवर्ग 4 से भिन्न प्रवर्ग के किसी कर्मचारी के लिए समारोह के वास्ते किसी भी परिस्थिति में प्रवर्ग 3 अथवा प्रवर्ग 4 के कर्मचारियों से चन्दा संग्रह, निषिद्ध है।

45. निजी व्यापार अथवा रोजगार :

(i) कोई कर्मचारी, प्रबन्ध निदेशक के पूर्वानुमोदन के सिवाए, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः कोई व्यवसाय अथवा व्यापार नहीं करेगा अथवा कोई अन्य रोजगार स्वीकार नहीं करेगा :

परन्तु यह कि कर्मचारी ऐसी मंजूरी के बिना भी सामाजिक अथवा परोपकारी प्रकृति का कोई अवैतनिक कार्य अथवा साहित्यिक तथा कलात्मक अथवा वैज्ञानिक प्रकृति का कोई यदाकदा कार्य इस शर्त पर कर सकेगा कि उससे उसके पदीय कर्त्तव्यों में कोई व्यावधान न हो; किन्तु यदि प्रबन्ध निदेशक ऐसा निदेश दे तो वह ऐसा कार्य नहीं करेगा अथवा करना बन्द कर देगा।

स्पष्टीकरण : अपनी पत्नी अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्वाधीन अथवा प्रबन्धाधीन

किसी व्यापार, बीमा अभिकरण, कमीशन अभिकरण के समर्थन में कर्मचारी द्वारा प्रचार इस विनियम का उल्लंघन समझा जाएगा ।

(ii) यदि किसी कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य किसी व्यवसाय अथवा व्यापार में संलग्न हो अथवा किसी बीमा अभिकरण अथवा कमीशन अभिकरण का स्वामी अथवा प्रबन्धकर्ता हो तो कर्मचारी इसकी सूचना निगम को देगा । कर्मचारी अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए ऐसे किसी संगठन/कम्पनी अथवा व्यावसायिक संस्था में जिसे निगम का प्रश्रय प्राप्त है; नियोजन की सूचना, परिवार के सदस्य की नियुक्ति के समय ही, विहित प्राधिकारी को देगा ।

(iii) कोई कर्मचारी, प्रबन्ध निदेशक की पूर्व मंजूरी के बिना, एवम् अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में के सिवाए, किसी ऐसे बैंक अथवा अन्य कम्पनी के जिसका रजिस्ट्रीकरण कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपेक्षित है, अथवा वाणिज्यिक प्रयोजनों वाली किसी सहकारी सोसायटी के, रजिस्ट्रीकरण, प्रसार अथवा प्रबन्ध में भाग नहीं लेगा :

परन्तु निगम का कर्मचारी, सारत. निगम के कर्मचारियों के फायदे के लिए किसी सहकारी सोसायटी के, जो सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1912 (1912 का 2) अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, अथवा किसी ऐसी साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा खैराती संस्था के जो सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) अथवा किसी अन्य प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, रजिस्ट्रीकरण, प्रसार अथवा प्रबंध में भाग ले सकेगा ।

(iv) कोई कर्मचारी प्रबन्ध निदेशक की मंजरी के बिना किसी सार्वजनिक निकाय अथवा किसी प्राईवेट व्यक्ति के लिए किए गए कार्य के लिए कोई फीस ग्रहण नहीं कर सकेगा ।

46. **विनिधान, उधार देना और उधार लेना :**

(i) कोई कर्मचारी कोई स्टाक, शेयर या अन्य विनिधान का सट्टा नहीं खेलेगा ।

व्याख्या : शेयरों, प्रतिभूतियों या अन्य विनिधानों का बहुधा या विक्रय या दोनों का इस उप-नियम के अर्थ में सट्टा खेलना समझा जाएगा ।

(ii) कोई कर्मचारी ऐसा कोई विनिधान न तो स्वयं करेगा और न अपने परिवार के किसी सदस्य को अथवा अपनी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को करने देगा जिससे कि उसके अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में धर्म संकट में पड़ना या प्रभावित होना सम्भाव्य हो ।

(iii) यदि ऐसा कोई प्रश्न उठे कि कोई संव्यवहार उप-नियम (i), (ii) में निर्दिष्ट प्रकृति का है अथवा नहीं है तो उस पर प्रबन्ध निदेशक का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(iv) कोई कर्मचारी, किसी बैंक या सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी के साथ कारोबार में मामूली अनुक्रम में के सिवाए, न तो स्वयं और न अपने परिवार के किसी सदस्य या अपनी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के माध्यम से :—

(क) अपनी प्राधिकारिता को स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित किसी व्यक्ति या फर्म या प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी को या उनसे, अथवा जिनके साथ उसका पदीय व्यवहार सम्भाव्य हो, उनको या उनसे न तो मालिक के रूप में और न अभिकर्ता के रूप में धन उधार लेगा, न उधार देगा न जमा करेगा और न स्वयं को ऐसे व्यक्ति या फर्म या प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी की आर्थिक बाध्यता के अधीन अन्यथा रखेगा; अथवा

(ख) किसी व्यक्ति को न तो ब्याज पर और न ऐसी रीति से जिससे कि धन या वस्तु रूप में कोई प्रतिलाभ लिया जाए या दिया जाए, धन उधार देगा :

परन्तु कर्मचारी किसी नातेदार या वैयक्तिक मित्र को थोड़ी सी रकम बिना ब्याज के मात्र अस्थायी ऋण के रूप में दे सकेगा या उससे ले सकेगा, या किसी प्रामाणिक व्यापारी के साथ उधार खाता खोल सकेगा अथवा अपने प्राईवेट कर्मचारी को अग्रिम वेतन दे सकेगा;

परन्तु यह और कि इस उप-नियम की कोई भी बात किसी कर्मचारी द्वारा निगम की पूर्व अनुमति से किए गए लेन-देन पर लागू नहीं होगी ।

(v) जब कोई कर्मचारी किसी ऐसे पद पर नियुक्त या स्थानान्तरित किया जाए जो इस प्रकार का हो कि उस पर उससे उप-नियम (ii) या उप-विनियम (iv) के उपबन्धों में से किसी का भी उल्लंघन होना संभाव्य हो तो वह उन परिस्थितियों की रिपोर्ट तत्क्षण सक्षम प्राधिकारी को करेगा और तत्पश्चात् ऐसे आदेशों के अनुसार कार्य करेगा जो कि उस प्राधिकारी द्वारा दिए जाएं ।

47. **दिवाला और आभ्यासिक ऋणग्रस्तता :**

कर्मचारी अपने व्यक्तिगत मामलों की ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे वह आभ्यासिक ऋण ग्रस्तता या दिवालियापन से बचा रहे । ऐसा कर्मचारी जिससे शोध्य किसी ऋण की वसूली के लिए या जिसे दिवालिया न्याय-निर्णीत करने के लिए उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही संस्थित की गई हो तत्क्षण उस विधिक कार्यवाही के पूरे तथ्यों की रिपोर्ट निगम को करेगा ।

टिप्पण : यह साबित करने का भार कर्मचारी पर होगा कि दिवाला या ऋणग्रस्तता उन परिस्थितियों का परिणाम थी जिनका पूर्व-बोध कर्मचारी को सम्यक् तत्परता बरतने पर नहीं हो सकता था या जिन पर उसका कोई वश नही था और न तो उसने फिजूल खर्ची ही की थी और न वह दुर्व्यसनों में पड़ा था ।

48. **जंगम, स्थावर तथा मूल्यवान सम्पत्ति :**

(i) प्रत्येक कर्मचारी अपनी प्रथम नियुक्ति के समय और तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी से पूर्व अपने स्वामित्वाधीन या स्वयं अर्जित या विरासत में प्राप्त या जो उसके पास पट्टे पर या

बंधक में, चाहे उसके अपने नाम में हो या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम में या उस पर आश्रित किसी अन्य व्यक्ति के नाम में हो उसके ऐसी अपनी समस्त स्थावर सम्पत्ति के बारे में एक विवरणी परिशिष्ट 4 में दिए गए प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी को देगा।

(ii) सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक कर्मचारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह अपनी प्रथम नियुक्ति के समय और तत्पश्चात् ऐसे अन्तरालों पर जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, एक ऐसी विवरणी प्रस्तुत करे जिसमें :—

(क) बैंक निक्षेपों सहित ऐसे शेयरों, डिबेंचरों और नकदी के बारे में जो उसे विरासत में प्राप्त हो या इस रूप में उसके स्वामित्व में हो या उसने अर्जित किए हों या जो उसके पास हो,

(ख) अन्य जंगम सम्पत्ति के बारे में, जो उसे विरासत में प्राप्त हो या उसने अर्जित की हो या उसके पास हो;

(ग) ऐसे ऋणों और अन्य दायित्वों के बारे में जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में उसने उपगत किए हों,

पूरी विशिष्ठियां हों।

टिप्पणी : सभी विवरणियों में 1000 रुपए से कम की जंगम सम्पत्ति की मदों का मूल्य जोड़ा और एक-मुश्त राशि के रूप में दिखाया जा सकेगा। दैनिक प्रयोग की चीजें जैसे, कपड़े, बर्तन, क्राकरी, पुस्तकें आदि का मूल्य ऐसी विवरणी में सम्मिलित करना आवश्यक नहीं है।

(iii) कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व जानकारी के बिना, किसी स्थावर सम्पत्ति का पट्टे-बंधक, क्रय, विक्रय, दान द्वारा या अन्यथा अर्जन या निपटान न तो अपने नाम से और न अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से करेगा :

परन्तु कोई ऐसा संव्यवहार यदि—

(क) उस व्यक्ति के साथ हो, जिसका निगम या कर्मचारी के साथ पदीय व्यवहार है, अथवा

(ख) नियमित या नामी व्यापारी की मार्फत किए जाने से अन्यथा हो, तो कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी पहले ही अभिप्राप्त करनी होगी।

(iv) प्रत्येक कर्मचारी अपने स्वामित्वाधीन है या अपने नाम में या अपने कुटुम्ब के सदस्य के नाम में ली गई जंगम सम्पत्ति के संबंध में प्रत्येक संव्यवहार की रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को देगा यदि ऐसी सम्पत्ति का मूल्य, वर्ग 1 या वर्ग 2 का पद धारण करने वाले कर्मचारी की दशा में 1,000 रुपए अथवा वर्ग 3 या वर्ग 4 का पद धारण करने वाले कर्मचारी की दशा में 500 रुपये, से अधिक है :

परन्तु कोई ऐसा संव्यवहार यदि —

(क) उस व्यक्ति के साथ हो जिसका कर्मचारी के साथ पदीय व्यवहार है; अथवा

(ख) नियमित या नामी व्यापारी की मार्फत किए जाने से अन्यथा हो तो, कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी पहले ही अभिप्राप्त करनी होगी।

(5) निगम या सक्षम प्राधिकारी किसी कर्मचारी से, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी भी समय, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह, स्वयं या अपनी ओर से या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा धारित या अर्जित ऐसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, पूर्ण और ब्यौरेवार विवरण, आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर दे। यदि निगम या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा की गई हो तो उस विवरण में उन साधनों के जिनके द्वारा या वे स्रोत जिनसे वह सम्पत्ति अर्जित की गई है ब्यौरे देने होंगे।

स्पष्टीकरण : इस विनियमों के प्रयोजनों के लिए, "जंगम सम्पत्ति" पद के अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :—

(क) आभूषण, बीमा पालिसियां—जिनके वार्षिक प्रीमियम 1,000 रुपये से या निगम से प्राप्त कुल वार्षिक उपलब्धियों के छठे भाग से दोनों में से जो भी कम हो, अधिक हो, शेयर प्रतिभूतियां और डिबेंचर;

(ख) ऐसे कर्मचारी द्वारा दिए गए उधार चाहे वे प्रतिपूत हों या न हों;

(ग) मोटरकार, मोटर साइकिल, घोड़े, या सवारी के कोई अन्य साधन; और

(घ) रेफ्रीजेरेटर, रेडियो, रेडियोग्राम, टेप-रिकार्डर और टेलीविजन सेट।

49. निगम कर्मचारियों के कृत्यों और चरित्र का दोष-रहित सिद्ध किया जाना :

(i) कोई कर्मचारी ऐसे किसी पदीय कार्य को दोषरहित सिद्ध करने के लिए जो कि प्रतिकूल आलोचना या मानहानिकारक प्रकार के आक्षेप का विषय रहा है किसी न्यायालय या प्रेस का आश्रय, प्रबन्धक निदेशक की पूर्व मंजूरी के बिना, नहीं लेगा।

(ii) इस विनियम की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी कर्मचारी को अपने व्यक्तिगत चरित्र या व्यक्तिगत रूप से किए गए किसी कार्य को दोषरहित सिद्ध करने से रोकती है और जहां अपने व्यक्तिगत चरित्र या व्यक्तिगत रूप से किए गए किसी कार्य को दोषरहित सिद्ध करने के लिए कोई कार्रवाही की जाती है वहां कर्मचारी ऐसी कार्रवाही के बारे में सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट देगा।

50. गैर पदीय या अन्य असर का उपयोग :

कोई कर्मचारी, अपनी सेवा से या अन्य किसी व्यक्ति की सेवा से सम्बद्ध विषयों की बाबत अपने हितों या ऐसे अन्य व्यक्ति के हितों में वृद्धि करने के लिए या अन्य ऐसे किसी विषय के सम्बन्ध में जिससे स्वयं उसको या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को धन संबंधी या अन्य प्रकार का लाभ होता तो निगम के किसी प्राधिकारी पर कोई राजनीतिक, व्यक्तिगत या अन्य असर न तो डलवाएगा और न डलवाने का प्रयत्न करेगा।

51. **द्वि-विवाह** :

(i) कोई भी कर्मचारी किसी ऐसे पुरुष या स्त्री से विवाह नहीं करेगा जिसकी पत्नी या जिसका पति जीवित है और (ii) कोई कर्मचारी अपनी पत्नी या अपने पति के जीवित होते हुए किसी अन्य से विवाह नहीं करेगा :

परन्तु यदि निगम का यह समाधान हो जाए कि --

(क) ऐसे कर्मचारी तथा विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है; और

(ख) ऐसा करने के अन्य आधार मौजूद हैं।

तो निगम कर्मचारी को उप-विनियम (i) अथवा उपविनियम (ii) में निर्दिष्ट प्रकार का विवाह करने की अनुमति दे सकता है।

52. **मादक पेयों और द्रव्यों का प्रयोग** :

कर्मचारी—

(क) मादक पेयों या द्रव्यों से सम्बन्धित विधि का जो उस क्षेत्र में प्रवृत्त हो जहां वह तत्समय है पूर्णतः पालन करेगा;

(ख) अपने कर्तव्य के दौरान किसी मादक पेय या द्रव्य के प्रभाव में नहीं रहेगा और इस बात का भी सम्यक् ध्यान रखेगा कि किसी भी समय उसके कर्त्तव्यों का पालन ऐसे मादक पेय या द्रव्य के असर से किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होता;

(ग) नशे की हालत में किसी सार्वजनिक स्थान में नहीं जाएगा;

(घ) किसी मादक पेय या द्रव्य का अत्यधिक प्रयोग नहीं करेगा।

53. **परिभाषा** : इस विनियम के प्रयोजनों के लिए :

(क) किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में, 'कुटुम्ब के सदस्य' के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित होंगे।

(i) कर्मचारी की, यथास्थिति, पत्नी या पति चाहे वह कर्मचारी के साथ रहता/रहती हो अथवा नहीं, किन्तु सक्षम न्यायालय की डिग्री या आदेश द्वारा कर्मचारी से पृथक्कृत, यथास्थिति, पत्नी या पति इसमें सम्मिलित है,

(ii) कर्मचारी का पुत्र या पुत्री या सौतेला पुत्र या पुत्री जो पूर्णरूपेण उसी पर आश्रित हों किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा बालक या सौतेला बालक नहीं आता जो किसी भी प्रकार से कर्मचारी पर आश्रित नहीं है या जिसकी अभिरक्षा के भार से कर्मचारी को किसी विधि के द्वारा या अन्तर्गत वंचित कर दिया गया है;

(iii) कर्मचारी से या उसकी पत्नी या उसके पति से, रक्त या विवाह के आधार पर सम्बन्धित अन्य कोई व्यक्ति, जो ऐसे कर्मचारी पर पूर्णरूपेण आश्रित हो;

(ख) चरित्र विनियमों के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी वह प्राधिकारी होगा जो प्रबन्ध निदेशक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

अनुभाग 5

अनुशासन तथा अपील सम्बन्धी विनियम

54. **शास्तियां** :

किसी अन्य विनियम में किसी बात के होते हुए भी तथा किसी ऐसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विनियम या विधि के अन्तर्गत किसी कर्मचारी के विरुद्ध की जानी हो, निगम के किसी भी कर्मचारी पर निम्नलिखित शास्तियां ठीक तथा पर्याप्त कारणों से अधिरोपित की जा सकेंगी।

छोटी शास्तियां—

(i) परिनिंदा;

(ii) प्रोन्नति रोकना;

(iii) अपेक्षा या आदेश भंग के कारण निगम को पहुंचाई गई किसी धन सम्बन्धी हानि की वेतन में से पूर्णतः या भागतः वसूली;

(iv) वेतन वृद्धि रोकना।

बड़ी शास्तियां—

(v) विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतनमान के किसी निम्नतर क्रम पर ऐसे अतिरिक्त निदेशों के साथ अवनति कि निगम का कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा अथवा नहीं तथा उक्त अवधि के अवसान पर अवनति के परिणामस्वरूप उसकी भविष्यत वेतन वृद्धियां स्थगित होंगी या नहीं;

(vi) किसी निम्नतर वेतनमान अथवा पद पर, ऐसे निदेशों के साथ या उसके बिना अवनति की सेवा का सदस्य जिस वेतनमान अथवा पद से अवनत किया गया उसमें प्रत्यावर्तन की क्या शर्तें होंगी और उस पद पर प्रत्यावर्तन की दशा में उसकी ज्येष्ठता और वेतन की बाबत क्या होगा। ऐसी अवनति सामान्यतः जिस वेतनमान अथवा पद से अवनति की गई हो उसपर सेवा के सदस्य की प्रोन्नति के लिए बाधा होगी;

(vii) अनिवार्य सेवानिवृत्ति;

(viii) सेवा से हटाना, जो निगम के अन्तर्गत भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी ;

(x) सेवा से पदच्युति जो सामान्यतः निगम के अन्तर्गत भावी नियोजन के लिए निरर्हता होगी।

स्पष्टीकरण : निम्नलिखित, इस विनियम के अर्थ में शास्ति की कोटी में नहीं आएंगे, अर्थात् :—

(क) किसी प्रवर्ग के पद पर नई नियुक्ति के लिए विहित किसी परीक्षा अथवा परीक्षण अथवा स्वास्थ्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण कर्मचारी की सेवोन्मुक्ति;

(ख) अधिवर्षिता पर निवृत्ति अथवा सेवा निवृत्ति से सम्बन्धित उपबन्धों के अनुसार किसी कर्मचारी की अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;

(ग) परिवीक्षा पर नियुक्ति अथवा प्रोन्नत किसी कर्मचारी का परिवीक्षा की अवधि के दौरान अथवा उसकी समाप्ति पर किसी निम्नतर प्रवर्ग अथवा पद पर प्रत्यावर्तन अथवा सेवा की समाप्ति ;

(घ) विनियम 19 के अधीन अथवा रिक्ति के अभाव में छटनी के परिणामस्वरूप किसी कर्मचारी की सेवोन्मुक्ति ;

(ङ) संविदा अथवा करार के अन्तर्गत नियोजित किसी कर्मचारी की सेवा की ऐसी संविदा अथवा करार के शर्तों के अनुसार अथवा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्त कर्मचारी की दशा में ऐसी अवधि की समाप्ति पर, सेवा की समाप्ति ;

(च) निम्नतर पद से उच्चतर पद पर प्रोन्नत कर्मचारी का रिक्ति के अभाव में उक्त निम्नतर पद पर प्रत्यावर्तन ;

(छ) किसी कर्मचारी के बारे में, किसी ऐसे पद पर नियमित अथवा तत्प्रयोजन आधार पर विचार के पश्चात् जिस पर प्रोन्नति के लिए विचार का वह पात्र है, प्रोन्नत न करना ;

(ज) ऐसे कर्मचारी की सेवाओं का, जिसकी सेवाएं उधार ले ली गई हों उसके मूल संगठन को लौटाया जाना ।

55. अन्तरित कर्मचारियों की बाबत उपबन्ध :

इन विनियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाहियां किसी अन्तरित कर्मचारी के विरुद्ध भी, निगम को अन्तरित होने से पूर्व किए गए किसी कार्य अथवा लोप के सम्बन्ध में जो केन्द्रीय सरकार के स्वाधीन सम्बन्धी किसी विभाग में की गई सेवा अथवा उसके किसी अधीनस्थ या संलग्न कार्यालय में की गई सेवा की अवधि का हो, आरम्भ की जा सकेंगी यदि ऐसा कार्य अथवा लोप केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के किसी नियम का उल्लंघन हो, मानो कि ऐसा कार्य अथवा उल्लंघन उन्हीं विनियमों का उल्लंघन था ।

56. **अनुशासनिक प्राधिकारी :**

बोर्ड अथवा परिशिष्ट 2 में इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा (परिशिष्ट 2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से उच्चतर) कोई अन्य प्राधिकारी जिसे बोर्ड के साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया है, विनियम 54 में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति किसी भी कर्मचारी पर अधिरोपित कर सकेगा ।

57. **कार्यवाहियां संस्थित करने के लिए प्राधिकारी :**

(1) बोर्ड अथवा उसके द्वारा साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा सशक्त कोई अन्य प्राधिकारी --

(क) निगम के किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां संस्थित कर सकेगा ;

(ख) किसी ऐसे अनुशासनिक प्राधिकारी को निगम के किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने का निदेश दे सकेगा जो विनियम 54 में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति इन विनियमों के अधीन अधिरोपित करने के लिए सक्षम हो ।

(2) विनियम 54 के खण्ड (i) से लेकर (iv) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए इन विनियमों के अधीन सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी निगम के किसी कर्मचारी के विरुद्ध विनियम 54 के खण्ड (v) से लेकर (ix) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर सकेगा भले ही ऐसा अनुशासनिक प्राधिकारी विनियम 54 के खण्ड (v) से लेकर (ix) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई अधिरोपित करने के लिए इन विनियमों के अधीन सक्षम न हो ।

58. **बड़ी शास्तियां अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया---**

(1) विनियम 54 के खंड (v) से लेकर (ix) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि, जहां तक सम्भव हो, इस विनियम तथा विनियम 59 में उपबन्धित रीति में, यह लोक सेवा (जांच) अधिनियम, 1850 (1850 का 37) द्वारा, जहां ऐसी जांच उस अधिनियम के अधीन की जाए, उपबन्धित रीति में, जांच न कर ली जाए ।

(2) जब कभी अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि निगम के किसी कर्मचारी के विरुद्ध अवचार या कदाचार के किसी लांछन की सत्यता के बारे में जांच करने के आधार है, तो वह, उस लांछन की सत्यता की जांच या तो स्वयं कर सकेगा अथवा उसके लिए, यथास्थिति, इस विनियम के अधीन अथवा लोक सेवा, (जांच) अधिनियम, 1850 के उपबन्धों के अधीन, कोई प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण :---जहां अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जांच करे वहां उपविनियम (7) से लेकर उपविनियम (20) तक में यथा उपविनियम (22) में जांच प्राधिकारी के प्रति निर्देश का अर्थ अनुशासनिक प्राधिकारी के प्रति निर्देश होगा ।

(3) जहां निगम के कर्मचारी के विरुद्ध इस विनियम और विनियम 59 के अधीन जांच करना प्रस्थापित हो वहां अनुशासनिक प्राधिकारी निम्नलिखित को लेखबद्ध करेगा या करायेगा, अर्थात् :--

(i) अवचार या कदाचार के लांछनों के सार का निश्चित और सुस्पष्ट आरोप ब्यौरा ;

(ii) प्रत्येक आरोप ब्यौरे के समर्थन में अवचार या कदाचार के लांछनों का एक विवरण जिसमें निम्नलिखित होंगे:--

(क) सभी सुसंगत तथ्यों का एक विवरण जिसके अन्तर्गत कर्मचारी की कोई स्वीकृति या संस्वीकृति भी है,

(ख) ऐसे दस्तावेजों की एक सूची जिनसे, और उन साक्षियों की एक सूचि जिनके द्वारा, प्रस्थापित आरोप ब्यौरे प्रमाणित किए जाने हों ।

(4) अनुशासनिक प्राधिकारी कर्मचारी को आरोप ब्यौरों की एक प्रति, अवचार या कदाचार के लांछनों का विवरण और उन दस्तावेजों और साक्षियों की एक सूचि जिनसे या जिनके द्वारा प्रत्येक आरोप ब्यौरे प्रमाणित करना प्रस्थापित हो, परिदत्त करेगा अथवा कराएगा और कर्मचारी से, ऐसे समय के भीतर जैसा कि

विनिर्दिष्ट किया जाए, अपने प्रतिवाद का लिखित कथन पेश करने की तथा यह अभिकथित करने की कि वह सुनवाई के लिए स्वयं को प्रस्तुत करना चाहता है या नहीं, अपेक्षा करेगा ।

(5) (क) प्रतिवाद के लिखित कथन की प्राप्ति पर अनुशासनिक प्राधिकारी, आरोपों के उन ब्यौरों को, जिन्हें स्वीकार न किया गया हो, जांच स्वयं करेगा अथवा, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो, इस प्रयोजन के लिए एक जांच प्राधिकारी उपनियम (2) के अधीन नियुक्त कर सकेगा; और जहां कर्मचारी ने अपने प्रतिवाद के लिखित कथन में आरोप के सभी ब्यौरों को स्वीकार कर लिया हो वहां अनुशासनिक प्राधिकारी प्रत्येक आरोप के सम्बन्ध में अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और विनियम 59 में अधिकथित रीति से कार्य करेगा ।

(ख) यदि कर्मचारी ने प्रतिवाद का कोई लिखित कथन पेश न किया हो तो अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप के ब्यौरों की जांच स्वयं कर सकेगा अथवा यदि वह ऐसा आवश्यक समझे तो, इस प्रयोजन के लिए एक जांच प्राधिकारी उपविनियम (2) के अधीन नियुक्त कर सकेगा ।

(ग) जहां अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप के ब्यौरों की जांच स्वयं करे अथवा ऐसे आरोप की जांच के लिए कोई जांच प्राधिकारी नियुक्त करे वहां वह, आदेश द्वारा, निगम के किसी कर्मचारी को अथवा विधि व्यवसायी को, जो 'प्रस्तुतकर्ता अधिकारी' कहलाएगा, आरोपों के ब्यौरों के समर्थन में अपनी ओर से मामले को प्रस्तुत करने के लिए, नियुक्त कर सकेगा ।

(6) अनुशासनिक प्राधिकारी, जहां वह स्वयं जांच अधिकारी न हो वहां, जांच प्राधिकारी को निम्नलिखित भेजेगा, अर्थात्:—

(i) आरोपों के ब्यौरों और अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की एक प्रति ;

(ii) कर्मचारी द्वारा पेश किए गए प्रतिवाद के लिखित कथन की, यदि कोई हो, एक प्रति ;

(iii) उपविनियम (3) में विनिर्दिष्ट, साक्षियों के बयानों, यदि कोई हों, की एक प्रति ;

(iv) उपविनियम (3) में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों का कर्मचारी को परिदान साबित करने वाला साक्ष्य ; और

(v) 'प्रस्तुतकर्ता अधिकारी' की नियुक्ति के आदेश की एक प्रति ।

(7) कर्मचारी, आरोप के ब्यौरों तथा अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की प्राप्ति की तारीख से दस कार्य दिवसों के भीतर, किसी ऐसे दिन तथा ऐसे समय पर जो जांच प्राधिकारी द्वारा, लिखित सूचना द्वारा, इस निमित्त विहित किया जाए, अथवा अधिक से अधिक दस दिन तक के ऐसे अतिरिक्त समयके भीतर जो जांच प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाए, जांच प्राधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होगा ।

(8) कर्मचारी अपनी ओर से मामले को प्रस्तुत करने के लिए निगम के किसी अन्य कर्मचारी अथवा राज्य या केन्द्रीय सरकार के किसी कर्मचारी की सहायता ले सकेगा किन्तु इस प्रयोजन के लिए किसी विधि व्यवसायी को नहीं रख सकेगा सिवाए तब के जब अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त प्रस्तुतकर्ता अधिकारी विधि व्यवसायी न हो, अथवा, अनुशासनिक प्राधिकारी, मामले की परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए ऐसी अनुज्ञा न दे दे ।

टिप्पण :—निगम केवल निगम के कर्मचारियों की बाबत ही यात्रा भत्ता देगा न कि केन्द्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारियों की बाबत ।

(9) यदि ऐसा कोई कर्मचारी जिसने प्रतिवाद के अपने लिखित कथन में आरोप के ब्यौरों में से किसी को स्वीकार नहीं किया है अथवा प्रतिवाद का कोई लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया है, जांच प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हो तो ऐसा प्राधिकारी उससे पूछेगा कि क्या वह दोषी है अथवा कोई प्रतिवाद प्रस्तुत करना चाहता है, और यदि वह आरोप के ब्यौरों में से किसी के दोषी होने का अभिवचन करे तो जांच प्राधिकारी उसका अभिवाक लेखबद्ध करेगा, उस अभिलेख पर हस्ताक्षर करेगा तथा उस पर कर्मचारी का हस्ताक्षर लेगा ।

(10) कर्मचारी आरोप के जिन ब्यौरों का दोषी होने का अभिवचन करे उनके बारे में जांच प्राधिकारी दोषता के निष्कर्ष अभिलिखित करेगा ।

(11) यदि कर्मचारी विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित न हो अथवा अभिवाक् करने से इन्कार करे या अभिवाक् न करे तो जांच प्राधिकारी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी से अपेक्षा करेगा कि वह उस साक्ष्य को पेश करे जिसके द्वारा वह आरोप के ब्यौरों को साबित करना चाहता है, और मामले को अधिक से अधिक तीस दिन पश्चात्वर्ती तारीख के लिए यह आदेश अभिलिखित करने के पश्चात् स्थगित कर देगा कि कर्मचारी अपना प्रतिवाद तैयार करने के प्रयोजन के लिए :

(i) यदि वह वांछा करे तो, आदेश के पांच दिन के भीतर या अधिक से अधिक पांच दिन के ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो जांच प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाए, उपविनियम (3) में निर्दिष्ट सूचि में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकेगा तथा उनमें से उद्धरण ले सकेगा ;

(ii) उन साक्षियों की सूचि प्रस्तुत कर सकेगा जिनकी परीक्षा वह अपनी ओर से करना चाहता है ।

टिप्पण :—यदि कर्मचारी उपविनियम (3) में निर्दिष्ट सूचि में उपवर्णित साक्षियों के कथन की प्रतियों के दिए जाने के लिए मौखिक रूप से या लिखित में आवेदन करे तो जांच प्राधिकारी उसे ऐसी प्रतियां यथासम्भव शीघ्र, और किसी भी दशा में अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से साक्षियों की परीक्षा के प्रारम्भ होने से कम से कम तीन दिन पूर्व, दे देगा ।

(iii) आदेश के दस दिन के भीतर या अधिक से अधिक दस दिन के ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो जांच प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाए, किन्हीं ऐसे दस्तावेजों के, जो निगम के कब्जे में हैं किन्तु जो उपविनियम (3) में निर्दिष्ट सूचि में उपवर्णित नहीं है, प्रकटीकरण या पेश करने के लिए एक सूचना देगा ।

टिप्पण :—कर्मचारी उन दस्तावेजों की सुसंगतता उपदर्शित करेगा जिनकी वह निगम द्वारा प्रकट या पेश किए जाने की अपेक्षा करे ।

(12) दस्तावेजों के प्रकटीकरण या पेश करने की सूचना प्राप्त होने पर जांच प्राधिकारी उस सूचना को अथवा उसकी प्रतियों को उस प्राधिकारी के पास, जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में दस्तावेज हैं, इस अध्यपेक्षा के साथ भेजेगा कि दस्तावेज ऐसी तारीख तक, जो अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट की जाए, पेश किए जाएं :

परन्तु जांच प्राधिकारी ऐसे कारणों से जिन्हें वह लेखबद्ध करेगा ऐसे दस्तावेजों की अध्यपेक्षा से इन्कार कर सकता है जो उसकी राय में उस मामले के लिए सुसंगत नहीं है ।

(13) उपविनियम (12) में विनिर्दिष्ट अध्यपेक्षा की प्राप्ति पर निगम का हर प्राधिकारी जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में अध्यपेक्षित दस्तावेज हों उन्हें जांच प्राधिकारी के समक्ष पेश करेगा :

परन्तु यह कि यदि उस प्राधिकारी का, जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में अध्यपेक्षित दस्तावेज हैं, यह समाधान हो जाए कि ऐसे सभी अथवा उनमें से किन्हीं दस्तावेजों का पेश किया जाना निगम के हित के या राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध होगा तो वह, उन कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किये जाएंगे, जांच प्राधिकारी को तदनुसार सूचित करेगा और इस प्रकार सूचित किए जाने पर जांच प्राधिकारी उस जानकारी को निगम के कर्मचारियों को संसूचित करेगा तथा ऐसे दस्तावेजों के पेश किए जाने या प्रकटीकरण के लिए की गई अध्यपेक्षा को वापिस ले लेगा ।

(14) जांच के लिए नियत तारीख को अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अथवा उसकी ओर से वह मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया जाएगा जिसके द्वारा आरोप के ब्यौरे साबित किए जाने हों । प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से साक्षियों की परीक्षा की जाएगी और कर्मचारी द्वारा अथवा उसकी ओर से उनकी प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी । प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को उनमें से किसी भी विषय पर जिन पर साक्षियों की प्रतिपरीक्षा की गई हो, पुनः परीक्षा का हक होगा, किन्तु उसे जांच प्राधिकारी की इजाजत के बिना किसी नए विषय पर पुनः परीक्षा का हक नहीं होगा । जांच प्राधिकारी साक्षियों से ऐसे प्रश्न कर सकेगा जैसे वह ठीक समझे ।

(15) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से मामले के बन्द होने के पूर्व यह आवश्यक प्रतीत हो तो जांच प्राधिकारी स्वविवेकानुसार प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा जो कर्मचारी को दी गई सूची में सम्मिलित नहीं है या स्वयं ही नया साक्ष्य मांग सकेगा अथवा किसी साक्षी को पुनः बुला सकेगा और उसकी पुनः परीक्षा कर सकेगा तथा, ऐसी दशा में, यदि कर्मचारी ऐसी मांग करे तो वह उस अतिरिक्त साक्ष्य, जो आगे पेश किया जाना हो, की सूची की प्रति पाने का तथा ऐसे नये साक्षियों के प्रस्तुत किए जाने के पूर्व जांच को, स्थगन के दिन को तथा जिस दिन के लिए जांच स्थगित की गई हो उन्हें छोड़कर, तीन दिन के लिए स्थगित कराने का हकदार होगा । जांच प्राधिकारी दस्तावेजों को अभिलेख में सम्मिलित करने से पूर्व कर्मचारी को उनका निरीक्षण करने का अवसर देगा । यदि जांच प्राधिकारी की यह राय हो कि न्याय के हित में नए साक्ष्य को पेश किया जाना आवश्यक है तो वह कर्मचारी को नया साक्ष्य पेश करने के लिए भी अनुज्ञात कर सकेगा ।

टिप्पण :—साक्ष्य की किसी कमी को पूरा करने के उद्देश्य से किसी नए साक्ष्य के लिए न तो अनुज्ञा दी जाएगी और न मांगी जाएगी अथवा किसी साक्षी को पुनः नहीं बुलाया जाएगा । ऐसे साक्ष्य की मांग केवल उसी दशा में की जाएगी जब मूलतः पेश किए गए साक्ष्य में कोई अन्तर्निहित कमी या त्रुटि हो ।

(16) जब अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से सुनवाई पूरी हो जाए तब कर्मचारी को अपना प्रतिवाद मौखिक या लिखित में, जैसा वह चाहे, कथित करने के लिए कहा जाएगा । यदि प्रतिवाद का कथन मौखिक किया जाए तो उसे लेखबद्ध किया जायेगा और निगम के कर्मचारी से उस अभिलेख पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जाएगी दोनों ही दशाओं में प्रतिवाद के कथन की एक प्रति प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को, यदि कोई नियुक्त किया गया हो तो, दी जाएगी ।

(17) तब कर्मचारी की ओर से साक्ष्य पेश किया जाएगा । यदि कर्मचारी अपनी ओर से स्वयं की परीक्षा करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है । तदनन्तर कर्मचारी की ओर से पेश किए गए गए साक्षियों का परीक्षण होगा और उनका प्रतिपरीक्षण, पुनर्परीक्षण तथा जांच प्राधिकारी द्वारा परीक्षण प्रशासनिक प्राधिकारी के साक्षियों के लिए लागू उपबन्धों के अनुसार ही किया जा सकेगा ।

(18) कर्मचारी की ओर से अपने मामले की सुनवाई पूरी हो जाने के पश्चात् जांच प्राधिकारी कर्मचारी से उन परिस्थितियों के बारे में जो साक्ष्य से उसके विरुद्ध प्रकट हों स्पष्ट करने के लिए समर्थ बनाने के प्रयोजन से सामान्यतः प्रश्न कर सकेगा तथा उस दशा में जब कर्मचारी ने अपनी परीक्षा न की हो जांच प्राधिकारी ऐसा अवश्य ही करेगा ।

(19) साक्ष्य की पेशी पूरी हो जाने के पश्चात् जांच प्राधिकारी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को, यदि कोई नियुक्त हुआ हो, तथा कर्मचारी को, सुनेगा अथवा, यदि वे ऐसी वांछा करें तो, उन्हें अपने-अपने मामलों के लिखित पक्षपत्र दाखिल करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(20) यदि वह कर्मचारी जिसे आरोप के ब्यौरों की प्रति परिदत्त की जा चुकी है, इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट तारीख पर या उससे पूर्व प्रतिवाद का लिखित कथन प्रस्तुत नहीं करता अथवा जांच प्राधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित नहीं होता अथवा इस विनियम के उपबन्धों के अनुपालन में अन्यथा असमर्थ रहता है अथवा अनुपालन से इन्कार करता है तो जांच प्राधिकारी एक पक्षीय जांच कर सकेगा ।

(21) (क) विनियम 54 के खण्ड (i) से लेकर (iv) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए केक्षम [किन्तु विनियम 54 के खण्ड (v) से लेकर (ix) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए असक्षम] अनुशासनिक प्राधिकारी ने जहां किसी आरोप के ब्यौरों की जांच स्वयं की हो अथवा कराई हो और वह प्राधिकारी, अपने निष्कर्षों को अथवा अपने द्वारा नियुक्त किसी जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों में से किसी पर अपने विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए, इस राय का हो कि कर्मचारी पर विनियम 54 के खण्ड (v) से लेकर (ix) में विनिर्दिष्ट शास्तियां अधिरोपित की जानी चाहिएं तो वह प्राधिकारी जांच के अभिलेख को ऐसे अनुशासनिक प्राधिकारी को भेज सकेगा जो विनियम 54 के खण्ड (v) से लेकर (ix) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सक्षम है ।

(ख) वह अनुशासनिक प्राधिकारी जिसे अभिलेख इस प्रकार से भेजे जाएं, अभिलेख पर आए हुए साक्ष्य के आधार पर आगे कार्रवाई कर सकेगा अथवा, यदि उसके विचार में किन्हीं साक्षियों का और आगे परीक्षण न्याय के हित में आवश्यक हो तो वह उन साक्षियों को पुनः बुला सकेगा तथा उनका परीक्षण, प्रतिपरीक्षण और पुनः परीक्षण कर सकेगा एवं कर्मचारी पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जैसी कि वह इन विनियमों के अनुसार ठीक समझे ।

(22) किसी जांच में सम्पूर्ण साक्ष्य को या उसके किसी भाग को सुनने तथा अभिलिखित करने के पश्चात् जब कभी भी किसी जांच प्राधिकारी की अधिकारिता समाप्त हो जाए और उसके स्थान पर कोई अन्य ऐसी जांच प्राधिकारी पद ग्रहण कर ले जिसे ऐसी अधिकारिता प्राप्त हो और जो उसका प्रयोग करता हो तो इस प्रकार से स्थान ग्रहण करने वाला उत्तरवर्ती जांच प्राधिकारी अपने पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित ; अथवा अंशतः अपने पूर्ववर्ती द्वारा और अंशतः स्वयं द्वारा अभिलिखित साक्ष्य के आधार पर आगे कार्रवाई कर सकेगा;

परन्तु यह कि यदि उत्तरवर्ती जांच प्राधिकारी की यह राय हो कि उन साक्षियों में से जिनका साक्ष्य पहले ही अभिलिखित किया जा चुका है किसी का आगे और परीक्षण न्याय के हित में आवश्यक है तो वह ऐसे किन्हीं साक्षियों को, जैसा कि इसमें इसके पूर्व उपबन्धित है, पुनः बुला सकेगा तथा उनका परीक्षण, प्रतिपरीक्षण और पुनः परीक्षण कर सकेगा ।

(23) (i) जांच पूरी हो जाने के पश्चात् एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(क) आरोप के ब्यौरों तथा अवचार या कदाचार के लांछनों का कथन ;

(ख) आरोप के प्रत्येक ब्यौरे की बाबत कर्मचारी का प्रतिवाद ;

(ग) आरोप के प्रत्येक ब्यौरे की बाबत साक्ष्य का निर्धारण ;

(घ) आरोप के प्रत्येक ब्यौरे की बाबत निष्कर्ष तथा निष्कर्ष के कारण ।

स्पष्टीकरण — यदि जांच प्राधिकारी की राय में जांच की कार्यवाहियों से मूल आरोप ब्यौरे से भिन्न कोई अन्य आरोप ब्यौरा सिद्ध होता हो तो वह आरोप के ऐसे ब्यौरे की बाबत अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा ;

परन्तु आरोप के ऐसे ब्यौरे की बाबत कोई निष्कर्ष तब तक अभिलिखित नहीं किया जाएगा जब तक कि या तो कर्मचारी उन तथ्यों को, जिन पर वह आरोप का ब्यौरा आधारित है, स्वीकार न कर ले अथवा जब तक कि उसे आरोप के उस ब्यौरे के विरुद्ध अपना प्रतिवाद करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाए ।

(ii) जहां जांच प्राधिकारी स्वयं अनुशासनिक प्राधिकारी न हो वहां वह जांच के अभिलेख , जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अनुशासनिक प्राधिकारी को भेजेगा :—

(क) उसके द्वारा खण्ड (i) के अधीन तैयार की गई रिपोर्ट ;

(ख) कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिवाद का लिखित कथन, यदि कोई हो ;

(ग) जांच के दौरान पेश किया गया मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य,

(घ) जांच के दौरान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा अथवा कर्मचारी द्वारा अथवा दोनों के द्वारा दाखिल किए गए लिखित पक्षपत्र, यदि कोई हों, और

(ङ) अनुशासनिक प्राधिकारी तथा जांच प्राधिकारी द्वारा जांच की बाबत किए गए आदेश, यदि कोई हों ।

59. जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई :

(1) अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह स्वयं जांच प्राधिकारी न हो तो, उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, मामले को जांच प्राधिकारी के पास आगे और जांच तथा रिपोर्ट के लिए विप्रेषित कर सकेगा और तदुपरि जांच प्राधिकारी, यावत्शक्य, विनियम 58 के उपबन्धों के अनुसार और आगे जांच करने के लिए अग्रसर होगा ।

(2) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप के किसी ब्यौरे पर जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों से असहमत हो तो वह असहमति के कारणों को अभिलिखित करेगा तथा, यदि अभिलिखित साक्ष्य इस प्रयोजन के पर्याप्त हो तो, ऐसे आरोप के सम्बन्ध में अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा ।

(3) आरोप के सभी अथवा किन्हीं ब्यौरों पर अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की राय हो कि विनियम 54 के खण्ड (i) से लेकर (iv) तक में निर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति कर्मचारी पर अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह, विनियम 58 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी शास्ति अधिरोपित करते हुए आदेश दे सकेगा ।

(4) (i) आरोप के सभी अथवा किन्हीं ब्यौरों पर अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि विनियम 54 के खण्ड (v) से लेकर (ix) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति कर्मचारी पर अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह

(क) अपने द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट की एक प्रति तथा आरोप के प्रत्येक ब्यौरे पर अपने निष्कर्ष, अथवा, जहां जांच अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किसी जांच प्राधिकारी द्वारा की गई हो वहां, ऐसे प्राधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति तथा आरोप के प्रत्येक ब्यौरे पर उसके निष्कर्षों का कथन, तथा साथ ही जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों से अपनी असहमति के, यदि हो तो संसंक्षिप्त कारण, कर्मचारी को देगा ;

(ख) कर्मचारी पर अधिरोपित किए जाने के लिए प्रस्थापित शास्ति का कथन करते हुए एक सूचना कर्मचारी को देगा जिसके द्वारा उसे सूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर, अथवा अधिक से

अधिक पन्द्रह दिन के ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो अनुज्ञात किया जाए, ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा जैसा कि वह, विनियम 58 के अधीन की गई जांच के दौरान पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर, प्रस्थापित शास्ति के विरुद्ध देना चाहे।

(ii) प्रशासनिक प्रधिकारी, कर्मचारी द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि सेवा के सदस्य पर कौन सी शास्ति, यदि कोई की जानी हो, अधिरोपित की जाए तथा ऐसा आदेश, जैसा कि वह ठीक समझे, करेगा।

60. छोटी शास्तियां अधिरोपित करने के लिए प्रभिया :

(1) विनियम 59 के उपविनियम (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विनियम 54 के खण्ड (i) से लेकर (iv) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति कर्मचारी पर अधिरोपित करने के लिए कोई आदेश तब तक के सिवाऊ नही किया जाएगा जब तक कि :—

(क) कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के प्रस्ताव की और अवचार या कदाचार के जिन लांछनों के आधार पर कार्रवाई करना प्रस्तावित है उनकी जानकारी कर्मचारी को लिखित में न दे दी जाए तथा उसे ऐसा अभ्यावेदन देने का जैसा वह प्रस्ताव के विरुद्ध देना चाहता हो, युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाए;

(ख) ऐसे हरएक मामले में जिसमें अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि ऐसी जांच आवश्यक है, विनियम 58 के उपविनियम (3) से लेकर (23) में अधिकथित रीति से जांच न कर ली जाए;

(ग) कर्मचारी द्वारा खण्ड (क) के अधीन प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, तथा खण्ड (ख) के अधीन जांच के अभिलेख पर, यदि कोई हो तो, विचार न कर लिया जाए;

(घ) अवचार या कदाचार के प्रत्येक लांछन पर निष्कर्ष अभिलिखित न कर दिया जाए।

(2) उपविनियम (1) के खण्ड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, उस उपविनियम के खण्ड (क) के अन्तर्गत कर्मचारी द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात्, वेतन वृद्धियों का रोका जाना तथा वेतन वृद्धि के इस प्रकार रोके जाने से कर्मचारी को संदेय सेवा निवृत्ति फायदों की राशि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भावित हो, अथवा तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वेतन की वृद्धियों का रोका जाना अथवा किसी भी अवधि के लिए वेतन वृद्धि का समधिक प्रभाव से रोका जाना प्रस्तावित हो तो कर्मचारी पर ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश करने के पूर्व विनियम 58 के उपविनियम (3) से लेकर (23) तक में उपवर्णित रीति में जांच की जाएगी।

(3) ऐसे मामलों में कार्रवाईयों के अभिलेख में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :—

(i) कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के प्रस्ताव की उसे दी गई प्रज्ञापना की एक प्रति ;

(ii) अवचार या कदाचार के लांछनों के उसे दिए गए विवरण की एक प्रति ;

(iii) उसका अभ्यावेदन यदि कोई हो;

(iv) जांच के दौरान पेश किया गया साक्ष्य ;

(v) अवचार या कदाचार के प्रत्येक लांछन के बाबत निष्कर्ष; और

(vi) उस मामले में दिया गया आदेश तथा उसके कारण।

61. आदेश की संसूचना :

अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा किया गया आदेश कर्मचारी को संसूचित किया जाएगा तथा अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा की गई जांच की, यदि कोई की गई हो, रिपोर्ट की एक प्रति भी और आरोप के प्रत्येक ब्यौरे पर उसके निष्कर्षों की एक प्रति, अथवा जहां अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जांच प्राधिकारी न हो वहां, जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति एंव अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्षों का विवरण, जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों से उसके मतभेदों, यदि कोई हों, के संक्षिप्त कारणों सहित, भी कर्मचारी को दिए जाएंगे (यदि वे उसे पहले ही न दे दिये गये हों)।

62. एक साथ कार्यवाही :

(1) जहां किसी मामले का सम्बन्ध निगम के दो या अधिक कर्मचारियों से हो वहा बोर्ड अथवा कोई अन्य प्राधिकारी, जो ऐसे सभी कर्मचारियों को सेवा से च्यूत करने की शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम हो, यह निदेश देते हुए आदेश कर सकेगा कि ऐसे सभी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां एक ही साथ की जाएंगी।

टिप्पण—यदि ऐसे कर्मचारियों को सेवा से च्यूत करने की शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी भिन्न-भिन्न हों तो उसके विरुद्ध एक ही साथ अनुशासनिक कार्यवाही करने का आदेश उन प्राधिकारियों में से उच्चतम प्राधिकारी द्वारा अन्य प्राधिकारियों की सहमति से किया जा सकेगा।

(2) उपविनियम (1) के अधीन किए गए आदेश में निम्नलिखित विहित होंगे :—

(i) वह प्राधिकारी जो एक साथ कार्यवाही के प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कृत्य कर सकेगा ;

(ii) विनियम 54 में विनिर्दिष्ट वे शास्तियां जिन्हें अधिरोपित करने के लिए ऐसा अनुशासनिक प्राधिकारी सक्षम होगा ;

(iii) कार्यवाही में विनियम 58 और 59 अथवा विनियम 60 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा या नहीं।

63. कतिपय मामलों में विशेष प्रक्रिया —

विनियम 58 से लेकर विनियम 62 तक में किसी बात के होते हुए भी :

(i) जहां किसी कर्मचारी पर किसी ऐसे आचरण के आधार पर जिसके परिणामस्वरूप उसे किसी आपराधिक आरोप का दोषसिद्ध ठहराया गया है, कोई शास्ति अधिरोपित की जाए, अथवा

(ii) जहां अनुशासनिक प्राधिकारी का, उन कारणों से जिन्हें वह लेखबद्ध करेगा, यह समाधान हो जाए कि इन विनियमों के उपबन्धों में उपबन्धित रीति से कोई जांच करना युक्तियुक्त तौर पर साध्य नहीं है, अथवा

(iii) जहां बोर्ड का यह समाधान हो जाए कि इन विनियमों में उपबन्धित रीति से कोई जांच करना राज्य की सुरक्षा के हित में समीचीन नहीं है ;

तो अनुशासनिक प्राधिकारी उस मामले की परिस्थितियों पर विचार कर सकेगा और उसकी बाबत ऐसे आदेश कर सकेगा जैसे वह ठीक समझे ।

64. अन्य संगठनों को दिए गए अधिकारियों की बाबत उपबन्ध:

(1) जहां निगम के किसी कर्मचारी की सेवाएं किसी अन्य संगठन को (जिसे इस विनियम में इसके पश्चात् "गृहीता प्राधिकारी" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) सौंप दी गई हों तो वहां गृहीता प्राधिकारी को ऐसे कर्मचारी को निलम्बित करने के प्रयोजन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की शक्तियां होंगी तथा उस कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के संचलन के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी की शक्तियां होंगी :

परन्तु यह कि गृहीता प्राधिकारी अविलम्ब उस प्राधिकारी की जिसने कर्मचारी की सेवाएं सौंपी हों (जिसे इस विनियम में इसके पश्चात् "मूल प्राधिकारी" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) यथास्थिति, उन परिस्थितियों की जिनमें ऐसे कर्मचारी के निलम्बन का आदेश किया गया है अथवा अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ करने की, जानकारी देगा ।

(2) कर्मचारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही में के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए :

(i) यदि गृहीता प्राधिकारी की यह राय हो कि कर्मचारी पर विनियम 54 के खण्ड (i) से लेकर (iv) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह मूल प्राधिकारी से परामर्श करने के पश्चात् उस मामले में ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा कि वह ठीक समझे:

परन्तु यह कि गहीता प्राधिकारी और मूल प्राधिकारी के बीच मतभेद होने की दशा में कर्मचारी की सेवाएं मूल प्राधिकारी को वापिस सौंप दी जाएंगी;

(ii) यदि गृहीता प्राधिकारी की यह राय हो कि कर्मचारी पर विनियम 54 के खण्ड (v) से लेकर (ix) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह उस कर्मचारी की सेवाएं तथा जांच कार्यवाही सम्बन्धी कागजात मूल प्राधिकारी को सौंप देगा और तदुपरि मूल प्राधिकारी, यदि वह अनुशासनिक प्राधिकारी भी हो तो, उस पर उसके सम्बन्ध में ऐसे आदेश कर सकेगा जैसे कि वह आवश्यक समझे, अथवा यदि वह अनुशासनिक प्राधिकारी न हो तो, मामले को अनुशासनिक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा जो उस मामले में ऐसे आदेश कर सकेगा जैसे कि वह आवश्यक समझे :

परन्तु यह कि अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसा आदेश करने से पूर्व विनियम 59 के उपविनियम (3) और (4) के उपबन्धों का अनुपालन करेगा ।

स्पष्टीकरण—अनुशासनिक प्राधिकारी गृहीता प्राधिकारी द्वारा भेजे गए जांच आभिलेख के आधार पर इस खण्ड के अन्तर्गत, अथवा जहां तक सम्भव हो विनियम 58 के अनुसार, आगे और ऐसी जांच करके, जैसी वह आवश्यक समझे, आदेश कर सकेगा ।

65. केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों, सरकार के स्वामित्वाधीन संगठनों, कम्पनियों और निगमों से लिए गए अधिकारियों की बाबत उपबन्ध :

(1) जहां निलम्बन का कोई आदेश अथवा कोई अनुशासनिक कार्यवाही किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी अथवा पब्लिक सैक्टर या प्राइवेट सैक्टर के उपक्रम के किसी कर्मचारी के विरुद्ध किया जाता या की जाती है, जिसकी सेवाएं किसी सरकार से अथवा उसके अधीन किसी प्राधिकारी से अथवा उपक्रम से ली गई हैं वहां सेवाएं सौंपने वाले प्राधिकारी को (जिसे इस विनियम में इसके पश्चात् "मूल प्राधिकारी" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) यथास्थिति, उन परिस्थितियों की जिनमें निलम्बन का आदेश किया गया है अथवा अनुशासनिक कार्यवाही के आरम्भ की जानकारी अविलम्ब दी जाएगी ।

(2) लिए गए सरकारी सेवक और पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सैक्टर के उपक्रम के कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही में निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए :

(i) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि उस कर्मचारी पर विनियम 54 के खण्ड (i) से लेकर (iv) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह, मूल प्राधिकारी से परामर्श करने के पश्चात् ऐसे आदेश कर सकेगा जैसे वह आवश्यक समझे :

परन्तु यह कि गृहीता प्राधिकारी और मल प्राधिकारी के बीच मतभेद होने की दशा में सरकारी सेवक अथवा पब्लिक सैक्टर या प्राइवेट सैक्टर के उपक्रम के कर्मचारी की सेवाएं मूल प्राधिकारी को वापिस सौंप दी जाएंगी ;

(ii) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि उस कर्मचारी पर विनियम 54 के खण्ड (v) से लेकर (ix) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह उस कर्मचारी की सेवाएं और जांच कार्रवाई के सम्बन्धित कागजात मूल प्राधिकारी को ऐसी कार्रवाई करने के लिए सौंप देगा जैसी कि वह आवश्यक समझे ।

66. **निलम्बन** :

(1) नियुक्ति प्राधिकारी अथवा कोई प्राधिकारी जो नियुक्ति प्राधिकारी के अधीनस्थ है अथवा अनुशासनिक प्राधिकारी अथवा बोर्ड द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अन्य प्राधिकारी, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, कर्मचारी को निम्नलिखित दशाओं में निलम्बित कर सकेगा :

(क) जहां उस कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का विचार हो अथवा कार्रवाई लम्बित हो, या

(ख) जहां उपर्युक्त प्राधिकारी की राय में उस कर्मचारी ने ऐसी कार्रवाइयों में भाग लिया है जो राज्य की सुरक्षा के हित के प्रतिकूल हैं, या

(ग) जहां उसके विरुद्ध कोई दण्डिक अपराध का मामला अन्वेषण, जांच या परीक्षणाधीन है :

परन्तु यह कि जहां निलम्बन का आदेश नियुक्ति प्राधिकारी से निम्नतर प्राधिकारी द्वारा किया गया हो वहां ऐसा प्राधिकारी अविलम्ब उन परिस्थितियों की रिपोर्ट नियुक्ति प्राधिकारी को देगा जिनमें वह आदेश किया गया है ।

(2) कोई भी कर्मचारी—

(क) यदि उसे किसी आपराधिक आरोप के आधार पर अथवा अन्यथा अड़तालीस घन्टे से अधिक के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाए तो उसके निरोध की तारीख से,

(ख) यदि किसी अपराध का दोषसिद्ध पाए जाने की दशा में उसे अड़तालीस घंटे से अधिक अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया गया हो तथा यदि उसे अविलम्ब ऐसी दोषसिद्धि के आधार पर पदच्युत न किया जाए अथवा हटाया न जाए अथवा सेवा से अनिवार्यतः निवृत्त न किया जाए तो उसकी दोष-सिद्धि की तारीख से,

नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश से निलम्बित किया गया समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपविनियम के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अड़तालीस घंटे की अवधि की गणना दोषसिद्धि के पश्चात् कारावास के आरम्भ से की जाएगी तथा इस प्रयोजन के लिए, कारावास की अन्तरित अवधियां, यदि कोई हों, गणना में ली जाएंगी ।

(3) जहां किसी निलम्बित कर्मचारी पर सेवा से पदच्युत करने, हटाने अथवा अनिवार्य रूप से निवृत्त करने की कोई अधिरोपित शास्ति इन विनियमों के अधीन अपील में या पुनर्विलोकन पर उपास्त कर दी जाए और मामला और आगे जांच या कार्रवाई के लिए या किन्हीं अन्य निदेशों के साथ प्रेषित कर दिया जाए तो वहां उस कर्मचारी का निलम्बन पदच्युत किए जाने, हटाए जाने या अनिवार्य रूप से निवृत्त किए जाने के मूल आदेश की तारीख की ओर से प्रवृत्त रहा आया समझा जाएगा तथा आगे और आदेश होने तक प्रवृत्त रहा आएगा ।

(4) जहां किसी कर्मचारी पर सेवा से पदच्युत करने, हटाने या अनिवार्य रूप से निवृत्त करने की कोई अधिरोपित शास्ति न्यायालय के किसी विनिश्चय के परिणामस्वरूप या उसके द्वारा उपास्त कर दी जाए या शून्य घोषित कर दी जाए या हो जाए और अनुशासनिक प्राधिकारी, मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए, उस कर्मचारी के विरुद्ध, उन अभिकथनों पर जिन पर पदच्युत करने, हटाने या अनिवार्य रूप से निवृत्त करने की शास्ति मूलतः अधिरोपित की गई थी, आगे और जांच करने का निश्चय करे वहां कर्मचारी को पदच्युत किए जाने, हटाए जाने या अनिवार्य रूप से निवृत्त किए जाने के मूल आदेश की तारीख से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निलम्बित कर दिया गया समझा जाएगा तथा आगे और आदेश होने तक निलम्बित रहा आएगा ।

(5) (क) इस विनियम के अधीन किया गया अथवा किया गया समझा गया निलम्बन-आदेश तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि वह ऐसे प्राधिकारी द्वारा उपान्तरित या प्रतिसंहृत न कर दिया जाए जो ऐसा करने के लिए सक्षम हो ।

(ख) जहां कोई कर्मचारी, चाहे किसी अनुशासनिक कार्रवाई के सम्बन्ध में अथवा अन्यथा, निलम्बित कर दिया जाए या किया गया समझा जाए, और उस निलम्बन के चालू रहने के दौरान उसके विरुद्ध कोई अन्य अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जाए तो वहां वह प्राधिकारी जो उसे निलम्बित करने के लिए सक्षम है, उन कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे यह निदेश दे सकेगा कि कर्मचारी ऐसी सभी या किन्हीं कार्रवाइयों की समाप्ति पर्यन्त निलम्बित रहा आएगा ।

(ग) इस विनियम के अधीन किया गया या किया गया समझा गया निलम्बन आदेश किसी भी समय उस प्राधिकारी द्वारा जिसने वह आदेश किया था या जिसके द्वारा वह आदेश किया गया समझा जाए अथवा वह प्राधिकारी जिसके अधीनस्थ है, ऐसे किसी प्राधिकारी द्वारा, उपान्तरित या प्रतिसंहृत किया जा सकेगा ।

(6) निलम्बनाधीन अथवा निलम्बनाधीन समझा गया कर्मचारी उस वेतन, जिसका वह अन्यथा पात्र होता, के आधे के समतुल्य निर्वाह अनुदान का हकदार होगा । वह उस वेतन के आधार पर जो वह निलम्बन की तारीख को प्राप्त कर रहा था अन्य प्रतिकारात्मक भत्ते जैसे कि (नगर) प्रतिकारात्मक भत्ता, मकान किराया भत्ता, ऐसे भत्तों को पाने के लिए रखी गई अन्य शर्तों को पूरा करने पर, प्राप्त करने का हकदार होगा । यदि निलम्बनाधीन कर्मचारी का मुख्यालय सक्षम प्राधिकारी के आदेश से लोक हित में एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाया जाए तो कर्मचारी नए स्थान

पर अनुज्ञेय भत्ते पाने का हकदार होगा बशर्ते कि वह ऐसे नए स्थान के संबंध में अपेक्षित प्रमाण-पत्र, यदि कोई हो, प्रस्तुत करे :

परन्तु इस विनियम के अधीन कोई संदाय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कर्मचारी इस आशय का प्रमाणपत्र न दे दे कि वह किसी अन्य रोजगार, कारोबार, वृत्ति या व्यवसाय में नहीं लगा हुआ है।

(7) सक्षम प्राधिकारी से ठीक उच्चतर प्राधिकारी निर्वाह अनुदान की रकम में प्रथम बारह मास से अधिक की किसी अवधि के लिए निम्नलिखित रूप में परिवर्तन कर सकेगा :

(i) यदि उक्त प्राधिकारी की राय में निलम्बन की अवधि में वृद्धि किन्हीं ऐसे कारणों से हुई हो जिनका दायित्व प्रत्यक्षतः कर्मचारी पर नहीं माना जा सकता, तथा जिन कारणों को लेखबद्ध किया जाएगा, वहां निर्वाह अनुदान की रकम ऐसी यथोचित रकम तक बढ़ाई जा सकेगी जो प्रथम बारह मास की अवधि के दौरान अनुज्ञेय निर्वाह अनुदान के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं हो ;

(ii) यदि उक्त प्राधिकारी की राय में निलम्बन की अवधि में वृद्धि किन्हीं ऐसे कारणों से हुई हो जिनका दायित्व प्रत्यक्षतः कर्मचारी पर ही है, तथा जिन कारणों को लेखबद्ध किया जाएगा, वहां निर्वाह अनुदान की रकम ऐसी यथोचित रकम तक घटाई जा सकेगी जो प्रथम बारह मास की अवधि के दौरान अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते से पचास प्रतिशत से अधिक नहीं हो :

टिप्पण—जहां बोर्ड/कार्यपालिका समिति सक्षम प्राधिकारी है वहां ऐसी वृद्धि या कमी, यथास्थिति, बोर्ड/कार्यपालिका समिति द्वारा की जाएगी।

(8) जहां कर्मचारी का निलम्बन अन्यायपूर्ण पाया जाए अथवा पूर्णतः न्यायोचित न पाया जाए ; अथवा जहां पदच्युत या निलम्बित किया गया कर्मचारी बहाल कर दिया जाए वहां, यथास्थिति, अनुशासनिक, अपीली अथवा पुनर्वीक्षा करने वाला प्राधिकारी कर्मचारी को उसके कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए निम्नलिखित वेतन आदि मंजूर कर सकेगा तथा उसका विनिश्चय अन्तिम होगा :

(क) यदि कर्मचारी ससम्मान दोषमुक्त हो जाए तो पूरा वेतन तथा, सवारी भत्ते से भिन्न, अन्य भत्ते जिनका कि वह पदच्युत अथवा निलम्बित न किए जाने की दशा में हकदार होता, किन्तु उनमें से निर्वाह अनुदान कम करके ;

(ख) अन्य सभी दशाओं में, ऐसा वेतन तथा, सवारी भत्ते से भिन्न अन्य भत्ते ऐसे अनुपात में मंजूर किए जाएंगे जैसे कि अनुशासनिक, अपीली अथवा पुनर्वीक्षा करने वाला प्राधिकारी विहित करे। खण्ड (क) के अधीन आने वाले मामलों में कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि कर्तव्य पर व्यतीत की गई अवधि समझी जाएगी। खण्ड (ख) के अधीन आने वाले मामलों में उक्त अवधि तब तक कर्तव्य पर व्यतीत की गई अवधि नहीं समझी जाएगी जब तक कि अनुशासनिक, अपीली अथवा पुनर्वीक्षा करने वाला प्राधिकारी, यथास्थिति, उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसा निदेश न दे।

इस विनियम के अधीन किए गए किसी आदेश का यह प्रभाव नहीं होगा कि वह किसी कर्मचारी को उसे संदत्त निर्वाह अनुदान के किसी अंश को वापिस करने के लिए बाध्य करे।

67. **अपीलें**—

वे आदेश जिनके विरुद्ध अपील नहीं होगी :

इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित आदेशों के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी :

(i) बोर्ड द्वारा किया गया कोई आदेश ;

(ii) निलम्बन आदेश से भिन्न कोई भी अन्तर्वर्ती प्रकृति का अथवा साहाय्य-उपाय प्रकृति का अथवा अनुशासनिक कार्रवाई के अन्तिम रूप से निपटारे का कोई आदेश ;

(iii) जांच प्राधिकारी द्वारा विनियम 58 के अधीन किसी जांच के दौरान किया गया कोई आदेश।

68. **वे आदेश जिनके विरुद्ध अपील की जा सकेगी :**

निगम का कोई भी कर्मचारी, विनियम 67 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित सभी या किन्हीं आदेशों के विरुद्ध अपील कर सकेगा ; अर्थात् :—

(i) विनियम 66 के अधीन किया गया अथवा किया समझा गया निलम्बन-आदेश ;

(ii) विनियम 54 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने का आदेश चाहे वह अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा किया गया हो अथवा किसी अपीली या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा ;

(iii) विनियम 54 के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति में वृद्धि करने का आदेश ;

(iv) कोई ऐसा आदेश जिसके द्वारा—

(क) कर्मचारी के लिए अलाभदायक रूप से उसके वेतन भत्तों और अन्य सेवा निवृत्ति फायदों का जो विनियमों द्वारा अथवा करार द्वारा विनियमित हों, इन्कार किया जाए अथवा उनमें फेरफार किया जाए ; अथवा

(ख) ऐसे किसी विनियम अथवा करार के उपबन्धों का उसके लिए अलाभप्रद रूप से निर्वचन किया जाए ;

(v) कोई ऐसा आदेश जिसके द्वारा—

(क) उसे शास्ति के रूप में से अन्यथा किसी उच्चतर ग्रेड अथवा पद से, जिसमें वह स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो, किसी निम्नतर ग्रेड अथवा पद पर प्रत्यावर्तित किया जाए;

(ख) उसे विनियमों के अधीन अनुज्ञेय अधिकतम सेवान्त फायदों से वंचित किया जाए या उनमें कमी की जाए अथवा उनमें प्रतिसंहृत किया जाए;

(ग) उसे निलम्बन की अवधि के लिए अथवा उस अवधि के लिए जिसके दौरान उसे निलम्बन के अधीन समझा गया हो अथवा उनमें से किसी अवधि के भाग के लिए संदेय निर्वाह और अन्य भत्ते अवधारित किए जाएं;

(घ) निम्नलिखित अवधियों के लिए उसके वेतन और भत्ते अवधारित किए जाएं, अर्थात् :—

(i) निलम्बन की अवधि, अथवा

(ii) उसकी पदच्युति, सेवा से हटाए जाने अथवा अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किए जाने की तारीख से, अथवा किसी निम्नतर ग्रेड, पद, वेतन-मान, वेतनमान के प्रक्रम पर प्रत्यावर्तित किए जाने की तारीख से लेकर उसके ग्रेड अथवा पद पर उसकी बहाली या पुनः पदस्थ किए जाने की तारीख तक की अवधि, अथवा

(ङ) यह अवधारित किया जाए कि उसके निलम्बन की तारीख से अथवा उसकी पदच्युति, हटाए जाने, अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किए जाने अथवा किसी निम्नतर ग्रेड, पद, वेतनमान अथवा वेतन-मान के प्रक्रम पर प्रत्यावर्तित किए जाने की तारीख से लेकर उसके ग्रेड अथवा पद पर बहाली अथवा पुनः पदस्थ किए जाने की तारीख तक की अवधि किसी प्रयोजन के लिए कर्तव्य पर व्यतीत की गई अवधि मानी जाएगी अथवा नहीं ।

स्पष्टीकरण—इस विनियम में—

(i) 'निगम का कर्मचारी' पद के अन्तर्गत वह व्यक्ति भी आता है जो अब निगम की सेवा में नहीं रहा है

(ii) 'सेवान्त फायदे' पद के अन्तर्गत उपदान और कोई अन्य सेवा निवृत्ति फायदे भी सम्मिलित हैं ।

69. **अपीली प्राधिकारी**—

अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कोई भी शास्ति अधिरोपित करने के किसी आदेश के विरुद्ध अपील परिशिष्ट 2 में इस निमित्त विनिर्दिष्ट अपीली प्राधिकारी को अथवा बोर्ड द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा सशक्त किसी अन्य प्राधिकारी को (जो परिशिष्ट 2 में विनिर्दिष्ट अपीली प्राधिकारी से निम्नतर श्रेणी का न हो) की जाएगी । अन्य मामलों में अपील आदेश करने वाले प्राधिकारी से ठीक उच्चतर प्राधिकारी को की जाएगी ।

70. **अपीलों के लिए परिसीमा-अवधि**—

इन विनियमों के अधीन की गई कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि वह अपील उस तारीख से, पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर न की गई हो जिस तारीख को उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की गई है, एक प्रति अपीलार्थी को दी गई हो :

परन्तु अपीली प्राधिकारी उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाए कि अपीलार्थी पर्याप्त कारणों से समय के भीतर अपील नहीं कर सका था ।

71. **अपील का रूप और विषय-वस्तु**—

(1) अपील करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अलग-अलग और अपने नाम से अपील करेगा ।

(2) जपील उसी प्राधिकारी के समक्ष दायर की जाएगी जिसको अपील की जा सकती हो तथा उसकी एक प्रति अपीलार्थी द्वारा उस प्राधिकारी को भेजी जाएगी जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की जा रही है । अपील में वे सभी दात्विक कथन और तर्क होंगे जिन पर अपीलार्थी निर्भर करता है, उसमें कोई अनादरपूर्ण अथवा अनुचित बात नहीं होगी, और वह अपने आप में पूर्ण होगी ।

(3) वह प्राधिकारी जिसके आवेश के विरुद्ध अपील की गई है, अपील की प्रति प्राप्त होने पर उसे सुसंगत अभिलेखों सहित, उस पर अपनी टिप्पणियां देकर, बिना किसी अपरिहार्य विलम्ब के, तथा अपीली प्राधिकारी के किसी निदेश की प्रतीक्षा किए बिना ही, अपीली प्राधिकारी को भेज देगा ।

72. **अपील पर विचार**—

(1) निलम्बन—आदेश के विरुद्ध अपील की दशा में अपीली प्राधिकारी यह विचार करेगा कि विनियम 66 के उपबन्धों को दृष्टि में रखते हुए तथा मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निलम्बन का आदेश न्यायोचित है अथवा नहीं तथा तदनुसार वह आदेश की पुष्टि करेगा अथवा उसे प्रतिसंहृत करेगा ।

(2) विनियम 54 में विनिर्दिष्ट किसी शास्ति के अधिरोपण के आदेश के विरुद्ध अपील की दशा में अथवा उस विनियम के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति में वृद्धि की जाने की दशा में, अपीली प्राधिकारी यह विचार करेगा कि—

(क) इन विनियमों में अधिकथित प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं और यदि नहीं तो ऐसे अनुपालन के परिणामस्वरूप इन विनियमों के किसी उपबन्ध का अतिक्रमण तो नहीं हुआ अथवा न्याय में चूक तो नहीं हुई;

(ख) अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्ष अभिलिखित साक्ष्य से समर्थित है अथवा नहीं; और

(ग) अधिरोपित शास्ति अथवा बढ़ाई गई शास्ति पर्याप्त, अपर्याप्त अथवा कठोर है या नहीं;

तथा तब वह—

(i) शास्ति की पुष्टि का, उसमें वृद्धि या कमी का या उसे अपास्त करने का; अथवा

(ii) जिस प्राधिकारी ने शास्ति अधिरोपित की हो या उसमें वृद्धि की हो उसे अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को, ऐसे निदेशों सहित जैसे कि उस मामले की परिस्थितियों में वह ठीक समझे, मामले को विप्रेषित करने का,

आदेश देगा :

परन्तु यह कि :

(i) यदि बढ़ाई गई शास्ति, जिसे अपीली प्राधिकारी अधिरोपित करने की प्रस्थापना करता है, विनियम 54 के खण्ड (v) से लेकर (ix) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति है और उस मामले में विनियम 58 के अधीन जांच पहले नहीं की गई है, तो अपीली प्राधिकारी, विनियम 63 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, स्वयं ही ऐसी जांच करेगा अथवा विनियम 58 के उपबन्धों के अनुसार ऐसी जांच का निदेश देगा और तत्पश्चात्, ऐसी जांच की कार्रवाई पर विचार करके तथा अपीलार्थी को, यथासम्भव, विनियम 59 के उपविनियम (4) के उपबन्धों के अनुसार, ऐसी जांच के दौरान पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर प्रस्थापित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, ऐसा आदेश करेगा जैसा कि वह ठीक समझे;

(ii) यदि बढ़ाई गई शास्ति, जिसे अपीली प्राधिकारी अधिरोपित करने की प्रस्थापना करता है, विनियम 54 के खण्ड (v) से लेकर (ix) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति है और उस मामले में विनियम 58 के अधीन जांच पहले ही की जा चुकी है तो अपीली प्राधिकारी, अपीलार्थी को, यथासम्भव, विनियम 59 के उपविनियम (4) के उपबन्धों के अनुसार जांच के दौरान पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर प्रस्थापित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा कि वह ठीक समझे; और

(iii) बढ़ाई गई शास्ति को अधिरोपित करने वाला कोई आदेश किसी अन्य मामले में तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी को, यथासम्भव विनियम 60 के उपबन्धों के अनुसार ऐसी बढ़ाई गई शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाए।

(3) विनियम 68 में विनिर्दिष्ट किसी अन्य आदेश के विरुद्ध अपील में अपीली प्राधिकारी मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार करेगा और ऐसा आदेश देगा जसा वह न्यायसंगत और साध्यापूर्ण समझे।

73. अपील पर किए गए आदेशों क्रियान्ययन

जिस प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो वही अपीली प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेशों को क्रियान्वित करेगा।

74. पुनर्विलोकन—

(I) इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, निगम किसी भी समय या तो स्वप्रेरणा से अथवा अन्यथा किसी जांच के अभिलेख को मंगा सकेगा और इन विनियमों के अधीन किए गए किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा, तथा

(क) आदेश की पुष्टि कर सकेगा या उसे उपान्तरित अथवा अपास्त कर सकेगा; या

(ख) उस आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति की पुष्टि कर सकेगा या उसे अपास्त कर सकेगा, अथवा जहां कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की गई हो वहां कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा; या

(ग) जिस प्राधिकारी ने आदेश किया था उसे अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को आगे और ऐसी जांच करने के निदेश के साथ जैसे कि वह उस मामले की परिस्थितियों में ठीक समझे, विप्रेषित कर सकेगा; या

(घ) ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा कि वह ठीक समझे :

परन्तु शास्ति अधिरोपित करने वाला या उसमें वृद्धि करने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा तब तक कि सम्बन्धित कर्मचारी को प्रस्थापित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और जहां विनियम 54 के खण्ड (v) से लेकर (ix) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करना प्रस्थापित हो अथवा जिस आदेश का पुनर्विलोकन करना है उसके द्वारा अधिरोपित शास्ति में उक्त खण्डों में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से किसी तक वृद्धि करना प्रस्थापित हो तो ऐसी कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नही कि जाएगी जब तक कि विनियम 58 में अधिकथित रीति में जांच न कर ली जाए तथा सम्बन्धित कर्मचारी को जांच के दौरान पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर प्रस्थापित शास्ति के विरुद्ध हेतुक प्रदर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाए।

(2) पुनर्विलोकन की कोई कार्रवाई :

(i) अपील के लिए परिसीमा अवधि के अवसान के, अथवा

(ii) जहां कोई अपील की गई हो वहां, ऐसी अपील के निबटारे के,

पूर्व आरम्भ नहीं की जाएगी।

(3) पुनर्विलोकन के आवेदन पर उसी रीति से कार्रवाई की जाएगी मानो कि वह इन विनियमों के अधीन कोई अपील हो।

(4) प्रबन्ध निदेशक, क्षेत्रीय निदेशक तथा प्रादेशिक निदेशक (अपर/संयुक्त प्रबन्धक) भी अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा किए गए आदेशों के सम्बन्ध में, ऊपर खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट शक्तियों के समरूप शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे।

75. **विविध :**

आदेशों, सूचनाओं, आदि की तामील

इन विनियमों के अधीन किया गया या जारी किया गया हर आदेश, सूचना और अन्य आदेशिका की तामील सम्बन्धित कर्मचारी पर स्वयं की जाएगी या उसे रजिस्ट्री डाक द्वारा संसूचित की जाएगी ।

76. समय-सीमा शिथिल करने तथा विलम्ब को माफ करने की शक्ति :

इन विनियमों में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा अपबन्धित के सिवाए, इन विनियमों के अधीन कोई आदेश करने के लिए सक्षम कोई भी प्राधिकारी सही और पर्याप्त कारणों से अथवा पर्याप्त हेतुक दिखाए जाने की दशा में, इन विनियमों के अधीन किसी बात के किए जाने के लिए अपेक्षित समय-सीमा को जो इन विनियमों में विनिर्दिष्ट है, बढ़ा सकेगा अथवा विलम्ब के लिए माफी दे सकेगा ।

अनुभाग 6

77. **वेतनमान :**

निगम में विभिन्न प्रवर्गों के पदों के लिए लागू होने वाले वेतनमान परिशिष्ट I में सारणी के स्तंभ 3 में वर्णित हैं ।

78. **भत्ते तथा अग्रिम :**

निगम समय-समय पर—

(i) वे दरें और शर्तें विहित कर सकेगा जिनके अनुसार कर्मचारियों को निगम की सेवा के दौरान दौरों या स्थानान्तरण पद की जाने वाली यात्राओं के लिए यात्रा भत्ता दिए जा सकेंगे;

(ii) वे दरें और शर्तें विहित कर सकेगा जिनके अनुसार कर्मचारियों को पदीय कर्त्तव्यों के दौरान प्रयोग में लाने के लिए विभिन्न प्रकार के वाहन रखने के वास्ते परिवहन भत्ता दिया जा सकेगा;

(iii) किन्हीं अन्य भत्तों की किस्में और दरें तथा वे निबंधन और शर्तें विहित कर सकेगा जिनके अनुसार ऐसे भत्ते मंजूर किए जा सकेंगे;

(iv) वे दरें और शर्तें विहित कर सकेगा जिनके अनुसार निगम के कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय और बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी;

(v) उन अग्रिम राशियों की किस्में जो कर्मचारियों को मंजूर की जा सकेंगी, तथा वे निबंधन और शर्तें जिनके अनुसार ऐसी अग्रिम राशियां मंजूर की जा सकेंगी, विहित कर सकेगा ।

79. कर्मचारी की नियुक्ति जिस पर की जाए उसकी वेतन तथा उसके लिए लागू भत्ते उसे, यदि प्रभार पूर्वाह्न में ग्रहण किया जाए तो प्रभार ग्रहण करने की तारीख से और यदि प्रभार अपराह्न में ग्रहण किया जाए तो पश्चात्‌वर्ती दिन से मिलना प्रारम्भ हो जाएंगे तथा यदि प्रभार में सौंपा जाए तो प्रभार सौंपने के दिन से और यदि प्रभार अपराह्न में सौंपा जाए तो पश्चात्‌वर्ती दिन से मिलना बंद हो जाएंगी :

परन्तु जिस कर्मचारी की मृत्यु सेवा के दौरान हो जाए उसका वेतन मृत्यु के दिन के पश्चात्‌वर्ती दिन से संदेय नहीं रहेगा ।

80. **कार्य ग्रहण काल के दौरान वेतन :**

जहां किसी कर्मचारी का स्थानान्तरण एक पद से दूसरे पद पर किया जाए वहां वह अपने पुराने प्रभार सौंपने की तारीख से लेकर नए पद का प्रभार ग्रहण करने की तारीख के बीच पुराने पद का वेतन तथा भत्ते या नए पद का वेतन तथा भत्ते, दोनों में से जो भी कम हो, लेगा ।

स्पष्टीकरण

उपरोक्त विनियम निगम की सेवा में कार्य ग्रहण करने वाले या अपने मूल विभाग को प्रत्यावर्तित होने वाले प्रतिनियुक्त व्यक्ति पर भी लागू होगा ।

81. **प्रथम नियुक्ति पर वेतन :**

निगम की सेवा में किसी पद नियुक्ति की दशा में कर्मचारी का वेतन जिस पद पर उसे नियुक्त किया गया हो उस पद के लिए लागू वेतनमान के न्यूनतम पर या जहां पद का वेतन नियत हो वहां ऐसे नियत वेतन पर निर्धारित किया जाएगा :

परन्तु जहां वह व्यक्ति, जिसकी नियुक्ति ऐसे पद पर की गई हो जिसका कोई काल वेतनमान है, ऐसी नियुक्ति से ठीक पूर्व केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग में या किसी पब्लिक या प्राइवेट सैक्टर के उपक्रम में कम-से-कम दो वर्ष तक निरन्तर सेवा कर चुका हो, वहां नियुक्ति प्राधिकारी कर्मचारी का वेतन, स्वविवेकानुसार, उस पद के लिए लागू काल वेतनमान में, कर्मचारी द्वारा उक्त विभाग या उपक्रम में लिए गए अंतिम वेतन से ठीक उच्चतर प्रक्रम पर निर्धारित कर सकता है तथा, स्वविवेकानुसार, एक अग्रिम वृद्धि भी मंजूर कर सकता है :

परन्तु यह और कि प्रबन्ध निदेशक, वित्तीय सलाहकार से परामर्श करके, सीधे भर्ती कर्मचारी को अधिक से अधिक पांच-पांच अग्रिम वृद्धियां मंजूर करके प्रारम्भिक वेतन निर्धारित कर सकता है; और कार्यकारी समिति उपरोक्त परिसीमा से अधिक अग्रिम वृद्धियां भी मंजूर कर सकती है :

परन्तु यह और भी कि किसी भी स्थिति में वेतन काल वेतनमान के अधिकतम से अधिक प्रक्रम पर निर्धारित नहीं किया जाएगा ।

82. **प्रोन्नति होने पर वेतन :**

(1) जब निगम का कोई कर्मचारी निगम की सेवा में एक पद से दूसरे उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया जाए तब उसका वेतन, जिस पद से उसे प्रोन्नत किया गया है उसके लिए लागू वेतन-

मामूं, यदि कोई हो, एक वेतन वृद्धि देते हुए, ऐसे उच्चतर पद में, ठीक उच्चतर क्रम पर निर्धारित किया जाएगा :

परन्तु जहां किसी कर्मचारी को नियत वेतन वाले किसी पद पर प्रोन्नत किया जाए तो वहां उसे केवल नियत वेतन ही दिया जाएगा ।

(2) जब सक्षम प्राधिकारी किसी कर्मचारी से अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त किसी उच्चतर पद का प्रभार धारण करने की विनिर्दिष्टतः अपेक्षा करे तो वह कर्मचारी निगम द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार प्रभार भत्ता प्राप्त करने का पात्र होगा ।

83. केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों या पब्लिक सैक्टर के उपक्रमों के प्रतिनियुक्त व्यक्तियों का वेतन :

प्रतिनियुक्ति व्यक्ति का वेतन, उसकी प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुसार, जिन पर मूल प्राधिकारी और निगम परस्पर सहमत हों, विनियमित होगा और साथ ही यह शर्त भी रहेगी कि प्रतिनियुक्त व्यक्ति को मिलने वाले फायदे किसी भी दशा में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के समय-समय पर यथासंशोधित शासन संख्या (24)—ई० III 60, तारीख 4-5-61 में विहित सीमायों से अधिक नहीं होंगे ।

84. प्राइवेट सैक्टर के उपक्रमों से प्रतिनियुक्त व्यक्तियों की दशा में वेतन तथा भत्ते :

सिवाए वहां के जहां प्रबन्ध निदेशक द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्राइवेट सैक्टर के उपक्रमों से प्रतिनियुक्त व्यक्तियों का वेतन विनियम 83 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा ।

85. सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के निगम में पुनर्नियोजन की दशा में वेतन :

उन व्यक्तियों का वेतन जो केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार की सेवा से निवृत्त कर दिये गये हों और निगम की सेवा में पुनर्नियोजित हुए हों, उन सिद्धांतों के अनुसार विनियमित किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार के सिविल विभागों में इसी प्रकार की नियुक्तियों पर लागू हैं । ऐसे मामलों में वार्षिक वेतन वृद्धियां निगम में एक वर्ष सेवा करने के पश्चात् दी जाएंगी ।

86. वेतन वृद्धियां :

जिस पद पर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है उसके काल वेतनमान में वेतन वृद्धियां सामान्य अनुक्रम में की जाती रहेंगी सिवाए उन मामलों के जिनमें इन विनियमों के अन्तर्गत अधिरोपित किसी शास्ति के फलस्वरूप ऐसी वेतन वृद्धियां रोक दी गई हों । सभी वेतन वृद्धियां प्रत्येक वर्ष की प्रथम जनवरी से शोध्य होंगी परन्तु जहां किसी कर्मचारी ने उस तारीख को सेवा के छः मास पूरे नहीं किए हैं उसकी वेतन वृद्धि आगामी प्रथम जुलाई को ही शोध्य होगी ।

स्पष्टीकरण—निगम में समतुल्य या उच्चतर पदों में की गई सारी सेवा वेतन वृद्धियों के लिए गणना में ली जायेगी ।

87. अपने वेतनमान के अधिकतम पर अवरुद्ध कर्मचारियों की तदर्थ वेतन वृद्धि :

प्रवर्ग 3 या 4 का वह कर्मचारी जो दो वर्ष या उससे अधिक से अपने वेतनमान के अधिकतम पर अवरुद्ध है या जो एतत्पश्चात् इस प्रकार अवरुद्ध रहेगा उसे उसके विद्यमान वेतनमान में उसके द्वारा प्राप्त की गई अन्तिम वेतन वृद्धि की दर पर एक तदर्थ वेतन वृद्धि मंजूर की जा सकती है । किन्तु जिस कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक मामला चल रहा हो उसको तदर्थ वेतन वृद्धि की मंजूरी पर विचार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही का परिणाम नहीं निकल आता ।

88. अनुग्रहीत अनुदान :

किसी कर्मचारी की मृत्यु असाधारण या दुःखद परिस्थितियों में होने की दशा में, उन नियमों के अनुसार जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, प्रबन्ध निदेशक कर्मचारी पर निर्भर करने वाले उसके परिवार सदस्यों को, अनुग्रहीत अनुदान मंजूर कर सकेगा यदि सामान्य नियमों के अधीन कोई सेवान्त फायदे/क्षतिपूरक राशि अनुज्ञेय न हो ।

89. व्यावृत्ति सम्बन्धी उपबन्ध—इन विनियमों की कोई भी बात तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, नियम या विनियम के प्रवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी ।

90. इन विनियमों की कोई बात निगम द्वारा या उसके किसी अधिकारी द्वारा, कर्मचारीवृन्द विनियम के प्रारूप में उल्लिखित उपबन्धों के अनुसार जो इन विनियमों के आरम्भ से पूर्व लागू थे, किए गए आदेश या की गई किसी कार्रवाई को अविधिमान्य नहीं बनायेगी ।

91. निर्वचन : यदि इन विनियमों के निर्वचन में, या उन्हें कार्यान्वित करने में कोई शंका या कठिनाई उत्पन्न होती है, या यदि उनको लागू करने में कोई कमी, असंगति या विरोध ज्ञात होता है, तो बोर्ड को इस बात की छूट होगी कि वह ऐसी शंका, कठिनाई, कमी, असंगति या विरोध के निवारण के प्रयोजन के लिए ऐसे साधारण अनुदेश जारी करे जो अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों से असंगत न हो ।

इन्दु शेखर कंसल, संयुक्त कार्मिक प्रबन्धक

परिशिष्ट

भारतीय खाद्य निगम में पदों के/विभिन्न प्रवर्गों,

क्रम संख्या	पद का विवरण	वेतनमान (रुपयों में)	भर्ती की पद्धति	प्रोन्नति	अनुभव
				प्रवरण/अप्रवरण	
1	2	3	4	5	6
			भाग-I विशेष पद		
1.	वित्तीय सलाहकार .	2500–100–3000	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण सीधे भर्ती/प्रोन्नति पद रिक्त होने के प्रत्येक अवसर पर भर्ती की पद्धति निश्चित की जायेगी ।	प्रवरण	उप वित्तीय सलाहकार के रूप में 7 वर्ष का अनुभव ।
2.	आंचलिक प्रबंधक .	—यथोक्त—	—यथोक्त—	—यथोक्त—	प्रबंधक के रूप में 7 वर्ष अनुभव ।
3.	वाणिज्यिक प्रबंधक .	—यथोक्त—	—यथोक्त—	—यथोक्त—	—यथोक्त—
4.	कार्मिक प्रबंधक .	2000–100–2500	—यथोक्त	—यथोक्त—	प्रबंधक के रूप में 5 वर्ष का का अनुभव ।
5.	प्रबंधक (श्रेणी नियंत्रण)	1600–100–2000	—यथोक्त—	—यथोक्त—	—यथोक्त—
6.	प्रबंधक (संचालन)	1600–100–2000	पद रिक्त होने के प्रत्येक अवसर पर भर्ती की पद्धति निश्चित की जाएगी ।	—	—

वर्गीकरणों, भर्ती की पद्धति आदि का विवरण।

सीधे भर्ती अर्हताएं तथा अनुभव यदि कोई हों	आयु सीमा	खाद्य महानिदेशालय में पदों के तदनुरूपी प्रवर्ग	टिप्पणियां
7	8	9	10
अध्यक्ष विहित करेगा	45 वर्ष	—	—
—यथोक्त—	—यथोक्त—	—	—
—यथोक्त—	—यथोक्त—	—	—
—यथोक्त—	—यथोक्त—	—	—
अनिवार्य (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्राणिशास्त्र (कीटशास्त्र सहित) कृषि या जैव रसायनिकी में मास्टर की डिग्री या उसके समतुल्य योग्यता (ii) खाद्यान्नों के वर्गीकरण तथा श्रेणीकरण का उनके प्रतिचयन तथा विश्लेषण का पर्याप्त ज्ञान । (iii) सरकारी या सार्वजनिक/प्राईवेट उपक्रमों में उत्तरदायी पद पर खाद्यानों के बड़े भंडारों की गुणवत्ता को बनाये रखने का (जिसमें भण्डारकरण तथा निरीक्षण भी है) लगभग 7 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव । वांछनिय :— (i) कीट शास्त्र/जैव रसायनिकी में डाक्टरेट । (ii) खाद्यान्नों के वैज्ञानिक भण्डारकरण के लिए गोदामों के संरचनात्मक विशिष्ट विवरणों का ज्ञान और/या अनुभव ।	30-40 वर्ष	—	—
अनिवार्य :— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समतुल्य । (ii) सरकारी या सार्वजनिक/प्राईवेट गैर सरकारी लिमि० उपक्रमों में माल के संचलन तथा परिवहन के समन्वय का लगभग 10 वर्ष का अनुभव ।	30—40 वर्ष	—	—

1	2	3	4	5	6
7.	प्रबंधक (योजना तथा अनुसंधान)	1600-100-2000	पद रिक्त होने के प्रत्येक अवसर पर भर्ती की पद्धति निश्चित की जाएगी		
8.	प्रबंधक (इंजीनियरी)	1600-100-2000	परिशिष्ट-1 के भाग 9 की मद संख्या 1 देखें।		
9.	प्रबंधक/उपआंचलिक प्रबंधक।	1600-100-2000	संयुक्त प्रबंधक ग्रेड में से प्रोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत और प्रतिनियुक्ति पर अन्तरण द्वारा 50 प्रतिशत ऐसा न होने पर सीधे भर्ती द्वारा।	प्रवरण	निम्नतर ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा।
			भाग-2		
			सामान्य प्रशासन काडर		
प्रवर्ग : के पद					
1.	संयुक्त प्रबन्धक	1100-50-1300-60-1600	66-2/3 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	प्रवरण	सामान्य प्रशासन/तकनीकी संचलन/योजना तथा अनुसंधान काडरों में वरिष्ठ उप-प्रबन्धक के रूप में 3 वर्ष।
			33-1/3 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा ऐसा न होने पर सीधे भर्ती द्वारा		
2.	वरिष्ठ उपप्रबन्धक	900-50-1400	शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	प्रवरण	उपप्रबन्धक (सामान्य प्रशासन) के रूप में 3 वर्ष।
3.	उपप्रबन्धक	700-50-1250	सीधे भर्ती 25 प्रतिशत प्रोन्नति 75 प्रतिशत	-- प्रवरण	वरिष्ठ सहायक प्रबन्धक के रूप में 3 वर्ष।
4.	वरिष्ठ सहायक प्रबन्धक	400-40-800-50-950	सीधी भर्ती 50 प्रतिशत प्रोन्नति 50 प्रतिशत	-- प्रवरण	-- सहायक प्रबंधक (सामान्य प्रशासन/गोदाम) के रूप में 3 वर्ष।

7	8	9	10
अनिवार्य :—	30—40 वर्ष	—	—
अर्थशास्त्र/कृषि अर्थशास्त्र में अच्छी श्रेणी की मास्टर की डिग्री और साथ ही अर्थशास्त्र या अर्थसांख्यिकी में विशेषतः मूल्य तथा उपभोक्ता सर्वेक्षण के क्षेत्र में किसी सरकारी विभाग में और/या देशव्यापी स्तर पर कार्य करने वाले किसी वाणिज्यिक/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में वरिष्ठ उत्तरदायित्वपूर्ण हैसियत में या किसी विश्व-विद्यालय अथवा प्रशिक्षण या अनुसंधान संस्था में इन क्षेत्रों में अनुसंधान का अथवा अनुसंधान के मार्ग-निर्देश का, जो प्रकाशित कार्य से स्पष्ट हो, कम से कम 10 वर्ष का अनुभव ।			
वांछनीय :—			
परिचालन संबंधी अनुसंधान तकनीकों के प्रयोग और व्यापार अर्थव्यवस्था की जानकारी ।			
अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किए जायेंगे ।	40 वर्ष ।	प्रादेशिक निदेशिक (खाद्य)	—
—	—	निदेशक	—
—	—	संयुक्त निदेशक	—
ग्रेजुएट; व्यापारप्रबंध में डिप्लोमा खाद्य तथा सम्बन्ध क्षेत्रों में 5 वर्ष का अनुभव ।	35 वर्ष*	उप निदेशक	—
ग्रेजुएट : खाद्य तथा सम्बन्ध क्षेत्रों में 4 वर्ष का अनुभव ।	32 वर्ष*	सहायक निदेशक	
—	—	—	—

1	2	3	4	5	6
प्रवर्ग 2 के पद					
5.	सहायक प्रबंधक	350-25-500-30-620-40-700।	प्रोन्नति 100 प्रतिशत	प्रवरण	सहायक ग्रेड I (सामान्य प्रशासन/आशुलिपिक ग्रेड-1) के रूप में 3 वर्ष।
प्रवर्ग 3 के पद					
6.	सहायक ग्रेड-1	225-10-235-15-430-20-550।	शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सीधे भर्ती द्वारा	अप्रवरण	सहायक ग्रेड-2/टेलेक्स प्रचालक के रूप में 3 वर्ष।
7.	सहायक ग्रेड -II	150-10-300	शत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सीधे भर्ती द्वारा	अप्रवरण	सहायक ग्रेड-3 टाइपिस्ट /टेलीफोन प्रचालक के रूप में 3 वर्ष।
8.	टेलेक्स प्रचालक	150-10-300	आवधिक आधार पर टाइप जानने वाले सहायक ग्रेड 2 के ग्रेड से अंतरण द्वारा।	—	—
9.	सहायक ग्रेड 3	120-10-240	सीधे भर्ती 90% शेष 10% प्रोन्नति द्वारा श्रेणी 4 के मैट्रिक उत्तीर्ण कर्मचारियों में से जिनको 3 वर्ष का अनुभव हो, प्रोन्नति द्वारा।	—	—
10.	टेलीफोन प्रचालक	120-10-240।	सीधे भर्ती	—	—
11.	टाइपिस्ट	120-10-240	90 प्रतिशत सीधे भर्ती शेष 10 प्रतिशत श्रेणी 4 के मैट्रिक उत्तीर्ण कर्मचारियों में से, जिनको 3 वर्ष का अनुभव है और जिनकी अपेक्षित टाइप गति है।	अप्रवरण	—
वैयक्तिक कर्मचारी वृंद					
12.	वैयक्तिक सचिव	400-40-800-50-950	—	पद रिक्त होने के प्रत्येक अवसर पर निश्चित की जाएगी।	
13.	आशुलिपिक ग्रेड-1	225-10-235-15-430-20-550।	शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधे भर्ती द्वारा।	अप्रवरण	3 वर्ष प्रति मिनट 40 शब्द टाइपिंग में और 120 शब्द आशुलिपि में अनिवार्य।
14.	आशुलिपिक ग्रेड-2	150-10-300	टाइपिस्टों की प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सीधे भर्ती द्वारा।	अप्रवरण	3 वर्ष। प्रति मिनट 40 शब्द टाइपिंग में और 80 शब्द आशुलिपि में अनिवार्य।

7	8	9	10
—	—	कार्यालय अधीक्षक	—
स्नातक; किसी कार्यालय में 7 वर्ष का अनुभव	31 वर्ष*	सहायक अधीक्षक, लेखापाल	—
स्नातक, किसी कार्यालय में 4 वर्ष का अनुभव	28 वर्ष*	वरिष्ठ लिपिक, उप लेखापाल	—
—	—	टेलेक्स प्रचालक	—
स्नातक	24 वर्ष*	कनिष्ठ लिपिक (जो टाइप करना नहीं जानते), कम्पटो मीटर प्रचालक ।	—
मैट्रिक उत्तीर्ण व्यक्ति जिन्हें टेलीफोन प्रचालक के कार्य का एक वर्ष का अनुभव हो, महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी ।	25 वर्ष*	टेलीफोन प्रचालक	—
मैट्रिक उत्तीर्ण व्यक्ति जिनकी टाइप करने में 40 शब्द प्रति मिनट की गति है :	24 वर्ष*	टाइप जानने वाले कनिष्ठ लिपिक	—
—	—	—	—
मैट्रिक के साथ-साथ टाइपिंग और आशुलिपि में क्रमश: प्रति मिनट 40 शब्द और 120 शब्द की गति ।	25 वर्ष*	वरिष्ठ आशुलिपिक	—
मैट्रिक के साथ-साथ टाइपिंग और आशुलिपि में क्रमश: 40 और 80 शब्द प्रति मिनट की गति	24 वर्ष*	आशुलिपिक/आशुलिपिक टाइपिस्ट	—

1	2	3	4	5	6
श्रेणी 4 के पद					
1.	गैस्टेटनर प्रचालक	100-5-130	शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सीधे भर्ती द्वारा	अप्रवरण	दफ्तरी के रूप में 3 वर्ष का अनुभव और गेस्टेटनर मशीन चलाने की योग्यता।
2.	दफ्तरी	85-2-95-3-110	शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	—यथोक्त—	चपरासी के रूप मे 3 वर्ष का अनुभव ।
3.	चपरासी	80-2-100	शत प्रतिशत, सीधे भर्ती द्वारा	—	—
4.	चौकीदार (कार्यालय)	भर्ती के नियम वही होंगे जो गोदामों के चौकीदारों के वास्ते हैं		गोदामों के चौकीदारों के साथ-साथ	
5.	संकलनकर्ता	100-5-130	शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	अप्रवरण	सीवक/डस्टिंग आपरेटर/ प्रधान चौकीदार के रूप में 3 वर्ष का अनुभव।
6.	प्रधान चौकीदार	85-2-95-3-110	शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	—यथोक्त—	चौकीदार के रूप में 3 वर्ष का अनुभव।
7.	डस्टिंग आपरेटर	—यथोक्त—	—यथोक्त—	—यथोक्त—	सिफ्टर/चौकीदार/ झाड़ूकश के रूप में 3 वर्ष का अनुभव।
8.	सीवक	—यथोक्त—	—यथोक्त—	—यथोक्त—	—यथोक्त—
9.	चौकीदार (गोदाम)	80-2-100	शत प्रतिशत सीधे भर्ती द्वारा	—यथोक्त—	—
10.	सिफ्टर	—यथोक्त—	—यथोक्त—	—	—
11.	श्रमिक	—यथोक्त—	—यथोक्त—	—	—
12.	झाड़ूकश	—यथोक्त—	—यथोक्त—	—	—
प्रवर्ग 2 के पद			भाग 3 गोदाम काडर		
1.	सहायक प्रबन्धक (डिपो) (गोदाम/गोदी अधीक्षक)	350-25-500-30-620-40-700।	शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	प्रवरण	सहायक ग्रेड-1 (डिपो) के रूप में 3 वर्ष।
2.	मुख्य श्रम निरीक्षक	350-25-500-30-620-40-700।	50 प्रतिशत प्रोन्नति	प्रवरण	श्रम निरीक्षक के रूप में 3 वर्ष।
			50 प्रतिशत सीधे भर्ती	—	—

*निगम के कर्मचारियों की दशा में शिथिल की जा सकेगी।

7	8	9	10
मिडिल पास और गेस्टेटनर मशीन चलाने की योग्यता	28 वर्ष	गेस्टेटनर प्रचालक	
—	—	दफ्तरी	—
मिडिल स्टेण्डर्ड उत्तीर्ण . . . ही इनकी प्रोन्नति पर भी विचार किया जाएगा।	25 वर्ष	चपरासी	—
—	—	संकलनकर्ता	—
—	—	प्रधान चौकीदार	—
मिडिल स्टेण्डर्ड उत्तीर्ण	25 वर्ष	डस्टिंग आपरेटर	केवल शिक्षित सिफ्टर/चौकीदार झाड़ूकश ही प्रोन्नति के पात्र होंगे। शिक्षित सिफ्टर/चौकीदार/झाड़ूकश अर्थात् जो स्थानीय भाषा में दिए गए निदेशों को पढ़ने और लिखने योग्य हैं, उपलब्ध नहीं तो पदों को सीधे भर्ती द्वारा भरा जाएगा।
—यथोक्त—	—यथोक्त—	सीवक	—यथोक्त—
मिडिल स्टैंडर्ड उत्तीर्ण . .	—यथोक्त—	चौकीदार	—
—यथोक्त—	—यथोक्त—	सिफ्टर	—
किसी भी भाषा में पढ़ने और लिखने योग्य होना चाहिए	—यथोक्त—	श्रमिक/सफाई दल	—
—यथोक्त—	—यथोक्त—	झाड़ूकश	—
—	—	गोदाम अधीक्षक/गोदी अधीक्षक/निगरानी निरीक्षक/मुख्य सत्यापन निरीक्षक।	—
—	—	मुख्य निरीक्षक (श्रम)	—
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की, प्राथमिक रूप से सामाजिक सेवा में, डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त संस्था से सामाजिक सेवा/सामाजिक कल्याण में डिप्लोमा। **अनुभव** श्रमिक कल्याण कार्य या सामाजिक सेवा का 2 वर्ष का अनुभव।	25 वर्ष*	—	—

1	2	3	4	5	6
प्रवर्ग 3 के पद					
3.	श्रम निरीक्षक . .	225-10-235-15-430-20-550।	शत प्रतिशत सीधे भर्ती द्वारा	—	—
4.	सहायक ग्रेड-1 (डिपो) .	225-10-235-15-430-20-550।	शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	अप्रवरण	सहायक ग्रेड 2 (डिपो) के रूप में 3 वर्ष का अनुभव
5.	सहायक ग्रेड-2 (डिपो) .	150-10-300	शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	—यथोक्त—	सहायक ग्रेड 3 (डिपो) के रूप में 3 वर्ष का अनुभव
6.	सहायक ग्रेड-3 (डिपो) .	120-10-240	खाद्य विभाग से लिए गए शेड मिलानकर्ताओं की प्रोन्नति करके, ऐसा न होने पर सीधे भर्ती 90 प्रतिशत	—	—
			प्रोन्नति 10 % चतुर्थ श्रेणी के उन कर्मचारियों में से जो मैट्रिक उत्तीर्ण है	अप्रवरण	प्रवर्ग 4 में 3 वर्ष का अनुभव
7.	शेड मिलानकर्ता	120-5-150	खाद्य विभाग के शेड मिलान-कर्ताओं के आमेलन द्वारा		
		भाग 4 तकनीकी काडर			
प्रवर्ग 1 के पद					
1.	वरिष्ठ उप प्रबन्धक (तकनीकी)	900-50-1400	शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	प्रवरण	उप प्रबन्धक (तकनीकी) के रूप में 3 वर्ष।
2.	उप प्रबन्धक (तकनीकी)	700-50-1250	सीधी भर्ती द्वारा 25 प्रतिशत	—	—
			प्रोन्नति द्वारा 75 प्रतिशत	प्रवरण	वरिष्ठ सहायक प्रबन्धक (तकनीकी) के रूप में 3 वर्ष।

*निगम के कर्मचारियों की दशा में शिथिल की जा सकेगी।

7	8	9	10
डिग्री या समतुल्य अनुभव:	25 वर्ष*	निरीक्षक (श्रम)	—
श्रमिक कल्याण कार्य या सामाजिक सेवा का 2 वर्ष का अनुभव।			
—	—	वरिष्ठ गोदाम रक्षक/निरीक्षक/ (एफ० पी० एल०) गोदी निरीक्षक/सत्यापन निरीक्षक/ निगरानी उप-निरीक्षक/निरीक्षक खाद्य)	—
—	—	कनिष्ठ गोदाम रक्षक/ शेड पर्यवेक्षक	
स्नातक	24 वर्ष*	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
अनिवार्य:—	35 वर्ष*	उपनिदेशक (तकनीकी)	—
(i) कृषि में डिग्री या खाद्य प्रोदयोगिकी मे डिप्लोमा सहित विज्ञान में डिग्री या जीवविज्ञान या जीव रसायन में मास्टर डिग्री, या उसके समतुल्य अहताएं।			
(ii) सरकारी या लोक/प्राइवेट लिमिटेड उपक्रमों में खाद्यान्न के भण्डारकरण तथा स्टाक के रखरखाव का या खाद्यान्नों के परीक्षण तथा विश्लेषण का 5 वर्ष का अनुभव।			
वांछनीय :			
खाद्यान्नों के स्टाकों में विष-विज्ञान या कीट-नाशियों, मृषकघ्नात तथा धूमकों के प्रयोग का ज्ञान।			
—	—	—	—

1	2	3	4	5	6
3.	वरिष्ठ सहायक प्रबन्धक (तकनीकी)	400-40-800-50-950	100 प्रतिशत प्रोन्नति	प्रवरण	सहायक प्रबन्धक (तकनीकी) के रूप में 3 वर्ष।
	प्रवर्ग 2 के पद				
4.	सहायक प्रबन्धक (तकनीकी)	350-25-500-30-620-40-700।	सीधी भर्ती द्वारा 50 प्रतिशत	—	—
			प्रोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत	प्रवरण	सहायक ग्रेड-1 (तकनीकी) के रूप में 3 वर्ष।
	प्रवर्ग 3 के पद				
5.	सहायक ग्रेड-1 (तकनीकी)	225-10-235-15-430-20-550	शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	अप्रवरण पद	सहायक ग्रेड 2 (तकनीकी) के रूप में 3 वर्ष।
6.	सहायक ग्रेड-2 (तकनीकी)	150-10-300	शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	अप्रवरण पद	सहायक ग्रेड 3 (तकनीकी) के रूप में 3 वर्ष।
7.	सहायक ग्रेड-3 (तकनीकी)	120-10-240	शत प्रतिशत सीधे भर्ती द्वारा	—	—
		भाग—5 संचलन काडर			
	प्रवर्ग 1 के पद				
1.	वरिष्ठ उप प्रबन्धक (संचलन)	900-50-1400	50 प्रतिशत प्रोन्नति 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण।	प्रवरण पद	उपप्रबन्धक (संचलन) के रूप में 3 वर्ष।
2.	उप प्रबन्धक (संचलन)	700-50-1250	50 प्रतिशत वरिष्ठ सहायक प्रबन्धक (संचलन) में से प्रोन्नति 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण।	प्रवरण पद	वरिष्ठ सहायक प्रबन्धक (संचलन) के रूप में 3 वर्ष
3.	वरिष्ठ सहायक (प्रबन्धक) (संचलन)	400-40-800-50-950	50 प्रतिशत प्रोन्नति 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण।	प्रवरण पद	सहायक प्रबन्धक (संचलन) के रूप में 3 वर्ष।
	प्रवर्ग 2 के पद				
4.	सहायक प्रबन्धक (संचलन)	350-25-500-30-620-40-700।	50 प्रतिशत प्रोन्नति 50 प्रतिशत प्रति नियुक्ति पर स्थानान्तरण।	प्रवरण पद	सहायक ग्रेड 1 के रूप में 3 वर्ष।

*निगम के कर्मचारियों की दशा में शिथिल की जा सकेगी।

7	8	9	10
1. कृषि में डिग्री, या खाद्य प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा सहित विज्ञान में डिग्री या जीव-विज्ञान या जीवरसायन में मास्टर डिग्री या उसके समतुल्य अर्हता । 2. सरकारी या लोक/प्राइवेट लिमिटेड उपक्रमों में खाद्यान्न भंडारकरण तथा स्टाक के रखरखाव या खाद्यान्नों के परीक्षण निरीक्षण तथा विश्लेषण का 2 वर्ष का अनुभव ।	30 वर्ष*	तकनीकी अधिकारी/क्वालिटी पर्यवेक्षक	—
3. खाद्यान्नों के स्टाक में विष-विज्ञान या कीट-नाशी मूषकधात तथा धूमकों के प्रयोग का ज्ञान ।	—	—	—
—	—	तकनीकी सहायक/विश्लेषक/क्वालिटी निरीक्षक ।	—
विज्ञान में, अधिमानत: कृषि में, डिग्री तथा 3 वर्ष का क्षेत्र का अनुभव ।	25 वर्ष*	सहायक विश्लेषक/धूमक सहायक	—
विज्ञान में, अधिमानत: कृषि मे डिग्री	25 वर्ष*	प्रयोगशाला सहायक	—
—	—	—	—
—	—	उप निदेशक (संचलन)	—
—	—	सहायक निदेशक (संचलन)	—
—	—	संचलन निरीक्षक	—

1	2	3	4	5	6
प्रवर्ग 3 के पद					
5.	सहायक ग्रेड–1 (संचलन)	225–10–235–15–430–20–550 ।	50 प्रतिशत प्रोन्नति 50 प्रतिशत रेलवे से प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण ।	अप्रवरण पद	सहायक ग्रेड 2 (डिपो) के रूप में 3 वर्ष ।
		भाग 6—योजना और अनुसंधान डाकघर			
प्रवर्ग–1 के पद					
1.	वरिष्ठ उप-प्रबन्धक (यो० और अनु०)	900–50–1400	शत प्रतिशत प्रोन्नति	प्रवरण	उप प्रबन्धक (यो० और अनु०) के रूप में 3 वर्ष ।
2.	उप प्रबन्धक (यो० और अनु०)	700–50–1250	50 प्रतिशत सीधे भर्ती	—	—
			50 प्रतिशत प्रोन्नति	प्रवरण	वरिष्ठ सहायक प्रबन्धक (यो० और अनु०) के रूप में 3 वर्ष ।
3.	वरिष्ठ सहायक प्रबन्धक (यो० और अनु०)	400–40–800–50–950 ।	शत प्रतिशत प्रोन्नति	प्रवरण	सहायक प्रबन्धक (यो० और अनु०) के रूप में 3 वर्ष ।
प्रवर्ग 2 के पद					
4.	सहायक प्रबन्धक (यो० और अनु०)	350–25–500–30–620–40–700	50 प्रतिशत सीधे भर्ती	—	—
			50 प्रतिशत प्रोन्नति	प्रवरण पद	सांख्यिकीय सहायक के रूप में 3 वर्ष ।
प्रवर्ग 3 के पद					
5.	सांख्यिकीय सहायक	225–10–235–15–430–20–550	शत प्रतिशत प्रत्यक्ष भर्ती	—	—
प्रवर्ग 1 के पद					
1.	उप वित्तीय सलाहकार	1600–100–2000	सीधे भर्ती प्रोन्नति***	प्रवरण	सहायक वित्तीय सलाहकार के रूप में 5 वर्ष ।

*निगम के कर्मचारियों की दशा में शिथिल की जा सकेगी ।

नोट : सीधी भर्ती में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण भी शामिल है ।

7	8	9	10
—	—	सहायक संचलन निरीक्षक	—
—	—	—	—
अनिवार्य—			
(i) अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय में प्रथम या उच्च द्वितीय श्रेणी में मास्टर डिग्री ।	30 वर्ष*	—	—
(ii) (क) विपणन अनुसंधान और (ख) आर्थिक जानकारी व आंकड़ों के विश्लेषण तथा निर्वचन में, 6 वर्ष का अनुभव ।			**अच्छी शैक्षिक अर्हताओं वाले अभ्यर्थी की दशा में 2 वर्ष तक छूट दी जा सकती है ।
—	—	—	—
—	—	—	—
अनिवार्य—			
अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय में प्रथम या द्वितीय श्रेणी में मास्टर डिग्री ।	25 वर्ष*	—	—
वांछनीय :			
(i) विपणन अनुसंधान और (ii) आर्थिक जानकारी व आंकड़ों के विश्लेषण तथा निर्वचन में 2 वर्ष का अनुभव ।			
—	—	—	—
अर्थशास्त्र/सांख्यिकीय/वाणिज्यशास्त्र/गणित व प्रथम या उच्च द्वितीय श्रेणी स्नातक और मशीन डिस्क गणना में तथा विविध सामग्री के व्यवस्थित सारणीयन में दक्षता ।	25 वर्ष*	—	—
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय का स्नातक, भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स संस्थान/ए०आई० सी०डब्ल्यू०ए०/ए०सी० डब्ल्यू० ए० (लन्दन) का एसोसियेट/फैलो जिसे 10 वर्ष का अनुभव हो । यू० के० या अन्य किसी विदेश की एसी ही निकाय की सदस्यता को प्राथमिकता दी जाएगी । चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स की किसी ख्यात फर्म में या पब्लिक या प्राइवेट सैक्टर के वाणिज्यिक उपक्रमों में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव/ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों की लेखा संपरीक्षा, सचिवालय और आयकर कार्य में दक्ष होना चाहिए (केवल सीधी भर्ती वाले के लिए) ।	30–40 वर्ष*	—	—

1	2	3	4	5	6
	2. सहायक वित्तीय सलाहकार	1100–50–1300–60–1600	सीधे भर्ती/प्रोन्नति***	प्रवरण	वरिष्ठ उप प्रबन्धक (लेखा) के रूप में 3 वर्ष ।
	3. वरिष्ठ उप प्रबन्धक (लेखा)	900–50–1400	सीधी भर्ती/प्रवरण प्रोन्नति***	प्रवरण	उप प्रबन्धक (लेखा) का उप प्रबन्धक के रूप में 3 वर्ष
	4. उप प्रबन्धक (लेखा)	700–50–1250	सीधी भर्ती/प्रोन्नति***	प्रवरण	वरिष्ठ सहायक प्रबन्धक (लेखा) के रूप में 3 वर्ष ।
	5. वरिष्ठ सहायक प्रबन्धक (लेखा)	400–40–800–50–950	शत प्रतिशत प्रोन्नति	प्रवरण	सहायक प्रबन्धक (लेखा) के रूप में 3 वर्ष ।
प्रवर्ग 2					
	6. सहायक प्रबन्धक (लेखा)	350–25–500-30–620–40–700	50 प्रतिशत सीधे भर्ती	—	—
			50 प्रतिशत प्रोन्नति	प्रवरण	लेखा सहायक ग्रेड 1 के रूप में 3 वर्ष ।

*निगम के कर्मचारियों की दशा में शिथिलता की जा सकेगी ।

**ए०सी०ए०/ए०सी०डब्ल्यू०ए० (लन्दन) /ए०आई०सी०डब्ल्यू०ए० अर्हता वाले अभ्यर्थियों का वेतन 400रु० प्रति मास से प्रारम्भ होगा ।

£सहायक प्रबन्धक (लेखा) के पद पर सहायक ग्रेड I के प्रवरण द्वारा प्रोन्नति के लिए, निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम में उनकी कार्य निष्पत्ति को भी ध्यान में रखा जाएगा ।

***इन ग्रेडों में सीधे भर्ती तथा प्रोन्नति का प्रतिशत अभी निर्धारित नहीं किया गया है । तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् स्थिति की समीक्षा की जायेगी । उस समय इन ग्रेडों में सीधे भर्ती या प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत निर्धारित करना सभव हो सकेगा । परन्तु इस दौरान इन ग्रेडों में कोई भी वर्तमान,/भविष्यत् पद को भरते समय निगम पहले प्रोन्नति की सम्भाव्यताओं का पता करेगा और उसके पश्चात् ही अन्य पद्धति अपनाएगा ।

7	8	9	10
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय का स्नातक, भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स संस्थान/ए०आई० सी० डब्ल्यू० ए/ए०सी०डब्ल्यू०ए० (लन्दन) का एशोशिएट/फैलो, जिसे 7 वर्ष का अनुभव हो। यू० के० का या अन्य किसी विदेश की ऐसी ही निकाय की सदस्यता को प्राथमिकता दी जाएगी। चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स की किसी ख्यात फर्म में या पब्लिक या प्राइवेट सैक्टर के वाणिज्यिक उपक्रमों में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव। ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों की लेखा सपरीक्षा सचिवालय और आयकर कार्य में दक्ष होना चाहिए। (केवल सीधी भर्ती वाले के लिए)।	30-40 वर्ष	—	—
5 वर्ष अनुभव प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स/ए०आई० सी०डब्ल्यू०ए०/ए०सी०डब्ल्यू०ए० (लन्दन) (केवल सीधी भर्ती के लिए)।	30-40 वर्ष	—	—
5 वर्ष अनुभव प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेंट/ए०आई० सी०डब्ल्यू०ए०/ए०सी०डब्ल्यू०ए० (लन्दन) (केवल सीधी भर्ती के लिए)।	30–40 वर्ष	—	—
		सहायक वेतन तथा लेखा अधिकारी	ए०सी०ए०, ए/ए०सी०डब्ल्यू० ए० (लन्दन) ए०आई०सी० डब्ल्यू० ए० अर्हता वाले सहायक प्रबन्धक (लेखा) तथा अन्य के बीच की प्रोन्नति का अनुपात 1 : 1 होगा।
**ए०सी०ए०/ए०सी०डब्ल्यू०ए० (लन्दन) ए०आई०सी० डब्ल्यू०ए०, जिन्हें प्राइवेट/पब्लिक सैक्टर के वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखा विभागों का अनुभव हो, को प्राथमिकता दी जाएगी। या किसी प्राइवेट/पब्लिक सैक्टर के वाणिज्यिक उपक्रम के लेखा विभाग में 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त वाणिज्यिक स्नातक।	25 से 35 वर्ष	वेतन तथा लेखा कार्यालय का एस०ए० एम० अधीक्षक	—
—	—	—	1.** 2.£

1	2	3	4	5	6
प्रवर्ग 3—					
7	लेखा सहायक ग्रेड–I	225–10–235–15–430–20–550	25 प्रतिशत सीधे भर्ती 75 प्रतिशत प्रोन्नति	— अप्रवरण	— लेखा सहायक ग्रेड II 3 वर्ष ।
8	लेखा सहायक ग्रेड II	150-10-300	शत प्रतिशत प्रोन्नति	अप्रवरण	लेखा सहायक ग्रेड III में 3 वर्ष
9.	लेखा सहायक ग्रेड III	120-10-240	शत प्रतिशत	—	—
प्रवर्ग 1 के पद			सीधे भर्ती		भाग 7-क
1.	उप प्रबंधक (दित्ता विधायन)	700-50-1250	शत प्रतिशत प्रोन्नति	प्रवरण	वरिष्ठ सहायक प्रबंधक दित्ता विधायन) के रूप में 3 वर्ष ।
2.	वरिष्ठ सहायक प्रबन्धक दित्ता विधायन)	400-40-800-50-950	50% प्रोन्नति 50% सीधे भर्ती	प्रवरण —	सहायक प्रबंधक (दित्ता विधायन) के रूप में 3 वर्ष । —
प्रवर्ग 2 के पद					
3.	सहायक प्रबंधक (दित्ता विधायन)	350-25-500-30-620-40-700	शत प्रतिशत प्रोन्नति	प्रवरण	मशीन प्रचालक ग्रेड-1 के रूप में 3 वर्ष ।
प्रवर्ग 3 के पद					
4.	मशीन प्रचालक ग्रेड-I	225-10-235-15-430-20-550	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर सीधे भर्ती	अप्रवरण	मशीन प्रचालक ग्रेड-2 के रूप में 3 वर्ष ।
5.	मशीन प्रचालक ग्रेड-II	150-10-1300	प्रोन्नति न होने पर सीधे भर्ती	अप्रवरण	की पंच प्रचालक के रूप में 3 वर्ष
6.	की पंच प्रचालक	120-10-240	शत प्रतिशत सीधे भर्ती	—	—

*निगम के कर्मचारियों की दशा में शिथिल में की जा सकेगी।

नोट :—सीधे भर्ती में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण भी शामिल है।

7	8	9	10
स्नातक, बी० कांम को प्राथमिकता दी जाएगी ।	25 वर्ष*	वेतन तथा लेखा कार्यालय के लेखा-पाल/सहायक अधीक्षक/वरिष्ठ श्रेणी लिपिक ।	—
—	—	—	—
—	—	उच्च श्रेणी लिपिक	—
स्नातक, बी० काम० को प्राथमिकता दी जाएगी।	24 वर्ष*	निम्न श्रेणी लिपिक	—
	वित्त विधायन काडर		
—	—	—	पद धारक की प्रोन्नति वरिष्ठ उप प्रबन्धक (लेखा) के पद पर करने के लिए विचार किया जाएगा ।
—	—	—	—
1. वाणिज्य में डिग्री तथा अच्छा लेखा ज्ञान। 2. आई० बी० एम० मशीन प्रचालन में 3 से 5 वर्ष का अनुभव जिससे कम-से-कम एक वर्ष का अनुभव मशीन लगवाने के कार्य में पर्यवेक्षक के रूप में होना चाहिए।	30 वर्ष	—	—
—	—	—	—
1. गणित/भौतिक शास्त्र/लेखे में प्रथम श्रेणी का स्नातक । 2. किसी वाणिज्यिक या सरकारी संगठन के लेखा विभाग में कम-से-कम 2 वर्ष का अनुभव । 3. आई० बी० एम० मशीन चालाने अर्थात 0.82 सार्टर, 514 रिप्रोडयूसर, 602 गणक पंच तथा 407 एकाउंटिन्ग मशीन आदि में एक वर्ष का अनुभव ।	28 वर्ष*	—	योग्य प्रत्याशी को अग्रिम वेतन वृद्धि भी दी जा सकती है ।
1. गणित/भौतिकशास्त्र/लेखा में द्वितीय श्रेणी का स्नातक 2. किसी वाणिज्यिक या सरकारी संगठन के लेखा विभाग में कम-से-कम 2 वर्ष का अनुभव ।	28 वर्ष*	—	—
अनिवार्य : 1. स्नातक	24 वर्ष*	—	महिला प्रत्याशी को प्राथमिकता दी जाएगी ।
2. आंकड़ों के कार्य में रुचि वांछनीय : 1. टाइपराइटिंग का ज्ञान			

1	2	3	4	5	6
					भाग–8
विशेष पद					
1.	प्रबंधक विधि कार्य	1600-100-2000	सीधी भर्ती/प्रोन्नति	प्रवरण	संयुक्त प्रबंधक विधि कार्य के रूप में 3 वर्ष
प्रवर्ग-1 पद					
	संयुक्त निदेशक (विधिकार्य)	1100-50-1300-60-1600	यथोक्त	यथोक्त	वरिष्ठ उप-प्रबन्धक विधि कार्य के रूप में 3 वर्ष
3.	वरिष्ठ उप-प्रबन्धक (विधिकार्य)	900-50-1400	शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सीधे भर्ती द्वारा	यथोक्त	उप-प्रबन्धक (विधि कार्य) के रूप में 3 वर्ष
4.	उप-प्रबन्धक (विधिकार्य)	700-50-1250	शतप्रतिशत सीधे भर्ती द्वारा	—	—
					भाग–9
विशेष पद					
1.	प्रबंधक (इंजीनियरी)	1600-100-2000	प्रोन्नति / सीधे भर्ती/ प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण*	प्रवरण	संयुक्त प्रबंधक/संयुक्त (सिविल/ विद्युत्/मेकेनिकल इंजीनियरी) के रूप में 5 वर्ष

टिप्पणी:—सीधे भर्ती में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण भी शामिल हैं ।

7	8	9	10
(विधि-कार्यकाडर)			
1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री 2. केन्द्रीय/राज्य सरकार या पब्लिक/प्राईवेट सैक्टर के उपक्रम में विधि अधिकारी के रूप में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव या 10 वर्ष का वकालत का अनुभव ।	45 वर्ष	——	भर्ती की पद्धति का निर्णय नियुक्ति के समय लिया जाएगा ।
1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री । 2. केन्द्रीय/राज्य सरकार या पब्लिक/प्राईवेट सैक्टर के उपक्रम में विधि अधिकारी के रूप में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव या 7 वर्ष का वकालत का अनुभव ।	40 वर्ष	——	यथोक्त
1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री । 2. केन्द्रीय/राज्य सरकार या पब्लिक/प्राईवेट सैक्टर के उपक्रम में विधि कार्य में कम से कम 8 वर्ष का अनुभव या 5 वर्ष का वकालत का अनुभव ।	40 वर्ष	——	——
1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री । 2. केन्द्रीय/राज्य सरकार या पब्लिक/प्राईवेट सैक्टर के उपक्रम में विधि-कार्य में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव या 3 वर्ष का वकालत का अनुभव ।	30 से 40 वर्ष	——	——
इंजीनियरी काडर			
अनिवार्य : 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल/विद्युत्/मैकेनिकल इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य । 2. सिविल/विद्युत्/मैकेनिकल इंजीनियरी के कार्य का 10 वर्ष का अनुभव:, जिसमें से लगभग 5 वर्ष का अनुभव कार्यपालक अभियन्ता या उस के समतुल्य पद पर होना चाहिए ।	45 वर्ष	——	*प्रत्येक नियुक्ति के समय विनिश्चित किया जाएगा ।
वांछनीय : 1. सिविल/विद्युत्/मैकेनिकल इंजीनियरी में मास्टर डिग्री और साथ ही चावल मिलों का			

1	2	3	4	5	6	7
			सिविल स्कंध			
प्रवर्ग-1 के पद						
2.	संयुक्त प्रबन्धक (सिविल इंजीनियरी)	1100-50-1300-60-1600	शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर प्रति-नियुक्ति द्वारा	प्रवरण	वरिष्ठ उप-प्रबन्धक (सिविल इंजीनियरी) के रूप में 3 वर्ष	
3.	वरिष्ठ उप-प्रबन्धक (सिविल इंजीनियरी)	900-50-1400	यथोक्त	प्रवरण	वरिष्ठ उप-प्रबन्धक (सिविल इंजीनियरी) के रूप में 3 वर्ष	
4.	उप-प्रबन्धक (सिविल इंजीनियरी)	700-50-1250	शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रवरण	वरिष्ठ सहायक प्रबन्धक (सिविल इंजीनियरी) के रूप में 3 वर्ष	
5.	वरिष्ठ सहायक प्रबन्धक (सिविल इंजीनियरी)	400-40-800-50-950	(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति (ii) 50 प्रतिशत सीधे भर्ती	प्रवरण	सहायक प्रबन्धक (सिविल इंजीनियरी) के रूप में 3 वर्ष	
प्रवर्ग 2 के पद						
6.	सहायक प्रबंधक (सिविल इंजीनियरी)	350-25-500-30-620-40-700	शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सीधे भर्ती द्वारा	प्रवरण	डिग्री प्राप्त व्यक्तियों की दशा में कनिष्ठ इंजीनियर के रूप में 3 वर्ष तथा डिप्लोमा प्राप्त व्यक्ति की दशा में कनिष्ठ इंजीनियर के रूप में 15 वर्ष का अनुभव	
प्रवर्ग 3 के पद						
7.	कनिष्ठ इंजीनियर	225-10-235-15-430-20-550	शत प्रतिशत सीधे भर्ती	—	—	
नक्शानवीस प्रवर्ग 2 के पद						
8.	प्रधान नक्शानवीस	350-25-500-30-620-40-700	शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सीधे भर्ती द्वारा	प्रवरण	नक्शानवीस ग्रेड-I के रूप में 3 वर्ष	
प्रवर्ग- 3 के पद						
9.	नक्शानवीस ग्रेड-1	225-10-235-15-430-20-550	यथोक्त	अप्रवरण	नक्शानवीस ग्रेड-2 के रूप में 3 वर्ष	

7	8	9	10
खाद्य परिसंस्करण उद्योगों का, डिजाइनों और रूपरेखाओं के तैयार करने का, तथा बन्दरगाह या गोदामों पर यंत्र चलित संयंत्रों को चलाने और उनके रख-रखाव का विशेष-ज्ञान होना चाहिए। 2. उन व्यक्तियों को जिन्होंने औद्योगिक स्थापनों/पब्लिक सैक्टर के उप-क्रमों के इंजीनियरी मंडल का स्वतंत्र रूप से कार्य भार संभाला हो और जिन्हें योजनाओं के आयोजन तथा कार्यान्वयन में अनुभव हो, अधिमानता दी जाएगी।			
—	—	—	—
—	—	—	—
सिविल इंजीनियरी में डिग्री और 5 वर्ष का अनुभव।	45 वर्ष	कार्य पालक अभियन्ता	—
—	—	सहायक इंजीनियर	—
सिविल इंजीनियरी में डिग्री और 3 वर्ष का अनुभव।	30 वर्ष	—	—
यथोक्त	30 वर्ष	—	—
सिविल इंजीनियरी में डिग्री अथवा डिप्लोमा के साथ एक वर्ष का अनुभव।	28 वर्ष	अनुभाग अधिकारी	—
सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमा साथ ही किसी संगठन में ड्राइंग कार्यलय में कार्य प्रभारी के रूप में 5 वर्ष का अनुभव।	35 वर्ष	प्रधान नकशानवीस	—
सिविल इंजीनियरी डिप्लोमा के साथ 2 वर्ष का नकशानवीस के रूप में किसी कार्यालय का अनुभव।	30 वर्ष	नकशानवीस ग्रेड-1	—

1	2	3	4	5	6
10.	नक्शानवीस ग्रेड-2	150-10-300	शतप्रतिशत सीधे भर्ती	—	—
11.	अनुरेखक	120-5-150	यथोक्त	—	—
12.	नील मुद्रक	120-5-150	यथोक्त	—	—
					विद्युत् स्कंध
	प्रवर्ग-1 के पद :				
1.	संयुक्त प्रबन्धक (विद्युत इंजीनियरी)	1100-50-1300--60-1600	शतप्रतिशत प्रौन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रवरण	वरिष्ठ उप-प्रबन्धक (विद्युत इंजीनियरी) के रूप में 3 वर्ष
2.	वरिष्ठ उप प्रबन्धक (विद्युत इंजीनियरी)	900-50-1400	यथोक्त	प्रवरण	उप प्रबन्धक (विद्युत् इंजीनियरी) के रूप में 3 वर्ष
3.	उप-प्रबन्धक (विद्युत इंजीनियरी)	700-50-1250	शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधे भर्ती द्वारा	प्रवरण	वरिष्ठ सहायक प्रबन्धक (विद्युत् इंजीनियरी) के रूप में 3 वर्ष
4.	वरिष्ठ सहायक प्रबन्धक (विद्युत इंजीनियरी)	400-40-800-50-950	50 प्रतिशत प्रौन्नति	प्रवरण	सहायक प्रबन्धक (विद्युत इंजीनियरी)/ फोरमैन (विद्युत इंजी०) ए० एम० आई० ई० की योग्यता सहित, के रूप में 3 वर्ष
			50 प्रतिशत सीधे भर्ती	—	—
	प्रवर्ग-2 के पद :				
5.	सहायक प्रबंधक (विद्युत इंजी०)	350-25-500-30-620-40-700	शत प्रतिशत प्रौन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सीधे भर्ती द्वारा	प्रवरण	डिग्री प्राप्त व्यक्ति की दशा में कनिष्ठ इंजी० (विद्युत) के रूप में 3 वर्ष का और डिप्लोमा प्राप्त व्यक्ति की दशा में 5 वर्ष का अनुभव ।
	प्रवर्ग -3 के पद :				
6.	कनिष्ठ इंजीनियर (विद्युत इंजी०)	225-10-235-15-430-20-550	शत प्रतिशत सीधे भर्ती	—	—
	प्रवर्ग-2 के पद :				
7.	फोरमैन (विद्युत इंजी०)	350-25-500-30-620-40-700	शत प्रतिशत प्रौन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधे भर्ती	प्रवरण	चार्जमैन (विद्युत् इंजी०) के रूप में 3 वर्ष

7	8	9	10
मैट्रिक या समतुल्य तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, 2 वर्ष अध्ययन के बाद प्राप्त नक्शानवीसी का डिप्लोमा ।	28 वर्ष	नक्शानवीस ग्रेड-2	——
मैट्रिक या समतुल्य किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ड्राइंग में तकनीकी प्रशिक्षण सर्टिफिकेट एवं ड्राइंग के कार्य का 2 वर्ष का अनुभव ।	25 वर्ष	——	——
यथोक्त	25 वर्ष	——	——
——	——	——	——
——	——	——	——
विद्युत् इंजीनियरी की डिग्री तथा 5 वर्ष का अनुभव ।	45 वर्ष	कार्यपालक अभियन्ता	——
——	——	सहायक अभियन्ता	——
विद्युत् इंजीयिरी की डिग्री तथा 5 वर्ष का अनुभव ।	30 वर्ष	——	——
विद्युत् इंजीनियरी की डिग्री तथा 3 वर्ष का अनुभव ।	30 वर्ष	—	——
विद्युत् इंजीनियरी में डिग्री या डिप्लोमा—डिप्लोमा प्राप्त व्यक्ति की दशा में 1 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए ।	28 वर्ष	अनुभाग अधिकारी	——
मैट्रिक अथवा समतुल्य तथा विद्युत् इंजी० में डिप्लोमा । ह्यूमन रिलेशन्स में सर्टिफिकेट । विद्युत अधिष्ठानों, जिसमें बिजली की मशीनें भी शामिल हैं, के रख-रखाव और परिचालन का पांच वर्ष का अनुभव ।	35 वर्ष	फोरमैन	——

1	2	3	4	5	6
प्रवर्ग-3 के पद:					
8.	चार्जमैन (विद्युत् इंजी०)	225-10-235-15-430-20-550	शत प्रतिशत प्रौन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधे भर्ती द्वारा	अप्रवरण	प्रधान इलैक्ट्रिशियन के रूप में 3 वर्ष
9.	प्रधान इलेक्ट्रिशियन	200-10-250-15-400	शत प्रतिशत प्रौन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधे भर्ती द्वारा	अप्रवरण	इलेक्ट्रिशियन और आपरेटर / वायरमैन ग्रेड-1/ वेटरीमैन के रूप में 3 वर्ष का अनुभव (केवल विद्युत् पर्यवेक्षक प्रमाणपत्र प्राप्ति व्यक्ति ही प्रौन्नति के अधिकारी होंगे)
10.	इलैक्ट्रिशियन तथा आपरेटर	120-10-240	शत प्रतिशत प्रौन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधे भर्ती द्वारा	अप्रवरण	वायरमैन ग्रेड-2/इलैक्ट्रिक मोटर चालक के रूप में 3 वर्ष
11.	वायरमैन ग्रेड-1/ वेटरीमैन	120-10-240	शत प्रतिशत प्रौन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधे भर्ती द्वारा	अप्रवरण	वायरमैन ग्रेड-2 / इलेक्ट्रिक मोटर चालक के रूप में 3 वर्ष
12.	वायरमैन ग्रेड-2/ इलैक्ट्रिक मोटर चालक	120-5-150	शत प्रतिशत सीधे भर्ती	—	—
प्रवर्ग नक्शानवीस 2 :					
13.	प्रधान नक्शानवीस	350-25-500-30-620-40-700	शत प्रतिशत प्रौन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधे भर्ती	अप्रवरण	नक्शानवीस ग्रेड-1 के रूप में 3 वर्ष
प्रवर्ग 3					
14.	नक्शानवीस ग्रेड-1	225-10-235-15-430-20-550	शत प्रतिशत प्रौन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधे भर्ती	अप्रवरण	नक्शानवीस ग्रेड-2 के रूप में 3 वर्ष
15.	नक्शानवीस ग्रेड-2	150-10-300	शत प्रतिशत सीधे भर्ती	—	—
प्रवर्ग-1					
		यांत्रिक स्कंध			
1.	संयुक्त प्रबन्धक (यांत्रिक इंजीनियरी)	1100-50-1300-60-1600	शत प्रतिशत प्रौन्नति, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रवरण	वरिष्ठ उप-प्रबन्धक (यांत्रिक इंजीनियरी) के रूप में 3 वर्ष
2.	वरिष्ठ उप-प्रबन्धक (यांत्रिक इंजी०)	900-50-1400	यथोक्त	यथोक्त	उप प्रबन्धक (यांत्रिक इंजी०) के रूप में में 3 वर्ष
3.	उप-प्रबन्धक (यांत्रिक इंजी०)	700-50-1250	शत प्रतिशत प्रौन्नति ऐसा न होने पर सीधे भर्ती द्वारा	यथोक्त	वरिष्ठ सहायक प्रबन्धक (यांत्रिक इंजी०) के रूप में 3 वर्ष

7	8	9	10
मैट्रिक अथवा समतुल्य तथा विद्युत् इंजी० में डिप्लोमा/ह्यूमन रिलेन्शन्स में सर्टिफिकेट विद्युत अधिष्ठानों के रख-रखाव का 3 वर्ष का अनुभव ।	35 वर्ष	चार्जमैन	——
मैट्रिक अथवा समतुल्य । औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से सामान्य विद्युत् इंजी० में प्रमाण-पत्र । विद्युत् पर्यवेक्षक लाइसेंस/ह्यूमन रिलेशन्स में प्रमाण पत्र । विद्युत अधिष्ठानों के रख-रखाव का 5 वर्ष का अनुभव ।	35 वर्ष	प्रधान इलैक्ट्रिशियन	——
मिडिल उत्तीर्ण/वायरमैन सर्टिफिकेट विद्युत् अधिष्ठानों के रख-रखाव का 3 वर्ष का अनुभव ।	30 वर्ष	इलैक्ट्रिशियन तथा आपरेटर	——
मिडिल उत्तीर्ण वायरमैन ग्रेड-1 कम्पिटेन्सी सर्टिफिकेट/विद्युत् अधिष्ठानों के रख-रखाव का 3 वर्ष का अनुभव	30 वर्ष	वायरमैन ग्रेड-1/ वेटरीमैन	——
मिडिल उत्तीर्ण /वायरमैन ग्रेड-2 कम्पिटेन्सी सर्टिफिकेट/विद्युत् अधिष्ठानों के रख-रखाव का 3 वर्ष का अनुभव ।	30 वर्ष	वायरमैन ग्रेड-2/ इलैक्ट्रिक मोटर चालक	——
विद्युत इंजी० में डिप्लोमा किसी भी संगठन के ड्राइंग कार्यालय में प्रभारी के रूप में 5 वर्ष का अनुभव ।	35 वर्ष	प्रधान नक्शानवीस	——
विद्युत् इंजी० में डिप्लोमा । किसी भी संगठन में नक्सानवीस के रूप में 2 वर्ष का अनुभव ।	30 वर्ष	नक्शानवीस ग्रेड-1	——
मैट्रिक अथवा समतुल्य तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था में 2 वर्ष अध्ययन के बाद प्राप्त किया गया नक्शानवीसी का डिप्लोमा ।	28 वर्ष	नक्शानवीस ग्रेड-2	——
——	——	——	——
——	——	——	——
यांत्रिक इंजीनियरी में डिग्री तथा पांच वर्ष का अनुभव	45 वर्ष	कार्यपालक इंजीनियर	——

1	2	3	4	5	6
4.	वरिष्ठ सहायक प्रबन्धक (यांत्रिक इंजी०)	400-40-800-50-950	50 प्रतिशत प्रोन्नति	यथोक्त	सहायक प्रबन्धक (यांत्रिक इंजी०)/ ए० एम० आई० ई० शैक्षिक योग्यता सहित फोर मैन के रूप में 3 वर्ष
			50 प्रतिशत सीधे भर्ती	—	—
प्रवर्ग -II					
5.	सहायक प्रबन्धक (यांत्रिक इंजीनियरी)	350-25-500-30-620-40-700	शत प्रतिशत प्रोन्नति, ऐसा न होने पर सीधे भर्ती द्वारा	प्रवरण	डिग्री धारी हो तो कनिष्ठ इंजी० के रूप में 3 वर्ष और यदि डिप्लोमा धारी हो तो 5 वर्ष
प्रवर्ग - III					
6.	कनिष्ठ इंजीनियर (यांत्रिक इंजी०)	225-10-235-15-430 20-550	शत प्रतिशत सीधे भर्ती	—	—
पर्यवेक्षी पद वर्ग (छ०)					
प्रवर्ग - II					
7.	फोरमैन (यांत्रिक इंजीनियरी)	350-25-500-30-620-40-700	शत प्रतिशत प्रोन्नति, ऐसा न होने पर सीधे भर्ती द्वारा	प्रवरण	चार्जमैन / शिफ्ट पर्यवेक्षक के रूप में 3 वर्ष
प्रवर्ग -III					
8.	चार्जमैन (यांत्रिक इंजी०/शिफ्ट पर्यवेक्षक)	225-10-235-15-430-20-550 स्थानान्तरित अधिकारी को आरम्भ में कम से कम 250 रुपये दिये जायेंगे।	यथोक्त	अप्रवरण	प्रवीणता परीक्षा में उत्तीर्णता/एवं वर्ग 'ङ' पद में 3 वर्ष अथवा वर्ग 'घ' के पद में 2 वर्ष
अत्यधिक कौशल वाले पद वर्ग "च"					
9.	प्रधान मैकेनिक	200-10-250-15-400	यथोक्त	अप्रवरण	प्रवीणता परीक्षा में उत्तीर्णता एवं वर्ग 'घ' के पद में 3 वर्ष अथवा वर्ग 'ङ' के में 2 वर्ष
10.	सहायक पर्यवेक्षक	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

7	8	9	10
—	—	सहायक इंजीनियर	—
यांत्रिक इंजीनियरी में डिग्री तथा 3 वर्ष का अनुभव ।	30 वर्ष	—	—
यांत्रिक इंजीनियरी में डिग्री तथा तीन वर्ष का अनुभव ।	30 वर्ष	—	—
यांत्रिक इंजीनियरी में डिग्री अथवा एक वर्ष के अनुभव सहित यांत्रिक इंजीनियरी में डिप्लोमा ।	28 वर्ष	अनुभाग अधिकारी	—
मैट्रिक अथवा उसके समतुल्य में मैकेनिकल/ औटोमोबाइल इंजी० में डिप्लोमा मानव सम्पर्क में प्रमाण पत्र । किसी कर्मशाला का 5 वर्ष का अनुभव ।	35 वर्ष	फोरमैन	—
मैट्रिक अथवा उसके समतुल्य/मैकेनिकल/ आटोमोबाइल इंजी० में डिप्लोमा । मानव सम्पर्क में प्रमाण पत्र । किसी कर्मशाला का 3 वर्ष का अनुभव ।	35 वर्ष	चार्जमैन/शिफ्ट पर्यवेक्षक	—
मैट्रिक अथवा उसके समतुल्य । डीजल तथा पैट्रोल इंजनों में उद्योग प्रशिक्षण संस्थान ट्रेड प्रमाण पत्र । मानव सम्पर्क में प्रमाण पत्र । किसी कर्मशाला का 5 वर्ष का अनुभव ।	35 वर्ष	प्रधान मैकेनिक	—
मिडिल स्तर उत्तीर्ण । सामान्य यांत्रिक इंजी० अथवा समतुल्य में उद्योग प्रशिक्षण संस्थान ट्रेड प्रमाण पत्र । मानव सम्पर्क का प्रमाण पत्र । मजदूरों के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण का 5 वर्ष का अनुभव ।	35 वर्ष	सहायक पर्यवेक्षक	—

1	2	3	4	5	6
11.	प्रधान वैल्डर	200-10-250-15-400	शत प्रतिशत प्रोन्नति, ऐसा न होने पर सीधे भर्ती द्वारा	अप्रवरण	प्रवीणता परीक्षा मे उत्तीर्णता एवं वर्ग 'घ' के पद मे 3 वर्ष अथवा वर्ग 'ङ' के पद में 2 वर्ष
वर्ग 'ङ'					
12.	चालक मैकेनिक/ मोटर मैकेनिक	150-10-300	50 प्रतिशत प्रोन्नति 50 प्रतिशत सीधे भर्ती	यथोक्त	विहित परीक्षा में उत्तीर्णता एवं वर्ग 'ग' के पद में 3 वर्ष अथवा वर्ग 'घ' के पद में 1 वर्ष
कौशल वाले पद (वर्ग–'घ')					
13.	मैकेनिक-एवं-प्रचालक/ इंजन चालक	120-10-240	शत प्रतिशत प्रोन्नति, ऐसा न होने पर सीधे भर्ती द्वारा	यथोक्त	विहित परीक्षा में उत्तीर्णता एवं वर्ग 'ख' के पद में 3 वर्ष अथवा वर्ग 'ग' के पद में 1 वर्ष
14.	वैल्डर यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
15.	टर्नर यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
16.	बायलर परिचर यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
17.	बढ़ई	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
(वर्ग–'ग')					
18.	सिलाई मशीन प्रचालक /मिस्त्री/मैकेनिक	120-5-150	शत प्रतिशत प्रोन्नति, ऐसा न होने पर सीधे भर्ती द्वारा	अप्रवरण	वर्ग 'ख' पदों मे प्रोन्नति। जिन कर्मचारियों ने विहित ट्रेड परीक्षा पास कर ली हो वे प्रोन्नति के पात्र होंगे।

7	8	9	10
मैट्रिक अथवा उसके समतुल्य । किसी राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त वैल्डर का प्रमाण-पत्र सामान्य यांत्रिक इंजीनियरी में उद्योग प्रशिक्षण संस्थान प्रमाण-पत्र । मानव सम्पर्क, प्रमाण-पत्र । विद्युत् और गैस वैल्डिंग के काम में 5 वर्ष का अनुभव ।	35 वर्ष	प्रधान वैल्डर	———
मिडिल स्तर उत्तीर्ण । डिजल तथा पैट्रोल इंजन में उद्योग प्रशिक्षण संस्थान का ट्रेड प्रमाण-पत्र किसी कर्मशाला में 3 वर्ष का अनुभव ।	32 वर्ष	चालक मैकेनिक/ मोटर मैकेनिक	———
मिडिल स्तर उत्तीर्ण । डीजल तथा पैट्रोल इंजन का उद्योग प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण-पत्र । किसी कर्मशाला में 3 वर्ष का अनुभव ।	30 वर्ष	मैकेनिक-एवं-प्रचालक/ इंजन चालक	———
मिडल स्तर उत्तीर्ण । किसी राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त वैल्डर प्रमाण पत्र होना चाहिए । बिजली और गैस के कामों में 3 वर्ष का अनुभव ।	30 वर्ष	वैल्डर	———
मिडिल स्तर उत्तीर्ण । उद्योग प्रशिक्षण संस्थान से ट्रेड प्रमाण पत्र अथवा समतुल्य/लेथ, ड्रिलिंग मशीनों, ग्राईंडरों आदि के प्रचालन का 3 वर्ष का अनुभव ।	30 वर्ष	टर्नर	———
मिडिल स्तर उत्तीर्ण । बायलर परिचर का प्रमाण-पत्र होना चाहिए । मध्यम् प्रेसर बायलरों के प्रचालन तथा अनुरक्षण का अनुभव ।	28 वर्ष	—	———
मिडिल स्तर उतीर्ण । बढ़ईगीरी में उद्योग प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण-पत्र । बढ़ईशाला में 3 वर्ष का अनुभव ।	30 वर्ष	बढ़ई	———
मिडल स्तर उत्तीर्ण । उद्योग प्रशिक्षण संस्थान से सामान्य यांत्रिक इंजी० में ट्रेड प्रमाण-पत्र । इंजनों के लिए इस्पात कढ़ाई कार्यों की कर्मशाला में 3 वर्ष का अनुभव ।	30 वर्ष	सिलाई मशीनचालक/मिस्त्री/ मैकेनिक	———

1	2	3	4	5	6
19.	साइक्लोन परिचर	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
20.	फिटर	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
21.	टीनकार	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
22.	रंगसाज	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
23.	लोहार	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
24.	ड्रायर प्रचालक	120-5-150	शत प्रतिशत प्रोन्नति, ऐसा न होने पर सीधे भर्ती द्वारा	अप्रवरण	वर्ग 'ख' पदों से प्रोन्नति, जिन कर्मचारियों ने विहित ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो वे प्रोन्नति के पात्र होंगे ।
	प्रवर्ग-4				
	अर्द्धकुशल पद				
	(वर्ग 'ख')				
25.	सहायक वैल्डर	100-5-130	यथोक्त	यथोक्त	विहित ट्रेड परीक्षा में उत्तीर्ण वर्ग 'क' पदों के कर्मचारी
26.	सहायक मैकेनिक/ग्रीजर	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	अकुशल पद				
	(वर्ग 'क')				
27.	खलासी/क्लीनर	85-2-95-3-110	यथोक्त	यथोक्त	आयलमैन/नलकूप प्रचालक के रूप में 2 वर्ष

7	8	9	10
मिडिल स्तर उत्तीर्ण । उद्योग प्रशिक्षण संस्थान से सामान्य यांत्रिक इंजी० में ट्रेड प्रमाण-पत्र/वायर मैन ग्रेड-2 का लाइसेंस भी होना चाहिए । इंजनों के लिए इस्पात गढ़ाई कार्यों की कर्मशाला में 3 वर्ष का अनुभव ।	30 वर्ष	साइकलोन परिचर	---
मिडिल स्तर उत्तीर्ण । किसी भी उद्योग प्रशिक्षण संस्थान में फिटर का पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो । किसी कर्मशाला में फिटर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव ।	30 वर्ष	फिटर	---
मिडिल स्तर उत्तीर्ण । टीनकारी तथा वैल्डिंग में उद्योग प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण-पत्र । टीनकार के रूप में 3 वर्ष का अनुभव ।	30 वर्ष	टीनकार	---
मिडिल स्तर उत्तीर्ण । रगंसाजी में उद्योग प्रशिक्षण संस्थान का ट्रेड प्रमाण पत्र या समतुल्य रंगसाज के रूप में 3 वर्ष का अनुभव ।	30 वर्ष	रंगसाज	---
मिडिल स्तर उत्तीर्ण । उद्योग प्रशिक्षण संस्थान से लोहार ट्रेड का प्रमाण-पत्र	30 वर्ष	लोहार	---
मैट्रिक । सामान्य यांत्रिक इंजी० में उद्योग प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाण-पत्र । इस कार्य का 3 वर्ष का अनुभव ।	30 वर्ष	---	---
मिडिल स्तर उत्तीर्ण । किसी भी राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त वैल्डर का प्रमाण-पत्र होना चाहिए । बिजली और गैस दोनों ही प्रकार से वैल्ड करने के कार्यों का 2 वर्ष का अनुभव ।	28 वर्ष	सहायक वैल्डर	---
मिडिल स्तर उत्तीर्ण । सामान्य यांत्रिक इंजी० में उद्योग प्रशिक्षण संस्थान का ट्रेड प्रमाण-पत्र । इंजन और ढलाई कार्यों की कर्मशाला में 2 वर्ष का अनुभव ।	28 वर्ष	सहायक मैकेनिक/ग्रीजर	---
मिडिल स्तर उत्तीर्ण । किसी यांत्रिक कर्मशाला में 2 वर्ष का अनुभव ।	25 वर्ष	खलासी/कलीनर	---

1	2	3	4	5	6
28.	आयलमैन/नलकूप प्रचालक नक्शानवीस	80-2-100	शत प्रतिशत सीधे भर्ती	—	—
	प्रवर्ग -II के पद				
29.	प्रधान नक्शानवीस	350-25-500-30-620-40-700	शत प्रतिशत प्रोन्नति, ऐसा न होने पर सीधे भर्ती द्वारा	प्रवरण	नक्शानवीस ग्रेड-1 के रूप में 3 वर्ष
	प्रवर्ग-III के पद				
30.	नक्शानवीस ग्रेड-1	225-10-235-15-430-20-550	यथोक्त	अप्रवरण	नक्शानवीस ग्रेड-2 के रूप में 3 वर्ष
31.	नक्शानवीस ग्रेड-2	150-10-300	शत प्रतिशत सीधे भर्ती	—	—
			भाग —10 विविध काडर		
	प्रवर्ग-1				
1.	जन सम्पर्क अधिकारी	1100-50-1300-60-1600	सीधे भर्ती	—	—
2.	सहायक जन सम्पर्क अधिकारी	400-40-800-50-950	शत प्रतिशत सीधे भर्ती	—	—
	प्रवर्ग -2				
3.	पुस्तकाध्यक्ष	350-25-500-30-620-40-700	सीधे भर्ती पुस्तकालय सहायक से प्रोन्नति	प्रवरण	पुस्तकालय सहायक के रूप में 3 वर्ष

7	8	9	10
मिडिल स्तर उत्तीर्ण	25 वर्ष	——	——
यांत्रिक इंजी० में डिप्लोमा तथा साथ में किसी संस्था के ड्राइंग कार्यालय के प्रभारी के रूप में 5 वर्ष का अनुभव ।	35 वर्ष	प्रधान नक्शानवीस	——
यांत्रिक इंजी० में डिप्लोमा तथा साथ में किसी संगठन में नक्शानवीस के रूप में 2 वर्ष का अनुभव ।	30 वर्ष	नक्शानवीस ग्रेड-1	——
किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम से कम 2 वर्ष के अध्ययन के उपरान्त प्राप्त डिप्लोमा, सहित मैट्रिक अथवा समतुल्य ।	28 वर्ष	नक्शानवीस ग्रेड-2	——
	भाग—10-विविध काडर		
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का स्नातक । किसी पब्लिक अथवा प्राईवेट सैक्टर के वाणिज्यिक उपक्रम में जन सम्पर्क कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव । पत्रिकारिता का अनुभव एक अतिरिक्त योग्यता होगी ।	30 से 40 वर्ष	——	——
अनिवार्य :			
(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री अथवा समतुल्य और पत्रकारिता में डिप्लोमा ।	35 वर्ष	——	——
(ii) प्राईवेट/पब्लिक सैक्टर के उपक्रम में जन सम्पर्क कार्य का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव ।			
वांछनीय			
(i) पत्रकारिता का अनुभव ।			
(ii) अंग्रेजी तथा एक या अधिक भाषाओं पर अच्छा अधिकार । स्नातकोत्तर अर्हता तथा जन सम्पर्क कार्य में अभिरूचि रखने वाले, और प्रदर्शनियों को संगठन में अनुभवी प्रार्थियों को अधिमान्यता दी जा सकेगी ।			
पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा सहित स्नातक । किसी भी पुस्तकालय में 5 वर्ष का अनुभव (केवल सीधी भर्ती वालों के लिए)	35 वर्ष	——	——

1	2	3	4	5	6
प्रवर्ग-3					
4.	स्वागती	300-25-600	सीधे भर्ती	—	—
5.	पुस्तकालय सहायक	225-10-235-15-430-20-550	यथोक्त	—	—
6.	परिचलक	225-10-235-15-430-20-550	यथोक्त	—	—
7.	कम्पटोमीटर प्रचालक	150-10-300	यथोक्त	—	—
8.	प्रूफरीडर	150-10-300	यथोक्त	—	—
9.	केयर टेकर एवं बावर्ची	120-5-150	यथोक्त	—	—
10.	वाहन चालक ग्रेड-1	120-10-240	शत प्रतिशत प्रोन्नति, ऐसा न होने पर सीधे भर्ती द्वारा	अप्रवरण	वाहन चालक ग्रेड-2 के रूप में 6 वर्ष
11.	वाहन चालक ग्रेड-2	120-5-150	शत प्रतिशत सीधी भर्ती	—	—

7	8	9	10
स्नातक तथा टंकण एवं आशुलिपि का ज्ञान/ महिलाओं को अधिमानता दी जाएगी ।	25 वर्ष	—	—
पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा सहित स्नातक	25 वर्ष	—	—
अर्थशास्त्र सांख्यिकी, वाणिज्य अथवा गणित में स्नातक (प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी में) और मशीन अथवा डिस्क गणना तथा विविध प्रकार की सामग्री के विधिवत सारणीकरण में प्रवीणता ।	25 वर्ष	—	—
अनिवार्य :			
(i) स्नातक	25 वर्ष कम्पटोमीटर		—
(ii) गणना यंत्र के प्रयोग का अनुभव	उपयुक्त प्रधालक मामलों में शिथिल की जा सकती है ।		
वांछनीय :			
(i) अन्य विषयों के साथ-साथ गणित में मैट्रिक उत्तीर्ण अथवा समतुल्य योग्यता ।			
(ii) आंकड़ों सम्बन्धी कार्यों में अभिरुचि;			
(iii) किसी केन्द्रीय राज्य विभाग में/ अथवा पब्लिक या प्राईवेट सैक्टर के उपक्रम में समतुल्य पद पर दो वर्ष का अनुभव ।			
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री ।	28 वर्ष	—	—
(ii) किसी समाचार पत्र के कार्यालय अथवा मुद्रणालय में प्रूफरीडिंग का दो वर्ष का अनुभव ।			
भारतीय तथा महाद्वीपीय भोज्य पदार्थों को पकाने की क्षमता । अंग्रेजी में आदेश ग्रहण करने तथा धाराप्रवाह हिन्दी बोलने की क्षमता ।	40 वर्ष	—	—
मिडिल स्तर उत्तीर्ण तथा भारी वाहन चलाने के लाइसेंस सहित कम से कम 5 वर्ष का ड्राइविंग का अनुभव ।	30 वर्ष	भारी वाहन चालक	भारी वाहन चालकों के प्रभारी के रूप में रखा गया वाहन चालक भी इसी वेतनक्रम का अधिकारी होगा ।
मिडिल स्तर उत्तीर्ण । कार/हल्के वाहन चलाने का लाइसेंस और चालक के रूप में 4 वर्ष का अनुभव ।	28 वर्ष	वाहन चालक	—

परिशिष्ट—2

अनुशासन और अपील नियम

सक्षम प्राधिकारियों को प्रदर्शित करने वाले विवरण

क्रम संख्या	पद	नियुक्ति कर्त्ता प्राधिकारी	आयु सीमा और अर्हताएं शिथिल करने के लिए सक्षम प्राधिकारी	शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और वे शास्तियां जो वे अधिरोपित कर सकेंगें		अपील प्राधिकारी
				प्राधिकारी	शास्तियां	
1 प्रवर्ग-4	जिला कार्यालय क्षेत्रीय/पत्तन कार्यालय	जिला प्रबन्धक उप-प्रबन्धक/उप क्षेत्रीय प्रबन्धक	क्षेत्रीय प्रबन्धक/ संयक्त प्रबन्धक क्षेत्रीय प्रबन्धक/ संयक्त प्रबन्धक	जिला प्रबन्धक उप-प्रबन्धक उप क्षेत्रीय प्रबन्धक	समस्त समस्त	क्षेत्रीय प्रबन्धक/ संयुक्त प्रबन्धक/ क्षेत्रीय प्रबन्धक/ संयुक्त प्रबन्धक
	आंचलिक कार्यालय/मुख्यालय	उप प्रबन्धक	उप आंचलिक प्रबन्धक /संयुक्त प्रबन्धक	उप प्रबन्धक	समस्त	आंचलिक प्रबन्धक कार्मिक प्रबन्धक
2. प्रवर्ग -3						
	क्षेत्रीय/पत्तन कार्यालय	क्षेत्रीय प्रबन्धक संयुक्त प्रबन्धक	कार्मिक प्रबन्धक कार्मिक प्रबन्धक	उप प्रबन्धक/उप-क्षेत्रीय प्रबन्धक/ क्षेत्रीय/संयुक्त प्रबन्धक	छोटी	क्षेत्रीय प्रबन्धक/ संयुक्त प्रबन्धक/ आंचलिक प्रबन्धक
	आंचलिक कार्यालय मुख्यालय	उप आंचलिक प्रबन्धक संयुक्त प्रबन्धक	कार्मिक प्रबन्धक कार्मिक प्रबन्धक	उप आंचलिक प्रबन्धक संयुक्त प्रबन्धक	समस्त समस्त	आंचलिक प्रबन्धक कार्मिक प्रबन्धक
3. प्रवर्ग -2						
	(1) लेखा और तकनीकी पद	प्रबन्धक निदेशक	अध्यक्ष	प्रबन्ध निदेशक	समस्त	अध्यक्ष
	(2) अन्य पद	आंचलिक प्रबन्धक/ कार्मिक प्रबन्धक	प्रबन्धक निदेशक	आंचलिक प्रबन्धक/ कार्मिक प्रबन्धक	समस्त	प्रबन्धक निदेशक
4. प्रवर्ग-1						
	प्रभाग प्रमुखों से भिन्न अधिकारी	कार्यकारी समिति	कार्यकारी समिति	कार्यकारी समिति /बोर्ड	छोटी	बोर्ड
	प्रभाग प्रमुख	बोर्ड	बोर्ड	बोर्ड	समस्त	बोर्ड

परिशिष्ट—3

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

कार्यालय ज्ञापन

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1969

विषय :—खाद्य निगम द्वारा कतिपय कृत्य बन्द किए जाने के फलस्वरूप भारतीय खाद्य निगम की सेवा से 'खाली' हुए खाद्य विभाग के अन्तरितियों को पुनः नौकरी देना :

सं० फा० 14/8/69-स्थापना (ध)—अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर खाद्य विभाग की अनौपचारिक टिप्पणी संख्या 5/1/68-आर० ई० आई० तारीख 5 अप्रैल, 1969 के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि टिप्पणी में वर्णित परिस्थितियों में, यह निश्चय किया गया है कि निगम के कृत्यों में कमी करने की दशा में, खाद्य विभाग के स्थानान्तरित कर्मचारी, अर्थात जिन्हें खाद्य निगम (संशोधन) अधिनियम 1968 के अन्तर्गत खाद्य विभाग से भारतीय खाद्य निगम को स्थानान्तरित किया गया था, केन्द्रीय सरकार में नियुक्ति के प्रयोजन के लिए रोजगार कार्यालय के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने के लिए प्राप्त होने वाली उसी प्राथमिकता के हकदार होंगे जो कि गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 71/49/54-डी० जी० एस० (सी) तारीख 31 अगस्त, 1954 के साथ पठित कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/4/59-आर० पी० एस० तारीख 25/11/59 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के छंटनी किए गए कर्मचारियों को प्राप्त हैं।

हरीश चन्द्र,
अवर सचिव

परिशिष्ट—4

पहली नियुक्ति के समय/वर्ष————— के लिए स्थावर सम्पत्ति का विवरण

1. अधिकारी का नाम (पूरा नाम तथा सेवा का नाम)————————
2. वर्तमान पद————————
3. वर्तमान वेतन ————————

उस जिले, उप-मण्डल तालुक तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति का नाम तथा विवरण			यदि अपने नाम में न हो तो वह किसके नाम में है तथा निगम के कर्मचारी के साथ उस व्यक्ति का क्या रिश्ता है**	कैसे अर्जित की गई-क्रय पट्टे, बन्धक, विरासत या अन्य स्रोत से अर्जन की तारीख तथा उस व्यक्ति का नाम तथा ब्यौरा जिससे अर्जित की गई***	सम्पत्तिस वार्षिक आय	टिप्पणी
	आवास तथा अन्य भवन	भूमि	वर्तमान मूल्य*				

नोट:—यह घोषणा पत्र भारतीय खाद्य निगम कर्मचारीवृंद विनियम के विनियम 48 के अन्तर्गत निगम के प्रत्येक कर्मचारी की सेवा में पहली नियुक्ति के समय भरकर प्रस्तुत करना होगा, और तत्पश्चात् प्रत्येक 12 माह के पश्चात् उसे अपने नाम में या अपने परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में अर्जित, अपने स्वामित्वाधीन या विरासत में प्राप्त या पट्टे पर या बन्धक में प्राप्त समस्त स्थावर भूमि का विवरण देना होगा।

हस्ताक्षर
तारीख

*उन मामलों में जिसमें ठीक-ठीक मूल्य निर्धारण करना सम्भव नहीं है, वर्तमान अवस्था के अनुसार लगभग मूल्य दिया जाए।

**जो लागू न हो उसे काट दिया जाये।

***इसमें छोटी अवधि का पट्टा भी शामिल है।

आई० एस० कन्सल,
संयुक्त कार्मिक प्रबन्धक

STATE BANK OF INDIA

Central Office

Bombay, the 4th October 1972

No. SBS 10/1972.—It is hereby notified for general information that in pursuance of the proviso to Clause (d) of sub-section (1) of Section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959), the State Bank of India, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby nominates Shri Jagannath Rao Chandriki, Gulbarga, Mysore State, as a Director of the State Bank of Hyderabad for a term of three years from the 4th October 1972 to the 3rd October 1975 (inclusive) in place of Shri O. Pulla Reddi, M.A., I.C.S. (Retd.), who will cease to be a Director from today.

R. K. TALWAR
Chairman.

STATE BANK OF PATIALA

(NOTICE)

Patiala, the 1st September 1972

No. SBOP 89.—The following transfers and changes in the posting of Bank's Supervising Staff are hereby notified :—

1. Shri Som Nath Arora, Officer Grade II, to be Asstt. Accountant, Darya Ganj, Delhi branch as from the commencement of business on 16-8-72.

2. Shri P. K. Maini, Officer-Grade I, to be Manager, Darya Ganj, Delhi branch as from the close of business 13-7-72 to the close of business 17-7-72 *vice Shri S. K. Sehgal.*

3. Shri A. S. Dang, Officer Grade II, officiated Manager, Bali Nagar, Delhi branch as from the close of business 22-6-72 to the commencement of business 3-8-72 *vice* Shri Chaman Lal.

4. Shri D. S. Modi, Officer Grade I, officiated Manager, Shardhanand Marg, Delhi branch as from the close of business 5-7-72 to the commencement of business 24-7-72.

(Sd.) ILLEGIBLE
Assistant General Manager
(Administration & Planning)

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-1, the 9th October 1972

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 1-*CA*(56)/72.—The following draft of certain amendments to the Chartered Accountants Regulations, 1964, which it is proposed to make in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 (Act XXXVIII of 1949), is published for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the draft will be taken for consideration on or after the 21st November, 1972.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the date specified will be considered by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi.

I. *In Regulation* 44 add the following :

"(8) For the purpose of this regulation the days on which an articled clerk appears for any examination under these Regulations after 1st April 1972 (including intervening holidays) shall not be treated as leave."

II. *In Regulation* 55 add the following :

"(6) For the purpose of this regulation the days on which an audit cleark appears for any examination under these Regulations after 1st April 1972 (including intervening holidays) shall not be treated as leave."

C. BALAKRISHNAN
Secretary

DEPARTMENT OF POSTS & TELEGRAPHS

Office of the Director General Posts & Telegraphs

New Delhi, the 18th October 1972

NOTICE

No. 25/98/72-*LI.*—Postal Life Insurance policy No. 53024-P dated 14-10-52 for Rs. 3000/- held by Shri A. V. Subramaniam having been lost from the departmental custody, notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Dy. Director, PLI, Calcutta has been authorised to issue a duplicate policy in favour of the insurant. The Public are hereby cautioned against dealing with the original policy.

No. 25/116/72-*LI.*—Postal Life Insurance EA/45 policy No. 96747-P dated 14-6-63 for Rs. 5000/- held by Shri Pritam Singh having been lost from the departmental custody, notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Dy. Director, PLI, Calcutta has been authorised to issue a dplicate policy in favour of the insurant. The Public are hereby cautioned against dealing with the original policy.

R. KISHORE
Director,
Postal Life Insurance.

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

(Regional Office Maharashtra)

Bombay-5, the 29th September 1972

No. B/Est-II-18(13).—It is hereby notified that the P.A. to the Director, Employees' State Insurance Scheme, who is a State Government representative under Regulation 10-A-1 (b) of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 on the Local Committees, Borivli, Kalyan, Thana, Kurla, Andheri and Poona will hereafter be referred to as Senior Administrative Officer. Her office address is as follows :—

The Senior Administrative Officer,
Office of the Director,
Employees' State Insurance Scheme,
New Parsee Bungalow Building,
Lower Parel,
Bombay-13.

BY ORDER
I. C. SARIN
Regional Director.
Member Secretary

Bombay-5, the 29th September 1972

No. B/Est-II-18(14).—In partial modification of this office notification of even number dated the 20th January, 1971, the following amendment is made in the list of members of the Local Committee Akola formed under Regulation 10-A-1 of the Employees' State Insurance (General) Regulation 1950.

UNDER REGULATION 10-A-1 (e)

ITEM No. 7 :

Read :

Shri A. B. Thorat
(Representative of National Berar Oil Industries Workers' Union),
AKOLA.

For :

Shri N. B. Kulkarni,
General Secretary,
National Berar Oil Industries Workers' Union,
Dhole Plot, Jathar Peth,
AKOLA.

BY ORDER
I. C. SARIN
Regional Director

New Delhi, the 18th October 1972

No.INS.I.22(1)2/72(20).—In exercise of the powers conferred by sub-regulation (1) of regulation 5 of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has determined that in the areas specified in the Schedule given below the first contribution and first benefit periods for sets 'A', 'B' and 'C' shall begin and end in respect of persons in insurable employment on the appointed day of mid-night of 30th September, 1972 as indicated in the table given below :—

Set	First Contribution period		First benefit period	
	Begins on midnight of	Ends on midnight of	Begins on midnight of	Ends on midnight of
A	30-9-1972	27-1-1973	30-6-1973	27-10-1973
B	30-9-1972	31-3-1973	30-6-1973	29-12-1973
C	30-9-1972	25-11-1972	30-6-1973	25-8-1973

SCHEDULE

"The areas within the Municipal limits of Hindupur and within the limits of the Revenue Villages of (a) Kirikera (b) Bevinahalli (c) Moda (d) Kodigenahalli (e) Kotnur (f) Sreekantapuram (g) Cholasamudram (h) Pulamati in Anantapur District in the State of Andhra Pradesh."

No. INS.I.22(1)-2/72(21).—In exercise of the powers conferred by sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Employees' State Insurance (General) Regulation, 1950, the Director General has determined that in the areas specified in the Schedule given below the first contribution and first benefit periods for Sets 'A', 'B' and 'C' shall begin and end in respect of persons in insurable employment on the appointed day of midnight of 7th October, 1972 as indicated in the table given below :—

Set	First Contribution period		First benefit period	
	Begins on midnight of	Ends on midnight of	Begins on midnight of	Ends on midnight of
A	7-10-1972	27-1-1973	7-7-1973	27-10-1973
B	7-10-1972	31-3-1973	7-7-1973	29-12-1973
C	7-10-1972	25-11-1972	7-7-1973	25-8-1973

SCHEDULE

"The areas within the village of Padugopadu in Kovvur Taluk, Nellore District in the State of Andhra Pradesh."

No.INS.I.(22(1)-2/72(22).—In exercise of the powers conferred by sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has determined that in the areas specified in the Schedule given below the first contribution and first benefit periods for Sets 'A', 'B' and 'C' shall begin and end in respect of persons in insurable employment on the appointed day of midnight of 1st October, 1972 as indicated in the table given below :—

Set	First Contribution period		First benefit period	
	Begins on midnight of	Ends on midnight of	Begins on midnight of	Ends on midnight of
A	30-9-1972	27-1-1973	30-6-1973	27-10-1973
B	30-9-1972	31-3-1973	30-6-1973	29-12-1973
C	30-9-1972	25-11-1972	30-6-1973	25-8-1973

SCHEDULE

The following areas in the Singhbhum District of Bihar State :—

Sl. No.	Name of the Revenue Village	No of Revenue Village	Name of Thana	Revenue
1.	A Sangi . .	126	Seraikella	
2.	Dindli . . .	128	Seraikella	
3.	Krishnapur . .	132	Seraikella	

No.INS.I.22(1)-2/72(23).—In exercise of the powers conferred by sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Employees' State Insurance (General) Regulation, 1950, the Director General has determined that in the areas specified in the Schedule given below the first contribution and first benefit periods for Sets 'A', 'B' and 'C' shall begin and end in respect of persons in insurable employment on the appointed day of midnight of 30th September, 1972 as indicated in the table given below :—

Set	First Contribution period		First benefit period	
	Begins on midnight of	Ends on midnight of	Begins on midnight of	Ends on midnight of
A	30-9-1972	27-1-1973	30-6-1973	27-10-1973
B	30-9-1972	31-3-1973	30-6-1973	29-12-1973
C	30-9-1972	25-11-1972	30-6-1973	25-8-1973

SCHEDULE

Sl. No.	District	Taluk	Hobli	Village
1.	Bangalore	Kanakapura	Kanakapura	Municipal Town Limits of Kanakapura.
2.	Bangalore	Kanakapura	Kanakapura	Kurubet Village Situated in Bekuppe Village Panchayat including entire Bekuppe Village Panchayat Area.

I. D. BAJAJ,
Dty. Insurance Commissioner.

New Delhi, the 9th October 1972

No. 2-12(1)/68-*Estt.III.*—Whereas the Department of Labour & Employment, Government of India, New Delhi, in pursuance of the provisions of clause (d) of Section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), *vide* their Notification No. F. No. U-16012/3/72-HI, dated 8-9-1972 have notified Shri Bhupender Singh as a member of the Employees' State Insurance Corporation.

Therefore, in pursuance of Section 25 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation 10 of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the following amendment is hereby made in the Employees' State Insurance Corporation Notification No. 2-12(1)/68-Estt.III, dated 29-8-1969 pertaining to the constitution of Regional Board, Orissa Region, namely :—

In the said Notification for the entry against Item No. 8, the following entry shall be substituted, namely :—

Shri Bhupender Singh, Secretary to the Govt. of Orissa, Labour, Employment & Housing Deptt., Bhubaneshwar.	Member of the E.S.I. Corporation, nominated by the Central Government residing in the area—*Ex-officio.*

T. C. PURI
Director General

PANJAB UNIVERSITY (CHANDIGARH)

Chandigarh, the 29th October 1972

(A) The Chancellor has been pleased to approve the election of the following as Ordinary Fellows of the Panjab University for the next term beginning November 1, 1972, from the constituencies mentioned against each under Sub-sections 1(b), 1(c), 1(d), 1(e), 1(f) and 1(h) of Section 13 of the Panjab University Act :—

Professors on the Staff of the Teaching Departments of the University

1. Shri B. S. Khanna, M.A., Ph.D., Professor and Head of the Department of Public Administration, Panjab University, Chandigarh.
2. Shri S. R. K. Chopra, M.Sc., Ph.D., (Zurich), Professor and Head of the Department of Anthropology, Panjab University, Chandigarh.

Readers and Lecturers on the Staff of the Teaching Deptts. of the University.

3. Shri Vishwa Nath Tewari, Ph.D., M.A., B.A. (Hons.) Reader, Department of Punjabi, Panjab University, Chandigarh.

Principals of Technical and Professional Colleges

4. Shri Amarjit Singh Sodhi, M.A., M.Ed., Principal, G.H.G. Harparkash College of Education for Women, Sidhwan Khurd (Ludhiana).
5. Shri A. R. Sharma, M.A., M.Ed., Principal, Sohan Lal College of Education, Ambala City.

Staff of Technical and Professional Colleges

6. Shri S. S. Grewal, B.Sc., M.B.B.S., M.S., F.I.C.S., D.O., D.O.M.S., (Vienna), Professor of Ophthalmology, Daya Nand Medical College, Ludhiana.
7. Shri Karan Singh, M.A., M.Ed., Senior Lecturer, Chhotu Ram College of Education, Rohtak.
8. Shri M.M.L. Arora, M.B.B.S., M.S., C.R.C.S. (C) D.R.B.O. (U.S.A.), Assistant Professor (E.N.T.), Institute of Post-graduate Medical Education and Research, Chandigarh.

Heads of Affiliated Arts Colleges

9. Shri Harnarinder Singh, M.A. (Geog.) Principal, Khalsa College, Garhdiwala (Hoshiarpur).
10. Shri Kirpal Singh Jolly, B.Sc. (Hons.) M.Sc., B.T., Principal, Govind National College, Govind Nagar, P.O. Narangwal, (Distt. Ludhiana).
11. Shri Sardul Singh, M.A. (Eng.), Principal, G.G.N. Khalsa College, Ludhiana
12. Shri Gian Chand Juneja, M.Sc. (Hons. School), Principal, S. D. College, Ambala Cantt.
13. Shri G. R. Swami, M.A., Principal, Gaur Brahaman College, Rohtak.
14. Shri Pradeep Kumar, Principal, Panjab University Evening College, Rohtak.
15. Shri S. S. Gill, M.A., B.T., Principal, Chhaju Ram Memorial Jat College, Hissar.
16. Shri P. L. Anand, M.A., Principal, Panjab University Evening College, Chandigarh.

Professors, Senior Lecturers and Lecturers of affiliated Arts Colleges

17. Shri K. C. Gupta, M.A., Ph.D., Head of the Panjabi Department, Arya College, Ludhiana.
18. Shri Rajinder Verma, M.A., Senior Lecturer, Government College, Ludhiana.
19. Shri Vidya Sagar, M.A., Government College, Hoshiarpur.
20. Shri M. L. Jain, M.Sc., Lecturer in Chemistry, S. A. Jain College, Ambala City.
21. Shri R. M. Rathee, M.A., B.Ed., Lecturer in Hindi, Government College, Rohtak.
22. Shri Samarjit Singh, M.A. (Eng. and Histy.), B.A. (Hons), Lecturer, Dyal Singh College, Karnal.
23. Shri Teja Singh, M.A. (Hist.), Lecturer, Vaish College, Rohtak.

Faculties

24. Shri Triloki Nath, M.A., Principal, D.A.V. College, Chandigarh.—Arts
25. Shri Gurbax Singh Shergil, M.A., Principal, Sri Guru Govind Singh College, Chandigarh.—Languages
26. Dr. P. N. Mehra, D.Sc., F.N.A., FBI, Professor and Head of the Deptt. of Botany, Panjab University, Chandigarh.—Science and Mathematics
27. Dr. Gurdial Singh Dhillon, LL.D., Speaker, Lok Sabha, 20, Akbar Road, New Delhi.—Law,

28. Dr. P. N. Chhuttani, M.D., Director, Post-graduate Medical Education and Research Institute, Chandigarh.—Medical Sciences.

29. Shri O. P. Dogra, M.Sc., Principal, Rajdhani College, Kirti Nagar, New Delhi-15.—Combined Faculties of Agriculture, Dairying Animal Husbandry, Education, Commerce, Engineering & Technology and Design & Fine Arts

Legislative Assembly

30. Shri Shyam Chand, Development Minister, Haryana, Kothi No. 40, Sector 2, Chandigarh.

31. Chaudhri Ishwar Singh, Village and P.O. Kaul, District Karnal.

(B) The Chancellor has been pleased to nominate, under Section 13(j) of the Panjab University Act, the following as Ordinary Fellows of the University for the next term beginning November 1, 1972 :—

32. The Director, National Dairy Research Institute, Karnal.

33. The Principal, Panjab Engineering College, Chandigarh.

34. The Principal, Technological Institute of Textiles, Bhiwani.

35. The Director, Panjab University Post-graduate Regional Centre, Rohtak.

36. The Principal, Medical College, Rohtak.

37. Dr. Kesar Singh, Principal, Government College, Ludhiana.

38. Shri K. R. Chowdhry, Principal, Government College, Rohtak.

39. Dr. R. P. Bambah, Director, Centre of Advanced Studies in Mathematics, Panjab University, Chandigarh.

40. Dr. R. C. Paul, Professor and Head of the Department of Chemistry, Panjab University, Chandigarh.

41. Dr. Gurdev Singh, Professor and Head of the Department of Geography, Panjab University, Chandigarh.

42. Dr T. N. Kapur, Professor and Head of the Department of Commerce and Business Management, Panjab University, Chandigarh.

43. Miss Sheric Doongaji, Principal, Home Science College, Chandigarh.

44. Shri D. D. Puri, M.P., A-2, Greater Kailash, New Delhi-48.

45. Prof. Rasheeduddin Khan, M.P., 191, South Avenue, New Delhi-11.

46. Shri Krishan Kant, M.P. 2, Telegraph Lane, New Delhi-1.

47. Shri Jagannath Kaushal, Advocate-General, Haryana, Chandigarh.

48. Shri Amarnath Vidyalankar, M.P., 87, Shahjehan Road, New Delhi-11.

49. Shri Gurdev Singh, Retd. High Court Judge, Chandigarh.

50. Shri R. P. Khosla, Retd. High Court Judge, Chandigarh.

51. Shri P. L. Tandon, Custodian, Panjab National Bank, Ltd., New Delhi.

52. Dr. Mulk Raj Anand, 25, Cuffe Parade Colaba, Bombay.

53. Dr. Satish Chandra, Dean, School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi.

54. Shri Khurshaid Ahmed, Ex-Education Minister, Haryana.

55. Shri Mubarak Singh, Member, Punjab Public Service Commission, Patiala.

56. Shri Buta Singh, M.P., 19, Ferozeshah Road, New Delhi.

57. Shri Narendra Singh, Retd. Chairman, Punjab Public Service Commission, Chandigarh.

58. Shri S. F. Deane, Ex-Deputy Chairman, Panjab Legislative Council, Ambala.

59. Dr. B. K. Anand, Head of the Physiology Department, All-India Institute of Medical Sciences, New Delhi.

60. Shri Ajmer Singh, Ex-Minister, Advocate, Chandigarh.

61. Shri L. D. Dikshit, Principal, Arya College, Panipat.

62. Shri Dharam Vir, Principal, Dev Samaj College for Women, Ferozepore City.

63. Miss Janki Chopra, Principal, Fatehchand College for Women, Hissar.

64. Pandit Mohan Lal, Ex-Finance Minister, Panjab, 1581, Sector 18-D, Chandigarh-18.

65. Mrs. Gurbinder Kaur Brar, M.L.A., c/o Vidhan Sabha, Panjab, Chandigarh.

Chandigarh, the 29th October 1972

JAGJIT SINGH, Registrar.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972